

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १५-६-७६ अपरान्ह ४ वजेर जी विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित ६, जगदीश चन्द वसि मार्ग, लखनऊ में हुई, का कार्यवृत्त ।

तत्तत्त

उपस्थिति

- | | |
|-------------------------|--|
| १- श्री एस०के० सरदार | आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्षा,
लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| २- श्री राम चन्द्र टकरू | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| ३- श्री बीम प्रकाश | उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन । |
| ४- श्री एस०वी० एस० देवी | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर
प्रदेश शासन । |
| ५- श्री जी०पी० विश्वनाथ | अभिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल निगम । |
| ६- श्री जे०पी० दुबै, | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ। |
| ७- श्री आर०आर० झाह, | उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, |

अन्य उपस्थित

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| १- श्री आर०के० सिंह | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| २- श्री कै०पी० सिंह, | हरिष्ठा नगर नियोजक |
| ३- श्री एस०पी० गुप्ता, | मुख्य अभियन्ता |

====

मद सं० १

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

मद सं० २

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ के कार्य वृत्त के कार्यान्वयन प्रगति संबंधी आख्या का अवलोकन किया गया ।

मद सं० ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल वजट १९७६-७७ पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया ।

अध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने संवीधन भाषणा (पतिलिपि संलग्न) को पढ़ते हुये मूल वजट वर्ष १९७६-७७ विचारार्थ प्रस्तुत किया किया और उपाध्यक्षा को मूल वजट की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने की कहा । उपाध्यक्षा ने मूल वजट १९७६-७७ की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालते हुये बताया कि मूल वजट १९७६-७७ में २-३८ लाख के वजत का वजट है । उचन्त लेखी को छोड़कर जी १-६८१ करीड़ का है अनुमानित आय- व्यय कमशः ६-८१ करीड़ तथा ६-७८ करीड़ है ।

बजट ३ भागों, सामान्य, नगर नियोजन एवं अभियन्त्रण में विभाजित है तथा प्रत्येक भाग, राजस्व, पूंजी एवं उचन्त लेखा पर आधारित है। इस प्रकार :-

- १- सामान्य विभाग के राजस्व लेख की रू० ४-०८ लाख का घाटा अभियन्त्रण राजस्व लेख में पूरा किया गया है,
- २- नगर नियोजन आय व्यय संतुलित है,
- ३- अभियन्त्रण राजस्व लेखों में उसके पूंजी लेख में रू० २-६६६ करोड़ स्थानान्तरित करने के उपरान्त रू० ६-४० लाख की कचत है। पूंजी लेख की रू० २-६६६ करोड़ का स्थानान्तरण इसलिए आवश्यक था कि पूंजी प्रयोजना पर व्यय करना था,
- ४- अभियन्त्रण पूंजी उचन्त लेखों के परस्पर लेख संतुलित है।

लखनऊ विभाग पर अभियन्त्रण का बजट १९७६-७७ वर्षों के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु प्रांगण पर आधारित है जो इंजीनियरिंग विभागीय डेवलपमेंट प्लान से लिये गये है।

पूंजी प्रयोजना हेतु १९७६-७७ वर्षों में निम्नवत प्रयोजना है :

- क- कानपुर रोड योजना २०० एकड़, मैणियर रोड ५० एकड़, अलीगंज ३०० एकड़ तथा अन्य योजनाओं में रू० १-८५ करोड़ के भूमि का अर्जन।
- ख- विभिन्न योजनाओं में रू० २-३० करोड़ के भूमि का पुधार,
- ग- उच्च आय वर्गीय योजना में १००, मध्यम आय वर्गीय योजना में २५०, निम्न आय वर्गीय योजना में ५००, तथा दुर्बल समुदाय हेतु १००० भवन रू० २-५६ करोड़ की लागत से निर्मित करने का अनुमान है।
- घ- हजारागंज, नक़्खार लामूश रोड, क़ितवापुर इत्यादि में रू० १-०१ करोड़ की लागत से व्यवसायिक बैंक बनाने का परिकल्पना है।
- ङ- गन्दी वस्ती पुधार एवं पर्यावरण योजना हेतु पुधार। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कार्यक्रम वर्षों में प्राप्त योग्य आय एवं पारंपरिक अवशेषा के अन्तर्गत है। बजट के पृष्ठ ७ तथा १८ व १९ की मिलान करने पर ऐसा विदित होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम स्वयं उत्पादक है।

बजट में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि अपने राजस्व आय तथा ऋण द्वारा प्राप्त आय में समतुल्य रहे। इस प्रकार अधिग्रहण विभाग के राजस्व लेख में ₹०-४२६ करोड़ की आय अनुमानित की गई है जबकि ऋण स्वरूपी आय में ४-२६ करोड़ अंशित की गई है तथा दोनों का अनुपात १:१ अर्थात् ₹० १ के ऋण विरुद्ध ₹० १ की आय का उत्पादन होगा।

बजट की अन्य विशेषतायें यह भी हैं कि बजट वर्ष में शापकीय ऋणों दुहली के ऋणों (जो आकस्मिक योजना के लिये, लिये गये) तथा बैंक से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान करने का उपबन्ध किया गया है।

अन्य शापकीय ऋणों जिनकी किश्तें वर्ष १९७६-७७ में दीय हैं उनकी धनराशि १३-५३ लाख है जिसके प्रतिदान हेतु बजट में १४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट में ३१-३-७६ तक आबुक्ति धनराशि ₹० ७६ लाख का उपबन्ध मनी किया गया है। इसमें दो प्रकार का ऋण है - एक पुराने ऋणों जो महापालिका से मिले हैं उनमें बाह्य किश्तों का बजट में प्रतिदान हेतु प्राविधान किया गया है। इस आबुक्ति धनराशि ₹० ७६ लाख का मामला प्राधिकरण के सम्बन्ध विचाराधीन है जिसमें सुझाव है कि किश्तों के पुनः निर्धारण कराकर तथा आबुक्ति धनराशि का अंशों में भुगतान किया जाये अथवा इन ऋणों के निर्मित भवनों की लैकर ऋण वापस कर दिये जायें। दूसरी प्रकार के ऋण हैं जो आवास योजनाओं हेतु दुहली से लिये गये हैं उनमें शत प्रतिशत प्रतिदान का उपबन्ध किया गया है। उनमें कोई डिफाल्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने विचार विमर्श के उपरान्त कहा कि उपर्युक्त ने बजट की प्रमुख बातों पर एवं विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है जो ठीक ही है। इसमें मैं आय पदा से महमत हूँ परन्तु केवल उतने ऋणों का प्राविधान किया जाय जिसका उपयोग पूरनगत वित्तीय वर्ष में संभव हो। अध्यक्ष महोदय ने पुनः कहा कि बजट के कुछ मामलों पर व्यापक रूप से विचार करना आवश्यक है अतः एक उप समिति गठित कर दी जाय जिसके विचारार्थ निर्देशनविन्दु इस प्रकार दिये हैं :-

- १- बजट में यह देखा जाय कि उतना ही ऋण का प्राविधान हो जितना वर्ष में उपयोग संभव हो।
- २- व्यय पदा को मनीसक्ति विस्तृत रूप से समीक्षा की जाय।
- ३- उप समिति यह भी देखे कि ऋणों के भुगतान के लिये बजट में निश्चित रूप से प्राविधान हो गया है। जहाँ तक अनुक्ति धनराशि जो ७६ लाख बताई जाती है का पूरन उपदे लिये रिशिड्यूल आदि के लिये समिति को विस्तृत विचार करना होगा अथवा संबंधित ऋण से लने भवनों में अनाधिक होने की दशा में उनमें कटौत की प्रस्तावना की जा सकती है।

४- कार्य सूची की मद संख्या ४, ५, ६ के लिये समिति देखे कि स्टाफ पैरों पर अधिष्ठान की मांग की गई है इसके वेतन आदि में भिन्नता अथवा असमानता न हो और ऐसे परिचयों के लिये बजट में स्पष्ट उपबन्ध रखा जाय ।

५- उप समिति फर्नीचर स्टाफ आदि के परिचय की जागीरी में देखी और पूर्ण मितव्ययता की ध्यान में रखते हुये कम कम सामान खरीदने की अनुमति करेगी । जैसे स्मिल के अलमारी कुर्सी आदि अच्छी खालिगी एवं उच्च दामों की खरीदना आवश्यक नहीं है इसके स्थान पर लकड़ी के कम दामों के फर्नीचर में काम चल सकता है ।

इसी तरह कम दामों की सैशनी जैसे गस्ते किण्व के फार्मल कवा तथा लिफाफे आदि ब्य किये जा सकते है ।

६- लाइसेंस के फर्नीचर के प्राविधान का पूर्ण मितव्ययता के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिये तथा लोहे की अलमारियाँ के स्थान पर लकड़ी की अलमारी तथा कमलाम के फर्नीचर पर विचार करना होगा ।

७- बुका के ब्य हेतु जो प्राविधान किया गया है उस पर भी विशेष समीक्षा की आवश्यकता है तथा मितव्ययता की ध्यान में रखते हुये विचार किये जाना आवश्यक है ।

तदनुसार प्राधिकरण द्वारा एक उप समिति कठित की गई जिसमें

निम्नलिखित सदस्य है :-

- १- आयुक्त एवं सचिव, विद्य विभाग, उच्च प्रदेश शासन द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
- २- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- ३- उपअध्यक्ष, लखनऊ विभाग प्राधिकरण ।

यह उप समिति उपरोक्त निर्देशनों में प्रमाण में सम्पूर्ण तजर प्राविधानों की विस्तृत समीक्षा करते अपना प्रतिवेदन पूरी प्राधिकरण के विभागार्थ शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत करेगी । तब तक

अध्यक्ष को पूर्ण स्वीकृति लेना की जायेगी ।

अध्यक्ष मनोदय ने यह भी निर्देश दिया कि बजट की संस्तुति आस्था प्राप्त होने तथा पारिक होने तक कार्य न करना चाहिये । अतः मिश्रण हुआ कि निम्नलिखित प्रमाणों के अन्तर्गत स्वीकृति पदान की जाती है :-

- १- अधिष्ठान - परसे वेतन जो अत तक दिया जाता रहा है ।

- २- चण्डू योजनाओं पर व्यय
- ३- वैनि आण्डयवतारणों हेतु परामर्शिय (जी प्राधारण स्टैंडर्ड की एवं विनव्ययता के साथ हीगी) पर व्यय ।

४- नई योजनाओं जिनकी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा ही चुकी है ।
अन्त में अध्यादा मन्वीदय न विकास प्राधिकरण में अधिकारी के प्रतिनिधान के संबंध में समस्त समस्या का ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि विकास प्राधिकरण में अधिकारी के प्रतिनिधान अभी नहीं हुए । अतः ही बनाये जाने पर जीर दिया जाय ताकि कार्य सरलता एवं शीघ्रता से सम्पन्न ही सके । इस संबंध में एक उप समिति गठित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य है :-

- १- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- २- आयुक्त एवं सचिव, विन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मनीनीत प्रतिनिधि ।
- ३- उपअध्यदा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त सदस्यों की उप समिति अधिकारी के प्रतिनिधान के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिस पर आगापी विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जायेगा ।

नद सं०-४, ५, ६

अध्यदा मन्वीदय ने कहा कि म द संख्या ४, ५ एवं ६ जी निम्नलिखित है:-

- ४- कानपुर रीड पर नगर प्रसार योजना की भूमि अध्यापित अधिकारी तथा पूरा युनिट लखनऊ विकास प्राधिकरण में खीले जाने के संबंध में ।
- ५- कानपुर रीड नगर प्रसार योजना की भूमि की शीघ अर्जन किये जाने के संबंध में तथा डेवलपमेंट हेतु एक एल०डी०ए० डिविजन हेतु पदों के सृजन के संबंध में ।
- ६- उच्छा वर्ग के १०० भवन, मध्यम आय वर्ग के २५० भवन, अलीगंज योजना में तथा निम्न आय वर्ग के ५०० भवन बनाने हेतु एक अतिरिक्त डेवलप डिविजन खीले जाने के संबंध में ।

इन सभी पदों में अतिरिक्त स्टाफ के लिये पदों के सृजन की प्रस्तावना की गई है । अतएव उचित यह हीगा कि स्टाफिंग पैटर्न पर सामान्य रूप से विचार करने के उपरान्त ही इन पदों के सृजन पर विचार किया जाय । साथ ही प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण के स्टाफिंग पैटर्न की तुलनात्मक विवेचना कर ली जाय तत्पश्चात् ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा । निश्चित हुआ कि उपरोक्त अधिष्ठान संबंधी प्रस्ताव

५/१२/२१

के संबंध में सिद्धान्त स्वयं विचार करने के उपरान्त ही नहीं। के पद सृजित
वास्तव उचित होगा।

पद सं० ७

चौक क्षेत्र में नये स्टीडियम (स्पोर्ट्स स्टेडियम) के निर्माण के संबंध में विचार
लिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी चाही कि क्या नगर के पश्चिमी
क्षेत्र में स्टीडियम बनाना आवश्यक है? उपाध्यक्ष ने इस संबंध में जानकारी देते
हुए बताया कि इस संबंध में गठित उप समिति की बैठक दिनांक ८-५-७६ में
निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है कि लखनऊ की विशाल जनसंख्या को देखते
हुए जो वर्तमान स्टेडियम है वह पर्याप्त नहीं है। इस स्टेडियम पर हर
समय लॉई न लॉई क्रिकेट चलता रहता है जिसके कारण फील्ड को एक दिन
भी ग्रीन नहीं मिलता है और फील्ड की रिपैरिंग तक बाधों से नहीं हो पाती
है। इसके अतिरिक्त शहर के पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में इसकी दूरी
बहुत अधिक है जिसके कारण इन क्षेत्रों के लोअर क्लैस की पर्याप्त व्यवस्था
न होने के कारण मैंगल्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्टेडियम
नीचाई पर स्थित होने के कारण इसकी फील्ड पर खायल वाटर से बहुत नमील
है जिसके कारण फील्ड इंटरनेशनल स्टेडर्ड को नहीं हो पाती है। अध्यक्ष
महोदय ने कहा कि संबंधित परिशुद्धि देखने में स्पष्ट है कि उक्त स्थल पर
रामलीला होती है जिस स्थल पर ऐसे धार्मिक कृत्य होते हैं उनके प्रति लोगों
की जनभावनाएँ होती हैं। इसलिए उक्त स्टेडियम को रामलीला के लिए देने से
दबाव पड़ेगा और बुद्धि से बाधों के लिए स्पोर्ट्स विभाग नियमनुसार स्टेडियम नहीं देता
अतएव जनरेशन भी व्याप्त हो सकता है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी
से भी व्यापक विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त

निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जानी आवश्यक है :-

- (क) स्पोर्ट्स विभाग द्वारा क्या इस कार्य के लिए बजट आवंटित या प्राविधान
किया गया है।
- (ख) क्या स्पोर्ट्स विभाग को शासन से इस निर्माण के लिए स्वीकृति
प्राप्त हो गयी है?
- (ग) इस संबंध में स्पोर्ट्स विभाग को न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता
होगी।
- (घ) इस स्टेडियम में लॉन लॉन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी ?
- (ङ) क्षेत्रीय आधार पर लॉन लॉन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

- ब- इस योजना का कुल फंडाईनेन्सियल आउट ले क्या है ?
- ज- इस योजना के लागूनिवयन हेतु वर्तमान बजट में कितना प्राविधान किया गया है ?
- झ- इस योजना के पूर्ति हेतु आगामी वर्षों के लिये क्या प्राविधान किया गया है ।
- ट- इस स्थल पर किस प्रकार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?
- ठ- यह निर्माण विभाग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने की क्या आवश्यकता है । शासन का पार्लैमैन्टिक निर्माण विभाग क्यों नहीं बन सकता ।
- ड- यह योजना कब तक पूर्ण की जायेगी ?
- ढ- भूमि के हस्तांतरण की क्या नियम और शर्तें होंगी ?
- ण- सार्वजनिक विभाग किस आधार पर भूमि चाहता है ?

अतः यह निश्चय हुआ कि जब तक उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट न की जायें तब तक इस मद पर विचार की स्थिति रखना ही उचित होगा । यह बातें उप समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत की जाय । उप समिति देखेगी क्या इसके अतिरिक्त कोई और जगह दी जा सकती है ।

मद सं०-८

आल इंडिया वीमेन्स वान्फेन्स हास्पल निर्माण हेतु अलीगंज मार्ग एवं नगर विस्तार योजना में ७,५०० वर्ग फीट भूमि देने के संबंध में विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रश्न का एक बहुत ही सज्जम समाधान किया जाना प्रस्तावित है यह नगर में लागू किये गये ५० फुट वर्ग भूखण्डों का समाधान करने में सहायक होगा । उपाध्यक्ष ने प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक सामाजिक प्रश्न है और वरिष्ठ वीमेन्स हास्पल बनाने के लिये ७५०० वर्ग फीट भूमि की मांग की है । प्राधिकरण को इस संबंध में निम्नलिखित दी विन्दुओं पर विचार करना होगा :-

- १- प्रीमियम की दर रू० ५-५० पै० प्रति वर्गफुट से घटाकर २-७५ पै० प्रति वर्गफुट अर्थात् ५० प्रतिशत रूट देने के विषय पर विचार ।
- २- गृह ऋणों के रूप में विकसित करने पर ३३ प्रतिशत बचत के स्थान पर जो पिछले ५० फुट वर्ग या बचत करने के विषय में ।

विचार विमर्श के उपरान्त निश्चय हुआ कि आल इंडिया वीमेन्स वान्फेन्स को लखनऊ नगर में वरिष्ठ वीमेन्स हास्पल निर्माण हेतु ७५०० वर्गफुट भूमि ५-५० पै० प्रति वर्गफुट की दर पर ५० प्रतिशत रूट देकर पदान की जाय तथा यह निश्चय हुआ कि उक्त भूखंड के ५० प्रतिशत भाग को लक्ष्यवित्त ()

उपरोक्त दृष्टि से वरिष्ठ शिक्षक संजिला तथा वास्तुकारों की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जाय।

प्रश्न सं०-६

चैतना कॉलेजियेट की चैतना गिरडी विद्यालय हेतु रीजिस्ट्रारियल स्कूल खोले जाने के संबंध में अलीगंज याचना के अन्तर्गत १८००० वर्ग फुट देने के संबंध में विचारों किया गया। अध्याका मन्दीब ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य सराहनीय है परन्तु इस विषय पर निर्णय लेने के पूर्व निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है :-

- १- क्या शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित खर्च पर निर्माण संबंधी स्वीकृति दी जा चुकी है ?
- २- इस संस्था का बजट कितना है ?
- ३- इस संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है ?
- ४- इस संस्था का स्टाफिंग पैटर्न क्या है ?
- ५- इस संस्था की इस संबंध में क्या याचना है ?
- ६- इस कार्य को सुचारु रूप से वास्तुनिर्माण करने के स्टाफ की प्राविधिक योग्यताएँ क्या हैं ?
- ७- यक्षप्रश्ना ज्ञापन में मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ?
- ८- इस संस्था में कक्षाएँ की संख्या क्या है ?
- ९- इस संस्था के आय के स्रोत क्या हैं ?
- १०- इस मद हेतु संस्था के पास कितना धन उपलब्ध है ?
- ११- इस भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन चित्र में कितने कक्षाएँ प्रस्तावित हैं ?
- १२- इस भवन का वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना निर्माण किया जायेगा तथा आगामी वित्त वर्ष में कितने पूर्ण कर लिया जायेगा ?
- १३- उक्त संस्था की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टें देख ली जाय। उक्त इस संस्था के वर्तमान वृत्त के विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- १४- इसमें अतिरिक्त स्कूल की वार्षिक परीक्षा रिपोर्टें का भी अध्ययन कर लिया जाय।
- १५- संस्था की वास्तुनिर्माण कितनी भूमि दे देने में उपयुक्त काम चल सकता है यह भी देख लिया जाय।

निश्चय हुआ कि चैतना कॉलेजियेट के लिए प्रस्तावित भवन चित्र तथा उपरोक्त की जानकारी प्राप्त की जाने के पश्चात् की विचार किया जाय। इन सभी विन्दुओं पर आस्था आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद सं०-१०

पुराना इलाका नगरपालिका पद्धत योजना के अन्तर्गत अल्प वैतन सहायि गृह निर्माण समिति के भूमि को अर्जन से मुक्त करने विषय पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष ने विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुये कहा कि अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की लागण ली० ४-३-८-१० भूमि नगर महापालिका अब (विकास प्राधिकरण) की उक्त योजना जिसे लागण ७२ लीघा भूमि सम्मिलित के के अन्तर्गत अर्जन करने हेतु महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट दिनांक ८-७-६५ में प्रकाशित हुई थी। महापालिका की विकास समिति ने योजना संबंधी प्राप्त आपत्तियाँ पर विचार करते हुये अपने प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० द्वारा योजना से अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की उक्त भूमि को विकास मूल्य लेकर नियमनुसार मुक्त करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त निर्णय की महापालिका काल में महापालिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका। प्राधिकरण के गठन के बाद में महापालिका अधिनियम का अध्याय १४ जिसके अन्तर्गत महापालिका ऐसी विषयों पर विचार का करती थी भी समाप्त हो चुका है। अतः अब विकास प्राधिकरण को निर्णय लेना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी योजना में एक कर्णेशपुरी (विजय बाउसिंग कार्पोरेशन) समिति कहते है की भी लागण लीघा ६-४-१७-१६ कोर्रफलू भूमि स्थित है यदि अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाता है तो कर्णेशपुरी (विजय बाउसिंग कार्पोरेशन) समिति की भूमि को भी अर्जन से मुक्त करने पर विचार करना होगा। इस प्रकार इस संदर्भ में निम्न लिखित दो बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है :-

- १- उपरोक्त गृह निर्माण समिति की भूमि को योजना के अर्जन से मुक्त करने के संदर्भ में।
- २- अल्प वैतन गृह निर्माण समिति के भूमि का संस्कार विकास व्यय का चार्ज किया जाय, इस पर भी निर्णय लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस प्रकार की गृह निर्माण समितियाँ आवासीय समस्या को सुलझाने में बड़ी कार्य करती है जो विकास प्राधिकरण करता है। इनकी प्रतिपादन पदान करने के लिए एक राज्यादेश हुआ है और सहायि आकर संघ का गठन किया गया है। इन सहायि आवासीय समितियों के प्रार्थना पर आवासीय संघ के अध्यक्ष से आना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि इन समितियों का रजिस्ट्रेशन योजना गजट

जमीनें के पूर्व का क़ानून है और भूमि की रज़ की जा चुकी है तो जमीनें कीदनी होगी । उपाध्यक्ष ने मुख्य अधिगन्ता से पूछा कि क्या उपरोक्त समितियों का उचित रजिस्ट्रेशन तथा भूमि का रज़ कार्य इस योजना के गज़ट में प्रकाशित होने के पूर्व सम्पन्न की जा रहा है ? मुख्य अधिगन्ता के प्राधिकरण की जानकारी देते हुये बताया कि केवल अल्प वेतन गृह निर्माण समिति का रजिस्ट्रेशन उक्त योजना के गज़ट में प्रकाशन के पूर्व हुआ है तथा भूमि का रज़ भी पहले सम्पादित की चुका था । गर्नेशुपु (विजय वाठपिंग काशीरिशम) समिति ने भूमि का रज़ दिनांक १७-३-७१ को किया है ।

जतः निश्चय हुआ कि उपरोक्त राज्यदेश में वर्णित शर्तों के आधार पर अल्प वेतन गृह निर्माण समिति से विकास चार्जज लेने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि समिति विकास चार्ज स्वयं करायेगी और विकास प्राधिकरण इनकी आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर मिनीमम स्पेसिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड करेगा । इसके लिये इनके नियमानुसार सम्भारित किया जायेगा और प्रेस्क्राइब्ड मिनीमम स्पेसिफिकेशन के आधार पर विकास चार्ज न कराये जाने पर विकास प्राधिकरण उस सीमा तक चार्ज स्वयं करायेगा और विकास मूल्य तथा नियमानुसार गिद्धांगिरी आदि उक्त गृह निर्माण समिति से क्यूल करेगा । गर्नेशुपु (विजय वाठपिंग काशीरिशम) समिति के संबंध में निर्णय पट संख्या ११ में विकास चार्ज देह लिया जायेगा ।

पद सं० ११

अर्ल वैदगंज नौतस्ता गढ़क योजना के संबंध में विकास किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया पुमाना वैदगंज एवं नौतस्ता गढ़क योजना महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गज़ट में दिनांक ७-८-६५ को प्रकाशित हुई थी । इससे लगभग ७२ बीघा भूमि सम्मिलित है मगर महापालिका को विकास समिति ने योजना संबंधी पूर्णतः आपत्तियों का विकास चार्ज देते हुये अपने प्रस्ताव सं० ७० दिनांक २३-२-७० परिशिष्ट १ द्वारा यह निर्णय लिया कि घनी आवादी से अधिकृत की को योजना से मुक्त का दिया जाय तथा अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि की भी डेवलपमेंट चार्ज लेना नियमानुसार मुक्त कर दिया जाये ।

विकास समिति के उपरोक्त नियमानुसार योजना संशोधित की गई जिससे अनुमान केवल ५६ बीघा भूमि ही अर्जनीय बिकाली गयी तथा यथानुसार हर्बनामिकय की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ५० दि० १६-५-७३

द्वारा अनुमोदित कर लिया जान्तु, विनाय समिति के उपरोक्त निर्णय की
सहायता लिये तब से पञ्जाब कानून द्वारा अनुमोदन नहीं की गयी जिन पर अब
विनाय प्राधिकरण की निर्णय लेना है।

अब गौजना क्षेत्र की पुनः निर्दिष्टाण विद्यमान गणना जिनके आभाव पर
विशेष ध्यान देना है :

- १- घनी आवादी में अधिकृत क्षेत्र लम्बा ४० बीघा
- २- अल्प वैतन पक्कापि गृह निर्माण लम्बा की ४-३-८-१०
- ३- गनैशपुरी (विजय हाउसिंग कार्पो०) लम्बा की ६-४-१७-१६

घनी आवादी में अधिकृत भाग जिसका क्षेत्रफल ४० बीघा है की
करीब शेष लम्बा ३० बीघा भूमि बचती है यदि अल्प वैतन गृह निर्माण
समिति की भूमि की लम्बा ४-३-८-१० बीघा है अर्जिन में मुक्त की जाती है
तो गनैशपुरी कार्पोरेशन जिसका लम्बा ६-४-१७-१६ बीघा भूमि है की भी
अर्जिन में मुक्त करने तथा क्या विनाय कार्य लिया जाय के विषय पर विचार
करना होगा। इस प्रकार गौजना में केवल २० बीघा ही भूमि बचीगी। इस
संबंध में मुख्य अधिकारी ने बताया कि चूंकि बची हुई भूमि एक स्थान पर नहीं
है और कहीं टुकड़ों में है तथा सब जगहों १० में अल्प वैतन गृह निर्माण समिति
की भूमि की लम्बा की ४-३-८-१० है मुक्त कर दी गई है। अतः इस गौजना की
बाद का विचार करना उचित होगा। गौजना की बाप का दौरे की दशा में गनैशपुरी
(विजय हाउसिंग कार्पो०) निर्माण समिति के कार्य में भी निर्णय लिया जाना
है। इसी निश्चय किया गया कि आरंभ हैदराबाद नौकरता गौजना की बाप का
विचार जाय तथा गनैशपुरी (विजय हाउसिंग कार्पो०) निर्माण समिति की आवाय
संबंध में साध्य में अपना के आरंभप्लान धैर्य की कदा जाय जिन पर विनाय
प्राधिकरण विचार होगा।

सद सं०-१२

राज्य कर्मचारियों की आवायिग भूखंड आवंटन पद्धति पर विचार किया
गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार
व्यक्त करें। यह उन कर्मचारियों के लिये आवायिग भूखंड आवंटन करने के संबंध में
है जो अपने जीवन का पक्कापि समय संस्था व शासन की अर्पण करते है उनके लिये कुछ
करना उचित होगा जैसा कि पक्कापि के लिये किया गया है। सिद्धान्तः विकास
प्राधिकरण की यह नीति अपनाना उचित होगा। उपर्युक्त ने कहा कि प्राधिकरण
के आर्थिक विन की दौरे हुए योग्य सुफाव है कि जिन प्रकार शासन ने पक्कापि
को दिये गये भूट अथवा रियायत का भार वहन किया है उसी मांति राज्य
कर्मचारियों की प्रस्तावित भूट का भार ~~संभालना~~ राज्य सरकार को वहन
करना उचित है और इसके लिये राज्य सरकार में लिया पड़ी की जानी चाहिये

कारणों से यदि विकास प्राधिकरण इस प्रकार की निर्माण योजना को अन्तः संस्थाओं और वर्गों के लोग को इस प्रकार की रियायत की मांग कर सकते हैं। जिससे प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर दुःप्रभाव पड़ सकता है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उच्च प्रेश, लखनऊ, ने उपायवादा के विचारों से सहमति प्रकट की। संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने कहा कि विकास प्राधिकरण को ही मानीमेंकिंग संस्था नहीं है। इस संस्था द्वारा सार्वजनिक सुविधा भी दिया जाना है। उपायवादा ने कहा कि ऐसा होने पर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर दुःप्रभाव पड़ेगा।

विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण सिद्धान्ततः ऐसी रियायत ५० प्रतिशत तक देने को सहमत है लेकिन डिफरेंस आफ रेंट्स का शासन द्वारा प्राधिकरण को रिहम्बर्स - कानून के लिये स्वायत्त शासन विभाग से जोरदार शिफारिस की जाय।

मद सं० १३-

आवास विकास परिषद की तात्कालीन आवास योजना में अध्याप्त आधीनक क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के विषय में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा संशोधित प्लान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाना आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

मद सं० १४-

गाज़ीउद्दीन हैदर बैनारस के विस्थापितों को वैकल्पिक व्यवस्था देने हेतु ग्राम शेखापुर क्येला स्थित फौजलाद रोड पर साइट और यकीनपुर के आधार पर कोर्टे भूखण्ड देने के सम्बन्ध में विचार किया गया उपायवादा ने वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शासन ने निर्णय लिया है कि गाज़ीउद्दीन हैदर बैनारस को पटरियाँ पर अनधिकृत निर्माण को हटाकर बरसाती पानी के निष्कास हेतु एक मुख्य मार्ग विकसित करने के लिए पिंवाई विभाग को हस्तान्तरित करना है। इसका करने के पूर्व विस्थापितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्राविधान करना होगा। इसके लिये ग्राम शेखापुर क्येला में ६६-६३ एकर (२६,०२,४१६ वर्ग फीट) भूमि अर्जित हेतु उपलब्ध है। इसमें लगभग ७ एकर भूमि नजूल को भी सम्मिलित है। चूंकि वर्षों के पहले इनको हटाना है अतएव विस्थापितों को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिये उक्त नजूल भूमि विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर करने के लिये शासन को लिख दिया गया है। इसमें ट्रांन्जिट कैम्प को व्यवस्था की जायेगी। योजना में ४५० वर्ग फीट के भूखण्ड बनाने जायेंगे जो साइट और यकीनपुर योजना के लिए प्रस्तावित है। उपायवादा ने कहा कि यह ठीक है कि निम्न वैकल्पिक व्यवस्था लिये विस्थापित बनाना ठीक नहीं है तथा निम्नलिखित

क्रमशः

बातों पर बल देना आवश्यक है :-

- १- यह देख लिया जाय कि स्लम क्लीनिंग की जगह दूसरा स्लम न बन जाय ।
- २- विस्थापितों को मिनीमम स्थल निर्दिष्ट किया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि विस्थापितों को इतनी भूमि दी जाय जिस पर वे अपनी हैसियत के अनुसार भवन निर्माण कर सकें ।
- ३- उक्त नजूल लैण्ड विकास प्राधिकरण की साइट और सर्वेसैज के लिये स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दी जाय ।
- ४- प्रत्येक विस्थापित अपना साइट और सर्वेसैज के लिये प्राप्त स्थल अपने आवास के लिये ही प्रयोग करेगा । उसको न तो बेच सकेगा और न ही यह भूमि या उस पर बनाया गया भवन किराये पर उठा सकेगा । यदि कोई भी विस्थापित उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी साइट और सर्वेसैज विकास प्राधिकरण बिना कोई प्रतिपत्त दिये वापस ले लेंगे । फिर भूखण्ड विकसित करने पर किया गया व्यय राजस्व की भांति कूल कर लेंगे । विस्थापितों से एक एग्रीमेंट किया जाय उसमें इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस विषय में प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अदालत की शरण नहीं ले सकेगा ।
- ५- उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन से इस संबंध में सबसिडी (अनुदान) के लिये पत्र व्यवहार करें तथा स्थल के लिये विकास हेतु राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य विज्ञीय श्रौतों से निर्गमिशेषण करके विकास प्राधिकरण को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष ने कहा कि इनको मिनीमम सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी जैसे जीवा कनेक्शन, विजली, सड़क आदि जिन पर व्यय २५००/- रूपया आती है । अन्ततः नजूल लैण्ड मांगी जाएगी तथा विस्थापितों को वहां शिफ्ट किया जाएगा । अतः ट्रान्जिट कैम्प जिस नजूल भूमि पर बनाने प्रस्तावित है उसे विकास प्राधिकरण को दे दिया जाय ताकि प्रश्नात जगह अविलम्ब खाली कराई जा सके ।

निश्चय हुआ कि निम्नलिखित उपबन्धों पर गाजीउद्दीन हैदर कैनाल क्षेत्र के नगर के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जाय तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जाय :-

- १- भूमि अध्यापित करने हेतु भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा ४, ६, १७ पर अगिम कार्यवाही की जाये । भूमि प्राप्त होने पर

कामशः

तथा उपरोक्त सभी फार्मोंकी पूरी हो जाने के बाद ही कैनाल एरिया में लोगों को बसाया जाये ।

- २- साइट एवं सर्वेसिज के विकास का परिशिष्ट में वर्णित स्वरूप स्वीकृत किया गया और इस प्रकार कोई प्लॉट (४५० वर्ग फीट) आवंटित किये जायें ।
- ३- गड़क के स्थान पर साइट और सर्वेसिज क्षेत्र में १५ फीट के फुटपाथ से आवागमन अनुमोदित किया गया ।
- ४- जन सुविधाओं का क्षेत्र महाशयोजना में प्रस्तावित क्षेत्र से १।२ रकने को स्वीकृत प्रदान की गयी ।
- ५- विकास प्राधिकरण के पास इस स्कीम के अध्याप्त एवं विकास कार्य को करने के लिए कोई धन उपलब्ध न होने के कारण शासन में अनुदान के लिए पत्र व्यवहार करें । इसके अतिरिक्त भूमि विकास हेतु बैंकों तथा अन्य संस्थागत वित्तीय श्रोतों से उपाध्याय निर्माशिशेषन करें तथा पूर्ण की ही जाने पर प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
- ६- नजूल भूमि जिस पर ट्रान्जिट कैम्प प्रस्तावित किया गया है उसे स्थाई रूप से विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जाये ।
- ७- प्रत्येक विस्थापित इस साइट और सर्वेसिज के रूप में प्राप्त भूखण्ड को आवासीय प्रयोजन में स्वतः प्रयोग करेगा । वह इसे न खेद सकता है और न ही किसी को किराये पर उठान सकता । यदि ऐसा करेगा तो साइट और सर्वेसिज विकास प्राधिकरण को स्वतः वापस माफ़ा जायेगा और इस पर व्यय किया गया धन उसी राजस्व की भांति कूल किया जाय । कोई भी विस्थापित ऐसे निष्ठा के विरुद्ध अदालत की शरण नहीं ले सकेगा ।

(सग ० है ० नुकार)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
तथा
अध्याय
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

B U D G E T 1976-77.

CHAIRMAN'S ADDRESS

SRI S.K.SARKAR, COMMISSIONER LUCKNOW & CHAIRMAN LDA.

Gentlemen,

I have great pleasure in welcoming you to the Second Budget Meeting of the Lucknow Development Authority, after the conclusion of the first financial year the Authority was formed on September 13, 1974).

2. For the Authority the year 1975-76 has been a year of 'search for identity' as one may call it. For the identification of the role it has to play and the tasks it has to perform, an " Integrated Urban Development Plan " has been prepared for the quinquennium 1976-81 in collaboration with the Town and Country Planning Department. This plan has been adopted by the Authority and is under submission to the Government India Ministry of Works and Housing, for provision of requisite finances.

3. Under the Integrated Urban Development Plan, the Authority has to carryout a wide spectrum of functions viz, Housing (Rs. 170 million), Construction of Commercial Complexes (Rs. 78 million), Slum Clearance (Rs. 175 million), Environmental and Ecological Improvement (Rs. 17.6 million) and Land Acquisition, Development & Disposal (Rs. 564.6 million).

4. In physical term, the Integrated City Development envisages a fairly ambitious Housing Programme consisting of

a) Construction of 17,000 tenements for Slum dwellers, 5000 houses for the EWS
2000 LIG houses, 750 MIG houses and 250 HIG houses and

b) Development of 25,000 plots and 8750 sites with services.

Construction of Commercial Complexes at Hazratganj, Nakhas, Latouche Road Railway Dump Alambagh, Chitwapur and also execution of other decongestion schemes viz Transport Nagar, Timber Nagar, Sabzi Mandi and Cattle Colonies is also contemplated. The plan entails Land Acquisition and Development on a fairly large Scale.

5. If the Authority is to carryout such an ambitious programme in the short span of 5 years, an organisation with a " Dynamic culture " where " result orientation " takes precedence over " rule orientation " and supporting financial resources are a must.

6. For revamping the organization to subserve this end, the Hyderabad Administrative Staff College were commissioned by the Authority to carryout studies on the " Organisation

etc

Contd.

Structure " & Managerial Man Power Planning and Performance Budgeting of the Authority. These studies have been completed and the Staff College reports are presently under consideration of the Authority.

7. For resource mobilisation during the first few years the Authority will have to depend upon market borrowings from financial institutions till the assets created by the Authority with market borrowing starts generating surpluses and thus helps the Authority build up its own Revolving Fund. The Authority has during the year 1975-76 successfully negotiated a loan of Rs. 54 lakhs from HUDCO besides the first loan from a Commercial Bank. This is a loan of Rs. 95 lacs obtained from the Central Bank of India for financing the construction of the Hazratganj Commercial Complex. This has been the pace setter for harnessing Bank loans for urban development in Lucknow. Negotiations with other nationalised Banks in respect of the Latouche Road scheme and Nakhas Scheme have reached an advanced stage. The initial response of the Banks for participation in unguaranteed debentures to be floated by the Authority has been encouraging.

8. Another important achievement of the year 1975-76 is the fact that in its very first year of operation the Authority has been able to achieve almost all its budget estimates under various heads of income. On the income-side, the highlights are follows:-

- (a) In Revenue Account against an estimated income of Rs. 1.70 crores the actual income has been of the order of Rs. 1.87 crores.
- (b) In Capital account against an estimated revenue of Rs. 1.30 crores, the actual income has been Rs. 1.41 crores.
- (c) The actual revenue account revenue income of 1975-76 has been almost 300% of the income in 1974-75, and in case of capital account, the income of 1975-76 is almost 200% of the corresponding income for 1974-75.
- (d) In the case of items like premia on leases, old Hire Purchase, Receipts from Nazul, Income from building section, sale of Awas Land, sale/Hire Purchase of Houses, etc. the budget estimates have been achieved over 100%.

9. The two items where there have been shortfalls in budgeted income are:-

- (a) Rent from building-- against a budget provisions of Rs. 14.00 lakhs total recoveries were Rs. 13.05 lakhs.
- (b) Sale of Vikas land--Rs. 48.00 lakhs was budgeted while actual recoveries were only Rs. 46.02 thousand.

As regards the budget shortfalls, quite nominal (less than 5% of the estimated figures). The percentage recovery is

Contd.

As regards the former the shortfall is quite nominal (less than 5% of the estimated figure). This year's recovery is however, about 33% more than the average annual recovery over the last few years. As regards the latter, "stay orders" from courts have been the major obstacle. Nevertheless, the authority may derive satisfaction from the fact that in April, 1976 five important writs have been decided in favour of the Authority by the Lucknow Bench of the High Court involving land with an estimated valuation of Rs. 25.00 lakhs.

10. The performance on the expenditure side, however, has not been of the same order as in the case of the receipts. There have been major shortfalls resulting in a large closing balance of Rs. 1.98 crores on 31 - 3 - 1976. This has been largely due to the fact the technical staff inherited by the Authority from the erstwhile Mahapalika vikas Vibhag needs to be considerably reinforced, to enable carrying out satisfactorily future works involving such large outlays.

The budget for 1976-77 seeks to rectify this inadequacy, and a provision has been made for a Planning wing consisting of Town Planners, Architects etc., (proposed provision is Rs. 6.10 lakhs). Furthermore, budget provision has also been made for creation of a Land Development Division and a Housing Division at a cost of Rs. 2.50 lakhs each. All these provisions are tentative and are subject to the sanction of the ultimate set-up by the competent authority.

11. The highlights of the activities of the Authority on the development side during 1975-76 are as follows:-

- (a) For the first time a colour scheme has been successfully enforced in the case of all non-residential buildings abutting arterial roads. The repairs and painting was carried out by IDA itself and cost was recovered from the occupants of the premises. The scheme has attracted nation wide attention and enquiries have been received from the Bangalore Municipal Corporation and from Bhopal asking for details the State Government have also directed the other for Development Authorities in the State to carry out similar colour washing programmes in their areas on the Lucknow pattern.
- (b) Two major clearance operations have been carried out for implementation of the Authority's commercial schemes in Old Post Office Premises in Hazratganj and the Nakhas area in Chowk.
- (c) HUDCO- Phase II Outlay (Rs. 69.00 lacs) has been nearly completed in record time of one year (consisting of construction of 233 flats for EWS, 85 flats for LIG, 75 for MIG, and 25 for HIG).

Contd.

12. The outlook for the year 1976-77 in the balance may, therefore, termed to be one of hope and encouragement. Since the results of 1975-76 have shown that actual income several times that of the previous year can be achieved by accelerating the pace of development and by imaginative and prudent commercial management, the income estimates for 1976-77 of the order of Rs. 9.81 crores may not be said to be overambitious. On the expenditure side also the experience of 1975-76 indicated that given the necessary organisational and logistic support, LDA can achieve ambitious construction targets.

May I now conclude, gentlemen, wishing the LDA a career of meaningful civic performance during the budget year 1976-77, making it a still better instrument for the good for the citizens of Lucknow. I now ask the vice Chairman to present the budget before the Authority and explain its salient features to the members.

June 15, 1976.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक जी दिनांक १५-६-१९७६ को ४-१० वजे
 अपरान्ह विकास कार्यालय ६, जगदीश चन्द वास मार्ग पर होगी, में
 विषयों की कार्य सूची :-

- मद संख्या १ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ के कार्यों का पुष्टीकरण।
- मद संख्या २ गत बैठक की कार्यवृत्त के कार्यान्वयन प्रगति संबंधी आख्यां
- मद संख्या ३ लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट १९७६-७७ की स्वीकृति के संबंध में।
- मद संख्या ४ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना की भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा पूरा युनिट लखनऊ विकास प्राधिकरण में सौंपे जाने के संबंध में।
- मद संख्या ५ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना की भूमि को शीघ्र अर्जन किये जाने के संबंध में तथा डेवलपमेंट हेतु एक एल०डी०ए० डिविजन हेतु पदों के सृजन के संबंध में।
- मद संख्या ६ उच्च वर्ग के १०० भवन, मध्यम आय वर्ग के २५० भवन अलीगंज योजना में तथा निम्न आय वर्ग के ५०० भवन बनाने हेतु एक अतिरिक्त आवास डिविजन सौंपे जाने के संबंध में।
- मद संख्या ७ चौक क्षेत्र में नए क्रीडांगण (SPORTS STADIUM) के निर्माण के संबंध में।
- मद संख्या ८ आल इंडिया विमान कानपुर लखनऊ की वर्किंग कीमेन्स हास्टल बनाने हेतु अलीगंज योजना में ७५०० वर्ग फुट भूमि देने के संबंध में।
- मद संख्या ९ चेतना सोसाइटी को मैन्टली रिटाईड विल्डन हेतु रेजीडेन्सियल स्कूल सौंपे जाने के संबंध में अलीगंज योजना के अन्तर्गत १८,००० वर्ग फुट भूमि देने के संबंध में।
- मद संख्या १० पुराना हैदरगंज नौबस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत अल्प वित्त सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के संबंध में।
- मद संख्या ११ आल हैदरगंज नौबस्ता स्कीम के संबंध में।
- मद संख्या १२ राज्य कर्मचारी को आवासीय भूखंड आवंटन पद्धति पर विचार।
- मद संख्या १३ आवास विकास परिषद् के तालकटोरा आवास योजना में अध्याप्त औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के लिये में मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माणक द्वारा संशोधित प्लान को स्वीकृत एवं हस्ताक्षर हेतु।

सद संख्या १४ गाजीउद्दीन हैदर कैनल के विस्थापितों की तकलिक
वाकस्था देने हेतु ग्राम शेरपुर कौला स्थित फौजाबाद
रोड पर साइट और मक्कीज के आधार पर हीट्टे मुण्ड
दने एवं उसी संबंधित समस्याओं पर विचार

सदसंख्या १५ अध्यक्ष श्रीहोदय की अनुमति प्रस्तुत कोई अन्य विषय।

विषय :- कानपुर रोड योजना की भूमि को शीघ्र अर्जन किये जाने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी का पूरा यूनिट लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ खोले जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना जिसका क्षेत्रफल 4,232 एकड़ है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-76 में नोटीफिकेशन हेतु स्वीकृत की गयी थी । यह एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को इन्टीग्रेटेड सिटी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया है । कानपुर रोड पर कई विशेष इन्डस्ट्रीज जैसे स्कूटर इन्डिया इत्यादि के खुल जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस क्षेत्र की भूमि का प्राप्ति यूटीलाइजेशन किया जाये । इस योजना का अर्जन चार साल में पूरा किया जाना प्रस्तावित है और इस योजना का प्लान डेवलपमेन्ट, वर्ष 1981 तक पूरा किया जाना है । वर्ष 1976-77 के बजट में इस योजना के अन्तर्गत 2000 साइट स्पड सर्विसेज उपलब्ध कराना है, ताकि इन छोटे-छोटे प्लॉट पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को बसाया जा सके । इस वित्तीय वर्ष में 580 एकड़ भूमि पर अर्जन की कार्यवाही पूरी करके इसका कब्जा लेना है जिसके लिए लैन्ड एकोजीशन अक्ट की धारा 17 के प्रयोग करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है ।

योजना के भूमि को अर्जित करने, प्रतिकार तथा कास्ट आफ एकोजीशन का विवरण निम्न प्रकार है :-


A. Total land for acquisition	6,770 bigha (or 4,232 acre)
B. Standard kiaguzari for on Spl. L.A.O. (Bo.No. 9355-459/10 (IA)-29/A/73 dated 18.8.1973.	600 acres
C. No. of Spl. L.A.O. units required Complete the above acquisition in 4 years.	2
D. Estimated total compensation (6,770 x 3000/-)	Rs. 2,03,10,000/-
E. Cost of acquisition - (10%) (Bo. No. 1662-1716/10 (IA)-94/65 dated 18.2.1976	Rs. 20,31,000/-
F. Total cost of establishment of one Spl. L.A.O. unit per year	Rs. 1,27,588.80
G. I- Establishment cost of one unit for four years.	Rs. 5,10,355.20
II- Establishment cost of two units for four years.	Rs. 10,20,710.40
H. I- Saving if one units is deployed (E-G) (II)	Rs. 5,20,614.80
II- Saving if two units are deployed (E-G) (II)	Rs. 10,10,259.60


4/(2)

एक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा उसके एक पूरे यूनिट के अधिष्ठान पर रमया 1,28,000/- के खर्च का अनुमान है । योजना की महत्त्वता तथा इस दृष्टि से कि इन्टीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार इसका लक्ष्य शीघ्र ही पूरा किया जा सके । यह आवश्यक है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ ही एक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा उसके एक पूरे यूनिट के पदों का सृजन कर दिया जाये । इस समय जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं का अर्जन का कार्य देखते हैं । उसकी अर्जनों की कार्यवाही में कुछ विलम्ब हो जाता है और उनके द्वारा इतनी बड़ी योजना^{की} अर्जन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में बड़ी कठिनाई होगी ।


आकड़ों को देखते हुए यह विकास प्राधिकरण के हित में होगा कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कम से कम एक पद और उसके साथ उसकी पूरे यूनिट के पदों का सृजन किया जाये । इसके अधिष्ठान पर जो व्यय आयेगा उसका प्रविधान इस वित्तीय वर्ष के बजट में भी करना होगा ।

अतः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के एक पद तथा उसके पूरे यूनिट के पदों के सृजन हेतु (जिसके अधिष्ठान पर प्रत्येक वर्ष में रमया 1,28,000/- खर्च सम्भवेगा), यह मामला विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ~~15-6-76~~ 15-6-76 में विचार हेतु तथा निर्णायार्थ प्रस्तुत है । इसके अधिष्ठान का विवरण साथ में संलग्न है ।


मुख्य अभियन्ता


सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।


उपाध्यक्ष

विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी की एक ईकाई का न्यूनतम अनुमानित व्यय एवं पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर	समस्त भत्तों सहित न्यूनतम वेतन	समस्त पदों का एक माहका वेतन
1-	विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी	1	₹ 550-30-700 दर 10-40-900 दर 50-1200	₹ 1,500-00	1x1,500-00 = ₹ 1,500-00
2-	रीडर क्रम अहलमद	1	₹ 230-6-290 दर 10-8	₹ 376-80	1x376-80 = ₹ 376-80
3-	अहलमद	4	₹ 200-5-250 दर 10-380 ₹ 280-दर 10-320	₹ 326-00	4x326-00 = ₹ 1,304-00
4-	लिपिक	2	— तदैव —	₹ 326-00	2x326-00 = ₹ 652-00
5-	अमीन	7	— तदैव —	₹ 338-00	7x338-00 = ₹ 2,366-00
6-	चेनमैन	7	₹ 165-2-185 दर 10-3-215	₹ 271-40	7x271-40 = ₹ 1,899-80
7-	प्रासेस सर्वर	3	— तदैव —	₹ 271-40	3x271-40 = ₹ 814-20
8-	कार्यालय चपरासी	2	— तदैव —	₹ 275-90	2x275-90 = ₹ 551-80
9-	अदली चपरासी	1	— तदैव —	₹ 271-40	1x271-40 = ₹ 271-40
10-	वाटरमैन कम चौकीदार	1	— तदैव —	₹ 271-40	1x271-40 = ₹ 271-40

योग = ₹ 10,007.24

12 महीने का वेतन आदि ₹ 10,007-40 x 12

₹ 1,20,088-80

यात्रा भत्ता

₹ 5,000-00

कार्यालय व्यय (Contingency)

₹ 2,500-00


₹ 1,27,588-80


A. Total land for acquisition	6,770 bigha (or 4,232 acre)
B. Standard kiaguzard for on Spl. L.A.O. (Bo. No. 9355-459/10(IA)-29/A/73 dated 18.8.73	600 acres
C. No. of Spl. L.A.O. units required complete the above acquisition in 4 years.	2
D. Estimated total compensation (6,770 x 3000/-)	Rs. 2,03,10,000/-
E. Cost of acquisition - (10%) (Bo. No. 1662-1716/10(IA)-94/65 dated 18.2.1976	Rs. 20,31,000/-
F. Total cost of establishment of One Spl. L.A.O. unit per year	Rs. 1,27,588.80
G. I- Establishment cost of one unit for four years	Rs. 5,10,355.20
II- Establishment cost of two units for four years.	Rs. 10,20,710.40
H. I- Saving if one units is deployed (E-G) (II)	Rs. 15,20,614.80
II- Saving if two units are deployed (E-G) (II)	Rs. 10,10,259.60

आईटम संख्या -5


सूचना विकास प्राधिकरण ने अपने संकल्प दिनांक 25-7-76 द्वारा कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (4232 एकड़) तथा नेपियर रोड पार्ट III योजना (70 एकड़) भूमि अर्जन की स्वीकृत प्रदान की। इन योजनाओं के अधीन भूमि अर्जन तथा विकास कार्य भी बड़े पैमाने से किया जाना है इसके साथ इन्टीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेन्ट प्लान को विकास प्राधिकरण ने दिनांक 22-11-75 को स्वीकृत किया और जो भारत सरकार को भेजा जा चुका है उसमें भी कई योजनाओं जैसे : ट्रान्सपोर्ट नगर, टिम्बर नगर तथा कैटिल कालोनी बनाने का प्राविधान किया गया है। इन्टीग्रेटेड प्लान के अधीन 1599 हेक्टेयर्स भूमि के अर्जन तथा विकास का प्राविधान किया गया है जिस पर लगभग 57 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए 1976-77 के बजट में 1.85 करोड़ भू अर्जन के लिए तथा रमया 2.30 करोड़ भू विकास के लिए प्राविधान किया गया है। भू अर्जन तथा विकास के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि एक इन्जीनियरिंग डिविजन का सृजन और किया जाये यदि आवास एवं विकास परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की माप दण्ड दृष्टिगत रखा जाये जहाँ पर एक डिविजन एक वर्क में लगभग 60 लाख से 80 लाख रुपये के कार्य की क्षमता रखता है इस दशा में बजट में प्रस्तावित कार्यों के लिए लगभग चार डिविजन की आवश्यकता पड़ती वहाँ केवल एक और नये डिविजन का सृजन करना पूरी तरह से न्यायसंगत है। इस कार्य के लिए बजट में 2½ लाख रुपये का प्राविधान के पृष्ठ संख्या 15 मद संख्या 3क-19 (II-क) पर प्रस्तावित है। इस डिविजन के लिए जिन पदों तथा अनुवाचित क्रम देय होगा परिशिष्ट 5 में संलग्न है इसकी स्वीकृत वांछनीय है।


मुख्य अभियन्ता


सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।


उपाध्यक्ष

1976-77 में अधिष्ठान पर व्यय

क्रम सं०	पदनाम	वैतनक्रम	प्रति माह वेतन	
1-	अधिराशी अभियन्ता	650-70-1400	₹ 1200/- प्रत्येक	₹ 1200/-
2-	सहायक अभियन्ता	500-30-650-40 850-50-1150	₹ 800/- प्रत्येक	₹ 3200/-
3-	अवर अभियन्ता	280-8-320-9- 410-10-440-12-464	₹ 400/- प्रत्येक	₹ 6400/-
4-	प्रधान लिपिक	240-8-280-9-370 -10-400-12-424	₹ 450/-	₹ 450/-
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	195-5-220-6- 280-7-315	₹ 325/- प्रत्येक	₹ 650/-
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	185-4-225-5 -250-6-280	₹ 300/- प्रत्येक	₹ 600/-
7-	स्टेनो	240-8-280-9-370- 10-400-12-424	₹ 400/- प्रत्येक	₹ 400/-
8-	टाइपिस्ट	185-4-225-5- 250-6-280	₹ 300/- प्रत्येक	₹ 300/-
9-	चपरासी	165-2-185-215	₹ 225/- प्रत्येक	₹ 1125/-

योग ₹ 14,325/-

बारह माह का वेतन

₹ 1,71,900-00

महगाई भत्ता, बढ़ोतरी एवं
अवकाश वेतन

₹ 30,000-00

एक जीप तथा उस पर पेट्रोल आदि
का खर्च एवं इन्सुरेंस और सड़की वर्दी

₹ 48,000-00

योग ₹ 2,49,900-00

Says ₹ 2,50,000-00

सखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आभ्या

सखनऊ विकास प्राधिकरण में इस समय हुडको द्वारा स्वीकृति असीगंज फेज I और II की योजनाओं के अधीन उच्च आय वर्ग के लिए 33, निम्न आय वर्ग के लिए 85 भवनों का (बचे हुए) निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त असीगंज फेज III के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 1000 भवनों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इन भवनों के अतिरिक्त इस वर्ष उच्च आय वर्ग के लिए 100 भवन, मध्यम आय वर्ग के लिए 250 भवन तथा निम्न आय वर्ग के लिए 500 भवनों के निर्माण किये जाने का विचार किया गया है और इसके लिए बजट में सब मिलाकर लगभग 2.95 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

इन्टीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान की जो पंच वर्षीय योजना भारत सरकार की भेजी गई है उसमें आवास के अन्तर्गत 8000 भवनों के बनाने का प्राविधान किया गया है और इसी/वर्ष को दृष्टिगत रखते हुये सखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 1976-77 के बजट में जैसाकि उपर लिखा जा चुका है प्राविधान किया गया है। पीओडब्ल्यूडीओ के माप बण्ड को यदि दृष्टिगत रखा जाय जिसके अन्तर्गत एक डिविजन लगभग 60 लाख से 80 लाख रुपये तक का कार्य कर सकता है तो बजट में प्राविधान कार्यों के लिये लगभग 4 डिविजनों की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समय आवास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण में एक डिविजन है। अतः एक और डिविजन जिस पर एक वर्ष में लगभग 2-5 लाख रुपया व्यय होगा और जिसका प्राविधान बजट के फेज संख्या 15 के मद संख्या 3-क-19(II-ख) में किया गया है, का प्रस्ताव सखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस डिविजन के लिए जिन पदों तथा उनका वेतन क्रम होगा परिशिष्ट 6 में संलग्न है इसकी भी स्वीकृति वाहनीय है।

11/11/76
मुख्य अभियन्ता

11/11/76
सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायें।

11/11/76
उपाध्यक्ष

1976-77 में अधिष्ठान पर व्यय

क्रम सं०	पदनाम	वेतनक्रम	प्रति माह वेतन	
1-	अधिराशी अभियन्ता	650-50-1400	₹ 1200/- प्रत्येक	₹ 1200/-
2-	सहायक अभियन्ता	500-30-650-40 850-50-1150	₹ 800/- प्रत्येक	₹ 3200/-
3-	अवर अभियन्ता	280-8-320-9- 410-10-440-12-464	₹ 400/- प्रत्येक	₹ 6400/-
4-	प्रधान लिपिक	240-8-280-9-370 -10-400-12-424	₹ 450/-	₹ 450/-
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	195-5-220-6- 280-7-215	₹ 325/- प्रत्येक	₹ 650/-
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	185-4-225-5 -250-6-280	₹ 300/- प्रत्येक	₹ 600/-
7-	स्टेनो	240-8-280-9-370- 10-400-12-424	₹ 400/- प्रत्येक	₹ 400/-
8-	टाइपिस्ट	185-4-225-5- 250-6-280	₹ 300/- प्रत्येक	₹ 300/-
9-	चपरासी	165-2-185-215	₹ 225/- प्रत्येक	₹ 1125/-
				योग ₹ 14,325/-
				बारह माह का वेतन
				₹ 1,71,900-00
				महगाई भत्ता बढ़ोतरी एवं अवकाश वेतन
				₹ 30,000-00
				एक जीप तथा उस पर पेट्रोल आदि का खर्च एवं द्वाइवर और उसकी वर्दी
				₹ 48,000-00
				योग ₹ 2,49,900-00
				₹ 2,50,000-00

Say: ₹ 2,50,000-00

शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्टैडियम के निर्माण के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव संख्या २४ दिनांक २२-११-७५ द्वारा इस विषय पर विचार करने के लिये एक उप समिति का गठन किया था। उप समिति ने इस विषय पर दिनांक ८-४-७६ को विचार किया (कार्यवाही की प्रति संलग्न है) जिसका सारांश निम्न है :-

- १- स्पोर्ट्स विभाग के द्वारा वांछित राम मनोहर लीडिया पार्क में भूमि न देकर इसी क्षेत्र में स्थित श्री लाठीविक पीटिस संघ की भूमि इस विभाग को उक्त निर्माण हेतु दी जा सकती है।
- २- उक्त भूमि का कुछ भाग नीचा है अतः महापालिका इस समतल करने हेतु व्यवस्था करें।
- ३- स्टैडियम के निर्माण के लिये स्पोर्ट्स विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि प्राधिकरण को दे दी जावेगी और प्राधिकरण निर्माण की एग्रेसी होगा। इस कार्य के लिये प्राधिकरण सैन्ट्रल चांसेज नहीं लेगा।
- ४- प्रश्नगत भूमि पर राम लीला होती है अतः स्पोर्ट्स विभाग को राम लीला के लिये स्टैडियम देना होगा।

इस संबंध में स्पोर्ट्स विभाग ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है तथा स्पोर्ट्स विभाग से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें उक्त भूमि को रु० ११- टैंकन प्रीमियम पर देने की मांग की गई है।

अतः स्पोर्ट्स विभाग को चीक स्थित लाठीविक पीटिस संघ की लगभग ६ एकड़ भूमि देने तथा उक्त भूमि स्टैडियम के निर्माण से संबंधित सैन्ट्रल चांसेज स्पोर्ट्स विभाग द्वारा प्राधिकरण को देय न होगी, से संबंधित विषय प्राधिकरण के विचाराधीन प्रस्तुत है।

18/4/76
सचिव,

18/4/76
मुख्य अभियन्ता,

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाया।

18/4/76
उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२-११-७५ के संकल्प संख्या २४ द्वारा गठित उपसमिति की बैठक जो कि विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक ८-११-७६ को सायंकाल ५ बजे हुई की कार्यवाही:

उपस्थित

१- श्री आर०आर० शाह	समापति(अध्यक्ष)
२- श्री जे०पी० दुबै	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश
३- श्री मधुकर गुप्त	उप सचिव, स्पोर्ट्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
४- श्री आर०के० सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
५- श्री कै०डी० सिंह	एए०सचिव निदेशक, काउन्सिल आफ स्पोर्ट्स उ० प०
६-	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

श्री कै०डी० सिंह ने कहा कि लखनऊ की विशालता तथा जनसंख्या को देखते हुए जो वर्तमान स्टेडियम है वह बहुत कम है। इस स्टेडियम पर हर समय कोई न कोई टूर्नामेंट चलता रहता है जिसके कारण फील्ड को एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिल पाता और फील्ड की रिपैयरिंग तक कायदे से नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त शहर के पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र से इसकी हूनी बहुत अधिक है जिसके कारण इन क्षेत्रों के बच्चे विलकुल नगलैट हो जाते हैं। शासन ने यह नीति निर्धारित की है कि प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम ८ वर्षों की आयु के आठ आठ बच्चों को आठ सालों में प्रशिक्षण दिया जाय परन्तु जगह के अभाव में यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्टेडियम नीचाई पर स्थित होने के कारण इसकी फील्ड सब स्वा ल वाटर से बहुत नजदोक है जिसकी वजह से फील्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को नहीं पा पाती है। अतः खेलों को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि शहर के हर क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाय जिससे उदयमान खिलाड़ियों को सही ढंग से कोच किया जा सके।

समिति के सभी सदस्य श्री कै०डी० सिंह के विचारों से सहमत थे तथा सभी की राय थी कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र में एक स्टेडियम होना बहुत आवश्यक है। श्री मधुकर गुप्त ने वर्तमान राम मनाहर लीटिया पार्क में जो वह भाग जो कि स्टैंडर्ड ग्राउन्ड के रूप में इस समय प्रयोग हो रहा है को इस कार्य हेतु प्रस्तावित किया। श्री शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में यही केवल एक खुला हुआ मैदान है जिसमें अकार प्रदर्शनी मेले तथा वड़ी वड़ी जन सभाये होती रहती है। स्पोर्ट्स स्टेडियम बन जाने पर इन सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना मुश्किल होगा। उन्होंने यह जानना चाहा कि स्टेडियम हेतु कम से कम कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। श्री मधुकर गुप्त ने बताया कि ६ से ८ एकड़ भूमि इस कार्य हेतु काफी होगी।

क्रमशः ---

श्री शाह ने कहा कि प्रश्नगत भूमि के पास एक भूमि खाली पड़ी है जोकि पॉर्टर ग्राउन्ड के नाम से विख्यात है। यह भूमि लगभग ७ एकड़ है। इस पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का विचार किया जा सकता है श्री बाबू ने कहा कि इस भूमि का आधा भाग उचा है तथा आधा भाग लगभग ४ फीट नीचा है। अतः स्टेडियम के निर्माण से पहले महापालिका इसी बूड़े से भरवा दे ताँ उचित रहेगा। सिद्धान्तः उप समिति ने इस भूमि पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों ने यह जानना चाहा कि स्पोर्ट्स विभाग इस स्टेडियम के निर्माण पर कितना खर्च करेगा तथा निर्माण किस एजेंसी के द्वारा करवाया जायेगा। श्री मधुकर गुप्त ने यह बताया कि विभाग इस पर फिलहाल १० लाख रुपया तक खर्च करने का विचार रखता है। यह धनराशि चार चरणों में खर्च की जावेगी। प्रथम चरण में २-५० लाख रुपया व्यय किया जायेगा। सदस्यों ने यहमांग की कि स्पोर्ट्स विभाग इस विषय में अपनी योजना का विवरण जिसमें इस वर्ष में बजट में उपलब्ध धन तथा आगे का सम्पूर्ण फंड प्रोग्राम दिया गया हाँ प्रस्तुत करें। साथ ही स्टेडियम के प्लान तथा एलीवेशन प्रस्तुत करें। श्री मधुकर गुप्त ने यह भी बताया कि स्पोर्ट्स विभाग का सारा निर्माण पी०डब्ल्यू०डी० करता है अतः यह निर्माण भी पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा ही संपादित किया जायेगा।

श्री शाह ने प्रस्ताव रखा कि यहाँ न यह कार्य विकास प्राधिकरण कराये। श्री मधुकर गुप्त ने कहा कि पी०डब्ल्यू०डी० स्पोर्ट्स विभाग से सुपरविजन चार्ज नहीं लेता। यदि प्राधिकरण भी सुपरविजन चार्ज न ले ताँ स्पोर्ट्स विभाग को प्राधिकरण से निर्माण रखवाने में कोई आपत्ति न होगी। सभी सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि स्पोर्ट्स विभाग के निर्माण हेतु सुपरविजन चार्ज न लेने का विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

श्री शाह ने कहा कि यदि स्पोर्ट्स विभाग इस भूमि का स्वामित्व लेना चाहेगा ताँ उसे एक बड़ी धनराशि भूमि की कीमत के रूप में प्राधिकरण को देनी होगी। उचित होगा यदि स्पोर्ट्स विभाग केवल भूमि को स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में प्रयोग करने का अनुबंध प्राधिकरण से कर ले और भूमि के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि को स्टेडियम के विकास पर लावे। इस प्रकार कम खर्च में अच्छा स्टेडियम बन जावेगा। सदस्यों का कहना था कि प्रश्नगत स्थल पर राम लीला हाँती है अतः स्पोर्ट्स विभाग को स्टेडियम राम लीला करने की स्वीकृति देनी होगी।

इसके पश्चात् बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुये समाप्त हो गई।

ह० वार० शाह

१७-५

अध्यक्ष,

प्रशासक
Rm. 10
17/5/50

प्रतिलिपि: पत्र संख्या एस०पी० ७५३।७६-४२एस०पी०।७५ दिनांक २६-२-७६ प्रेषक,
श्री राज कुमार भागवत, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण
अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्पीटस अनुभाग

दिनांक २६-२-७६

विषय: स्टैडियम के निर्माण हेतु प्रतिशत प्रसर (सैन्टैज चांजेज) का न लिया जाना ।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में स्टैडियमों का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है । इस संबंध में जो आगणन जिलों में नियुक्त अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त हुये हैं उसमें १५ प्रतिशत प्रसर (सैन्टैज चांजेज) दिखाया गया है । जिलों में स्टैडियम के निर्माण स्थानीय योगदान तथा काश्कीय अनुदान से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है । वित्त विभाग ने सूचित किया है कि वित्त हस्त पुस्तिका संड भाग ५ में ७-४-६६ को हुई संशोधन के अनुसार सैन्टैज चांजेज केवल उन्ही कार्यों पर लागू होंगे जो निजी व्यक्तियों । संस्थानों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित कराये जाये और शासन के किसी विभाग के लिये किये जाने वाले कार्यों पर नहीं दिये होंगे ।

अतः मुझसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि आप अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ता को स्टैडियम के निर्माण हेतु सैन्टैज चांजेज १५ प्रतिशत न लेने के आदेश जारी कराने की कृपा करें । मुझे यह भी अनुरोध करना है कि अलीगढ़, रायबरेली बलरामपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा जहाँ आगणन बन चुके हैं को यह आदेश देने की कृपा करें कि उनके द्वारा बनाये गये आगणन तदनुसार संशोधित किये जाय ।

संख्या एस०पी० ७५३।(१)।७६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- १- सभस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश
- २- निदेशक सेलकूद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ३- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-२
- ४- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-३
- ५- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-१।
- ६- पर्वतीय विकास अनुभाग-२

राम कुमार भागवत

Pranishank

प्रतिलिपि: पत्र संख्या एस०पी०।३३२४।७६ दिनांक २२-४-७६ प्रेषक, राजकुमार भार्गव, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्पोर्ट्स विभाग सेवा में श्री आर०आर० शाह, प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ।

विक्टोरिया पार्क की भूमि स्टैडियम के लिये स्पोर्ट्स विभाग की हस्तांतरित किये जाने के संबंध में दिनांक ८-४-७६ को हुई बैठक के अनुक्रम में मैं मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि यदि विक्टोरिया पार्क की भूमि स्पोर्ट्स विभाग की उपलब्ध कराना संभव न हो तो उसके सामने स्थित श्री लाडोविक पौंटेर संघ खेल मैदान की लगभग ६ एकड़ भूमि यदि विभाग की उपलब्ध करा दी जाय तो इसी विभाग की कोई आपत्ति नहीं होगी।

२- यह भूमि काफी उबड़ खाबड़ है तथा इस पर सड़क होने भी बतलाये जाते हैं अतः यह अनुरोध है कि यदि भूमि की उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया जाता है तो नगर महापालिका स्वयं इसे भरवाने की व्यवस्था कर दें।

३- सामान्यतः स्पोर्ट्स विभाग स्टैडियम का निर्माण ग्राभीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से करता है किन्तु प्राधिकरण के मतानुसार विभाग की निर्माण प्राधिकरण के माध्यम से कराने में आपत्ति नहीं है। प्रतिबंध यह है कि निर्माण कार्य के लिये प्रशासकीय व्यय देना नहीं होने चाहिये क्योंकि ग्राभीण अभियन्त्रण सेवा अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पोर्ट्स विभाग के जो निर्माण कार्य कराये जाते हैं उन पर भी सैन्ट्रल चांसेज देय नहीं है। अतः प्राधिकरण की भी इस प्रकार के चांसेज देना संभव न हो सकेगा। सैन्ट्रल चांसेज से मुक्ति के संबंध में प्रशासिक आदेश की प्रतिलिपि आपके सूचनाथी संलग्न है।

४- प्रस्तावित स्टैडियम के प्रारंभिक नक्शे एवं आगणन आपकी शीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

६- कृपया इस मामले में आप अंतिम निर्णय अति शीघ्र लेकर अवगत कराने का कष्ट करें।

यशम

Prasad
AE

प्रतिलिपि पत्र संख्या, एस०पी० १८१०/७५-३७६ एस०पी०/७५ दिनांक २० मई १९७६
 प्रेषक श्री वीरभद्र सिंह यादव, उप सचिव, स्पोर्ट्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन सेवा में
 आर०आर०साह प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ।

कृपया श्री राजकुमार भागीव के पत्र संख्या एस०पी०-१३२४/७६-३७६-

एस०पी०/७५ दिनांक २२ अप्रैल, १९७६ का अवलोकन करें जो कि चौक क्षेत्र में स्टैडियम
 के निर्माण हेतु लाहौविक पोर्टस संघ खेल मैदान की लगभग ६ एकड़ भूमि स्पोर्ट्स विभाग का
 को उपलब्ध कराने के संबंध में है।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उक्त भूमि स्पोर्ट्स
 विभाग ह० १।- प्रति साल के लीज रेंट पर लें के लिये सहमत है किन्तु उक्त भूमि
 स्पोर्ट्स विभाग को उपलब्ध कराये जाने के बारे में अभी तक कोई प्रगति सूचित नहीं
 की है गई है। अतः कृपया भूमि ह० १।- प्रति साल के लीज रेंट पर शीघ्र उपलब्ध
 कराने की कृपा करें ताकि स्टैडियम का ले आउट प्लान एवं आगणन बनवाने की
 कार्यवाही आरंभ की जा सके और यह भी निणय लिया जा सके कि निर्माण कार्य
 नगर पालिका लखनऊ अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से किया जावे।
 यदि निर्माण कार्य नगर महापालिका लखनऊ द्वारा ही किया जाता है तो
 सैन्टेज चांसेज इस विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा जैसाकि सदरित पत्र के साथ
 आपकी प्रेषित आदेश संख्या एस०पी० ७५३/७६-४२७ एस०पी०/७५ दिनांक २६ फरवरी,
 १९७६ से स्पष्ट है।

कृपया टाउन प्लानर वू प्रिन्ट तथा आगणन बनवाने के लिये आपकी द्वारा किये
 गये प्रयत्न की अद्यावधि प्रगति, यदि कोई, हो तो बताने का कष्ट करें।

श्री म न ल

P. m. n.

6 प्रेसिडेंट आल इन्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस लखनऊ ब्रान्च ने प्री वरकित वीमेन्स हास्टल बनाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण से 7,500 वर्ग फुट भूमि हेतु अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25-2-76 द्वारा आग्रह किया था। उपरोक्त संस्था को अलीगंज आवास योजना में 7,560 वर्ग फुट का एक भूमि रकबा 5-50 प्रति वर्ग फुट के प्रीमियम की दर पर आवंटित करने हेतु आग्रह किया गया था। इस प्रकार प्रस्तावित भूखण्ड का मूल्य रकबा 41,580/- मात्र है प्रेसिडेंट आल इन्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस ने अपने पत्र दिनांक 2-4-76 द्वारा यह अनुरोध किया कि अलीगंज आवास योजना का जो भूखण्ड उनको आफर किया गया है उसके प्रीमियम के दर में 50% प्रतिशत Cession कर दिया जाये क्योंकि यह भूखण्ड उनको एक Social Organisation हेतु चाहिए। इस प्रकार के मामले पर विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-1975 को प्रस्ताव सं० 7 द्वारा जो नीति अपनाई थी उसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ सलंगन हैं।

विमेन्स हास्टल एक व्यक्तिगत आवास न होकर ग्रुप हाउसिंग के स्वरूप में विकसित करना प्रस्तावित है। अतः ग्रुप हाउसिंग कैम्प्लिये महा योजना में आरक्षित क्षेत्र एवं एफ०ए०आर० जो क्रमशः 33% और 150 प्रस्तावित है सूचित किया गया था प्रेसिडेंट आल इन्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस लखनऊ ब्रान्च ने उक्त प्रस्तावित कवरेज में कूट चाही है और आग्रह किया है कि ~~ये~~ इस कूट को 33% से बढ़ा कर 50% कर दिया जाये जिस पर वे एक लिमेन्जली विडिंग बनायेंगे। अतः एफ०ए०आर० में कोई परिवर्तन आने की सम्भावना न रहेगी। दर में कूट प्रदान करना ~~सब~~ महायोजना में प्रस्तावित कवरेज को बढ़ाना नीति का विषय है। अतः प्राधिकरण के सम्मुख इस आग्रह के साथ प्रस्तुत है कि निम्नलिखित दो विन्दुओं पर निर्णय ^{लिया} जायें:-

- (1) प्रीमियम के दर 5-~~50~~ प्रति वर्ग/ ^{फुट} से घटाकर ₹० 2-75 पैसे प्रति वर्ग फुट अर्थात् 50% ~~के~~ कूट देने के विषय पर।
- (2) ग्रुप हाउसिंग के रूप में विकसित करने पर 33% के कवरेज के स्थान पर भी प्लान 50% का कवरेज करने के विषय में।

मुख्य अभियन्ता

सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(हस्ता०)
उपाध्यक्ष

दिनांक 25 जुलाई, 1975 को अपरान्ह 3 बजे प्राधिकरण कार्यालय
(6- जगदोश चन्द्र बीस मार्ग) स्थित नवोन कमेटो हाल में हुई लखनऊ
विकास प्राधिकरण को बैठक का कार्य वृत्त:-

मद सं० 7:-10

=====

निजोशैक्षिक संस्थान, निजो निःशुल्क चिकित्सालय तथा समाज
कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण को भूमि रियायती दर पर दिये
जाने के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित नीति के साथ
विवार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजो शैक्षिक, चैकित्सिक
एवं समाज कल्याण संबंधी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक एवं दानोत्तर संस्थाओं
को भूमि मांगे जाने पर भूमि को बाजार दरों में 50% प्रतिशत को सोमा
तक कूट दो जाय ऐसे संस्थाओं को भूमि का आवंटन प्राधिकरण स्वयं करेंगे ।

8/11

ALL INDIA WOMEN'S CONFERENCE
(LUCKNOW BRANCH)

PREMBHAWAN
103, FAIZABAD ROAD
LUCKNOW - 7

DATED: February 25, 1976

To,

The Administrator,
Nagar Mahapalika,
Lucknow.

Dear Sir,

Reference our meeting with you, we write to inform you that we require 7500 sq. ft. of land to build a working women's hostel, for which Government of India has sanctioned a grant of Rs. 1,50,000/- plus Rs. 50,000/- the share of the organisation, the total amount be spent on the project is Rs. 2 lacs.

We request you to give us the land required and we shall be prepared to pay 50% ~~tax~~ of the cost of the land, as soon as it is required.

Kindly take an early action so that we can utilize this money in this financial year.

Your's faithfully,

Sd/- Kusum Swarrop
President.

**** ALL INDIA WOMEN'S CONFERENCE ****
(LUCKNOW BRANCH)

PREM BHAWAN
193, FAIZABAD ROAD
LUCKNOW-7

Dated: April 2, 1976.

To,
The Vice-Chairman,
Lucknow Development Authority,
6. Jagdish Chandra Bose Marg,
Lucknow.

Subject: Allotment of land to All India Women's
Conference for Working Women's Hostel.

Dear Sir,

Kindly refer to letters no. 8676/A was dated 10.3.76 & 23.3.76 from Lucknow Development Authority allotting a piece of land measuring about 7560 sq. ft. at the rate of Rs. 5.50 per sq. ft., the total cost being Rs. 41,580/-.

I have to mention in this connection that we approve of this land, but will request you to allow us the maximum concession of 50% as a special case for social organisation like ours. We shall be prepared to deposit the money as soon as we receive the intimation from you.

I have another request in this connection that we should be allowed to build 50% of the land as our future plan is to build the hostel in three storeys. There are roads on the 2 sides of this plot, so there should not be any problem for you.

I may mention that Mr. G.L. Rajvanshi, Deputy Director, Department of Social Welfare, Govt., of India, has personally seen this land and approved it, and the grant for building the hostel will be released only when the possession of land is given to us.

An early action in the matter is requested.

Yours faithfully,

Sd/- Mrs. K. Swarup

विषय :- मेंटली रिटोर्डेड किडनेन हेतु रेजीडेन्सल स्कूल निर्माण हेतु अलीगंज योजना में 18000 वर्ग फुट भूमि आवंटन किये जाने के विषय में ।

Chetna Society ने Mentally Retarded Children के Residential School खोलने हेतु 18000 वर्ग फुट भूमि आवंटन किये जाने के लिए अपने पत्र दिनांक 6-4-76 द्वारा अनुरोध किया था । सोसाइटी ने अपने पत्र में यह भी सूचित किया था यदि भूमि उनके पास उपलब्ध हो जाये तो भारत सरकार भवन बनाने हेतु 90% प्रतिशत अनुदान देगी इस कारण उनको शीघ्रत्तिशीघ्र भूमि की आवश्यकता है । उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 8-4-76 को यह आदेश कर दिया था कि यदि यह सोसाइटी अलीगंज योजना में भूमि लेने को तैयार हो तो इसके लिए Suitable area Mark कर दिया जाये और इस सोसाइटी को भूमि आवंटन किये जाने का मामला विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । अलीगंज योजना में रकबा 5-50 प्रति वर्ग फुट प्रीमियम की दर से 18000 वर्ग फुट भूमि आवंटन किये जाने हेतु दिनांक 1-5-76 को आफर भेजा गया । उक्त सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने अपने पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) दिनांक 12-5-76 द्वारा निम्न लिखित प्रार्थना की है :-

- (1) इस संस्था के पास आर्थिक साधन बहुत कम है और अधिकांश रूप से व्यय की व्यवस्था अनुदान इत्यादि से ही होती है ।
 - (2) उनकी सूचना में है कि केन्द्रीय सरकार के वर्क्स तथा हाउसिंग विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक तथा स्वेच्छक संस्थाओं की जो समाज सेवा का कार्य करते हैं, स्वया पांच हजार प्रति एकड़ की दर पर भूमि आवंटित की जाती है ।
 - (3) उनकी प्रार्थना है कि भूमि नाम मात्र मूल्य पर आवंटित की जाये ।
- उपरोक्त संदर्भ में जनरल सेक्रेटरी, चेतना सोसाइटी को लिखा गया था कि वह केन्द्रीय सरकार के वर्क्स तथा हाउसिंग विभाग की कोई आदेश अथवा सारकुलर उनके पास उपलब्ध हो तो प्रेषित करें किन्तु उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया ।

डिप्टी डाइरेक्टर गवर्नमेंट आफ इन्डिया, डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर न्यू देहली को भी पत्र लिखा गया था कि यदि कोई आदेश केन्द्रीय सरकार के वर्क्स तथा हाउसिंग विभाग से हुआ हो तो उसकी एक प्रति भेज दे परन्तु वहाँ से भी आदेश की प्रतिलिपि भी प्राप्त नहीं हुई ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 में प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा यह निर्णय लिया था कि स्कूल तथा चेरीटेबुल इन्सटिट्यूटशन इत्यादि हेतु प्रीमियम की दर में 50% प्रतिशत छूट के साथ भूमि आवंटन की जा सकती है । भूमि की दर में छूट देने के लिए विकास प्राधिकरण ही सक्षम है ।

अतः चेतना सोसाइटी को Mentally Retarded Children के रेजीडेन्सल स्कूल बनाने हेतु अलीगंज योजना में 18000 वर्ग फुट भूमि को आवंटन किये जाने का मामला विकास प्राधिकरण की बैठक में चेतना सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी के पत्र दिनांक 12-5-76 के साथ विचारार्थ तथा निगयार्थ पेश है ।

मुख्य अभियन्ता

सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

उपाध्यक्ष

दिनांक 25 जुलाई, 1975 को अपरान्ह 3 बजे प्राधिकरण कार्यालय
(6- जगदोश चन्द्र बोस मार्ग) स्थित नवोन कमेटो हाल में हुई लखनऊ
विकास प्राधिकरण को बैठक का कार्य वृत्त:-

मद सं० 7:-10
=====

निजीशैक्षिक संस्थान, निजी निःशुल्क चिकित्सालय तथा समाज
कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण को भूमि रियायती दर पर दिये
जाने के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित नोति के साथ
विवार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी शैक्षिक, चैकित्सिक
एवं समाज कल्याण संबंधी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक एवं दानोत्तर संस्थाओं
को भूमि मांगे जाने पर भूमि को बाजार दरों में 50% प्रतिशत को सोमा
तक छूट दोगे जाय ऐसो संस्थाओं को भूमि का आवंटन प्राधिकरण स्वयं करेंगे ।

C H E T N A
(A SOCIETY FOR THE WELFARE OF MENTALLY-RETARDED)
(REGISTRATION NO. 605-1973-74)

B.B. NIRALA NAGAR
LUCKNOW.
226007
Dated: 6.4.76

प्रिय साहेब,

आपको संभवतः स्मरण होगा कि विगत 25 मार्च, 1976 को मैं और हमारे संस्था के अध्यक्ष आपसे आपके कार्यालय में चेतना फ़ार मेटलो रिट चिल्ड्रेन के लिए भूमि आवंटन हेतु मिले थे। आपने तब हम लोगों की आकांक्षा देखा था कि चेतना को नगर महापालिका लखनऊ चांदगंज गार्डन के पास भूमि देने के लिए आवश्यक कार्यवाही को जा रही है।

जैसा कि आपको ज्ञात है यह विद्यालय एक स्वाधेन पंजीकृत संस्था है तब विगत 12 वर्षों से कार्यरत है। संस्था की संविधान तथा मोमो की प्रतिलिपि संलग्न है। चूंकि संस्था के पास कोई निजी भवन नहीं है इसलिए संस्था मानसिक मंदित बच्चों की आवासोप सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

संस्था को भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 8-13(29)75/डो0ओ0 दिनांक 18-3-76 के माध्यम से आश्वासन मिला है कि अगर संस्था के पास अपनी कोई भूमि है तो भारत सरकार भवन बनाने हेतु 90% अंशदान देगी। उक्त पत्र को प्रतिलिपि आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

जैसा कि आपने अधोहस्तक्षारो को बताया कि नगर महापालिका के लिए 2 एकड़ भूमि जैसा कि संस्था ने अपनी आवश्यकता हेतु मांगा था वर्तमान समय में देना संभव न होगा इसलिए संस्था द्वारा कुछ कम भूमि का प्रस्ताव भेजा जाय। अतः इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्था ने अपनी आवश्यकता के अनुकूल भवन का एक पुनरोक्षित मानचित्र तैयार करवाया है। उक्त मानचित्र को ~~संस्था~~ ~~प्रति~~ ~~संलग्न~~ है। के अनुसार संस्था को कम से कम 18000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इस मानचित्र को एक प्रतिलिपि संलग्न है।

यहाँ पर यह शिगत कर देना उचित होगा कि जितनी भूमि संस्था के इस नक्शे में दिखाया है उतनी भी उसके आवश्यकता के लिए कम है। लेकिन चूंकि नगर महापालिका लखनऊ के लिए अधिक भूमि देना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में संस्था न केवल 18000 वर्गफुट भूमि पर ही अपनी आवश्यकता पूरी कर लेने का भरसक प्रयत्न किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित भूमि आप शीघ्रतः संस्था को आवंटित कराने की कृपा करें।

सुभकामनाओं सहित।

भवनिष्ठ,

डॉ-श्रीमती शो कन्त, संचालिका

C H E T N A

(A SOCIETY FOR THE WELFARE OF MENTALLY RETARDED)

(REGISTRATION NO. 605-1973-74)

B.B. NIRALA NAGAR
LUCKNOW.
226007 Dt. 12.5.76

सेवा में,

विषय:- अलीगंज आवास योजना में चेतना स्कूल फार मेन्टली रिटार्डेड चि ल्ड्रें के लिए भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

अधिरासो अभियंता के पत्र सं० 70xसात-224/784/आवास दिनांक 1-5-76 के संदर्भ में निवेदन है कि चेतना मानसिक मेदित विद्यालय बहुत अनुग्रहित है कि अलीगंज आवास योजना में 19 हजार वर्गफुट भूमि इस संस्था को आवंटित करने का लखनऊ विकास प्राधिकरण का विचार है । इतनी बात अवश्य कहने को आवश्यकता है कि प्रोमियम की दर इतनी अधिक लगायी गयी है जो इस संस्था को शक्ति के बाहर प्रतीत होती है । जहाँ तक मेरी जानकारी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक संस्था अथवा समाज सेवा संस्थाओं को केवल 50% मूल्य पर भूमि आवंटित किया जायगा । यदि ऐसा है तो प्रस्तावित मूल्य का प्रोमियम म २० 49,500/- होगा यद्यपि यह रकम भी इस नई संस्था को देखते हुए बहुत अधिक प्रतीत होती है । इस संदर्भ में यह भी सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश में मानसिक रोग से सक्षम बच्चों के लिए 'चेतना' अपने प्रकार की एक ही संस्था है और इस संस्था के उत्थान तथा पोषण में तो सभी को जिम्मेदार बनना है चाहिए । चूंकि यह संस्था लखनऊ में स्थित है अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार और भी अधिक हो जाते हैं । इस संस्था के पास आर्थिक साधन बहुत कम हैं और अधिकांश रोग से व्यय को बहुत व्यवस्था अनुदान इत्यादि से ही होते हैं । आप सहमत होंगे कि इस नव निर्मित संस्था के लिए 50 हजार की धनराशि केवल भूमि खरीदने के लिए कितना अधिक होगा । प्रार्थना है कि यदि संभव हो तो भूमि का मूल्य और कम किया जाय ताकि संस्था उसको ले सके ।

मेरी सूचना है कि केन्द्रीय सरकार के वर्क्स तथा हाउसिंग विभाग के अर्न्तगत शैक्षित तथा स्वेच्छिक संस्थाओं का जो समाज सेवा की कार्य करते हैं, पांच हजार रूमिया प्रति एकड़ की दर पर भूमि आवंटित की जाती है । इसके अनुपात में 'चेतना' को जो भूमि देने का आपको प्रस्ताव है उसमें तो मूल्य 50 गुना अधिक लगाया गया है और 50% घटा दें तो भी 25 गुना रह जाते हैं । मेरी जानकारी में यह भी बात है कि चारबाग क्षेत्र में अभी कुछ ही समय पूर्व एक बहुतबड़ा भूखंड इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के पोछे किसी संस्था को बिना मूल्य के आवंटित किया गया है ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों को देखते हुए विनम्र प्रार्थना है कि 'चेतना' को प्रस्तावित भूमि नाम मात्र के मूल्य पर आवंटित करने को कृपा करें ।

भवदोया,

ह०/- श्रीमती शकुन्तला कमल
जनरल सेक्रेटरी

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग - अर्जन विभाग

विषय: पुराना हदरगंज एवं नीवस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत अल्प वैतन सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के संबंध में ।

अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की लागत बीघा ४-३-६-२० भूमि नगर महापालिका अब (विकास प्राधिकरण) की उक्त योजना जिसमें लागत ७२ बीघा भूमि संमिलित है, के अन्तर्गत अर्जन करने हेतु महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकप्य गजट दिनांक ८-७-६५ में प्रकाशित हुई थी । महापालिका की विकास समिति ने योजना संबंधी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुए अपने प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० परिशिष्ट क द्वारा योजना से अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की उक्त भूमि को भी विकास मूल्य लेकर नियमानुसार मुक्त करने का निर्णय लिया ।

उपरोक्त निर्णय को महापालिका काल में महापालिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका । प्राधिकरण के गठन के बाद से महापालिका अधिनियम का अध्याय २४ जिसके अन्तर्गत महापालिका ऐसे विषयों पर विचार कर सकती थी भी समाप्त हो चुका है । अतः अब विकास प्राधिकरण को निर्णय लेना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसी योजना में एक अन्य गृह निर्माण संस्था जिसे गणेशपुरी (विजय हाउसिंग क पी०) कहते हैं की भी लागत बीघा ६-४-२७-२६ भूमि स्थिति है यदि अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त की जाती है तो गणेशपुरी गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने पर भी विचार करना होगा । इस प्रकार घनी आवादी से अधिकृत तथा उपरोक्त दोनों गृह निर्माण समितियों की भूमि को मुक्त करके योजना में केवल लागत २० व बीघा खाली भूमि ही अर्जन हेतु शेष बचेगी जिसमें लागत २५ बीघा एक जाह पर है तथा ५ बीघा छोटे टुकड़ों में है जिसका अर्जन करना विकास प्राधिकरण हेतु अधिक लाभप्रद न होगा ।

उपरोक्त परिस्थिति में अल्प वैतन गृह निर्माण समिति की भूमि को योजना से मुक्त की जाय अथवा नहीं तथा क्या विकास चाणैज स्थि-जाय का विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रेषित है । अल्प वैतन गृह निर्माण समिति का संक्षेप विवरण संलग्न है ।

सचिव,

मुख्य अभियन्ता

उपरोक्त विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

उपाध्यक्ष

लखनऊ नगर महापालिका विकास समिति कार्य कारिणी समिति का
प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७०

- १- योजना का मानचित्र (रिवाईज्ड ले आउट) प्लान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहाँ तक संभव हो धनिक आवादी को यदि सड़क, गैस पाईप आदि न पड़ते ही तो योजना से मुक्त की जाय ।
- २- अर्पण की कार्यवाही के समय ऐसे व्यक्तियों जिनकी संपत्तियाँ का कुछ भाग ही प्रभावित होता है यदि कोई संपत्ति स्वामी योजना से प्रभावित भाग विना प्रतिकर दिये ही वह भाग महापालिका को देने को तैयार हो जाय तो उसकी संपत्ति के शेष भाग को योजना से मुक्त किया जाये तथा ऐसे संपत्ति स्वामियों से डेवलपमेंट चार्ज न लिये जाये ।
- ३- योजना का वास्तविक चार्ज (विकास मूल्य) ऐसे संपत्ति स्वामियों को जिनकी संपत्ति योजना के परीक्षा (डाइरेक्ट) रूप से लाभान्वित होती है उनसे वास्तविक डेवलपमेंट चार्ज लिया जाय जिनकी संपत्ति अपरीक्षा रूप से (इनडाइरेक्ट) लाभान्वित होती है उनसे केवल २५ प्रतिशत ही डेवलपमेंट चार्ज लिया जाय।
- ४- विकटोरिया स्ट्रीट (तुलसी दास मार्ग) से इस योजना को कनेक्ट करने के लिये वलदेव दास स्कूल के निकट जो निरीक्षण किया गया है तथा वे भाग जो योजना क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं उनके संपत्ति स्वामियों से संपर्क स्थापित करके सड़क बनाने का प्रयास किया जाय । यदि ऐसे संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति भाग बनाने के लिये योजना को देने के लिये सहमत न हो तो उस भाग के लिये दूसरी योजना बनायी जाये। यह भी निश्चय हुआ है कि जिन लोगों की जमीनें इस योजना के अन्तर्गत आती हैं और उन्होंने भी आपत्तियाँ की हैं उनकी आपत्तियाँ से समिति कोई बल नहीं महसूस करती है उन्हें अस्वीकृत किया जाता है तथा अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड लखनऊ की जो भूमि इस योजना के अन्तर्गत आती है उसे विकास मूल्य लेकर नियमानुकूल किया जाये ।

आइटम संख्या ५

लखनऊ नगर महापालिका समिति द्वारा दिनांक ६-८-६६ को पुराना हैदरगंज एवं नौवस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत आपत्तियों पर निर्णय लेने हेतु गठित उप समिति की बैठक जो दिनांक १३-१-७० को अपरान्ह ३ बजे विकास

कार्यालय ६ जगदीश चन्द्र चौसठान में हुई कार्यवाही पर विचार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या ७० कुहू वाद विवाद के पश्चात् निश्चय हुआ कि हेदर गंज एवं नीवस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत आपत्तियों पर निर्णय लेने हेतु गठित उप समिति की बैठक दिनांक २३-२-७० द्वारा की गई अनुशंसीय जो निम्नलिखित है, स्वीकार की जावे ।

अल्प वैतन सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि से संबंधित विवरण

अल्प वैतन सहकारी गृह निर्माण समिति जो एक रजिस्टर्ड समिति है तथा जिलास नं० १८०६ दिनांक ३१-१२-६२ है हेदरगंज एवं नीवस्ता योजना के विज्ञापन से पूर्व मौहल्ला भवानीगंज स्थित भूमि खसरा सं० ७४ का कुछ कुछ भाग जिसका क्षेत्रफल बीघा ४-३-८-१० है को दिनांक २४-२-६२ को ब्य किया था तथा लै वाउट प्लान दिनांक १६-६-६४ को टाउन प्लान द्वारा कंट्रोलिंग अथारिटी में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया था ।

उक्त योजना के विज्ञापन के उपरान्त महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० के द्वारा ^{दिले} मुख्य अर उक्त समिति की प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त करने का निर्णय लिया जिसका अनुमोदन महापालिका द्वारा नहीं हो सका तथा उक्त लै वाउट प्लान की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही रुकी हुई है ।

अतः अब विकास प्राधिकरण को यह निर्णय लेना है कि उक्त समिति की प्रश्नगत भूमि को योजना की अर्जन कार्यवाही से मुक्त किया जाय अथवा नहीं ।

P. S. Chandra

Dr. M. S. Chandra

विभाग- अर्जन विभाग

विषय- पुराना हैदरगंज एवं नौबस्ता सड़क योजना ।

सारांश-

पुराना हैदरगंज एवं नौबस्ता सड़क योजना महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट में दिनांक ७-८-६५ को प्रकाशित हुई थी इसमें लगभग ७३ बीघा भूमि सम्मिलित है नगर महापालिका की विकास समिति ने योजना संबंधी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुए अपने प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० पशिष्ट १ द्वारा यह निर्णय लिया कि घनी आबादी से अधिकृत क्षेत्र की योजना से मुक्त कर दिया जाये तथा अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समितिकी भूमि को भी डेवलपमेंट चार्ज लेकर नियमानुसार मुक्त कर दिया जाये ।

विकास समिति के उपरोक्त निर्णयानुसार योजना संशोधित की गयी जिसके अनुसार केवल ५६ बीघा भूमि ही अर्जनीय निकाली गयी तथा यथानुसार इकनामिक्स पशिष्ट २ संलग्न को विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ५० दिनांक १६-५-७३ प्रशिष्ट ३ द्वारा अनुमोदित कर लिया परन्तु विकास समिति के उपरोक्त निर्णय को महापालिका काल में महापालिका द्वारा अनुमोदित नहीं हो सका जिस पर अब विकास पाधिकरण को निर्णय लेना है ।

अब योजना क्षेत्र को पुनः निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार स्थिति निम्नलिखित है ।

- १- घनी आबादी से अधिकृत क्षेत्र - लगभग ४० बीघा ।
- २- अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण - लगभग ४-३-८-१० का क्षेत्रफल विवरण प्रशिष्ट ४ ।
- ३- गनेशपुरी (विजय हाउसिंग कार्पोरेशन) - लगभग ६-४-१७-१६ गृह निर्माण समिति का क्षेत्रफल विवरण प्रशिष्ट-५

घनी आबादी से अधिकृत क्षेत्र भाग जिसका क्षेत्रफल ४० बीघा है को छोड़कर शेष लगभग ३० बीघा भूमि बचती है यदि अल्पवेतन गृह निर्माण समिति की भूमि जो लगभग ४-३-८-१० बीघा है अर्जन से मुक्त की जाती है तो गनेशपुरी कालानी जिसकी लगभग ६-४-१७-१६ बीघा भूमि है की भी अर्जन से मुक्त करने तथा नया विकास चार्ज लिया जाय के विषय पर विचार करना होगा । इस प्रकार योजना में केवल २० बीघा ही भूमि बचेगी जिसमें लगभग १५ बीघा भूमि एक जगह पर तथा ५ बीघा छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ती है जिसका अर्जन करना विकास पाधिकरण हेतु अधिक लाभप्रद न होगा ।

उपरोक्त स्थिति में यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित पर निर्णय लेने हेतु प्रेषित है।

- १- घनी आबादी में अधिकृत क्षेत्र जो लगभग ४० बीघा है अर्जन से मुक्त किया जाय अथवा नहीं।
- २- अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति की लगभग ४-३-८-१० बीघा भूमि अर्जन से मुक्त की जाय अथवा नहीं तथा उसकी क्या विकास मूल्य लिया जाय।
- ३- यदि अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण की भूमि मुक्त की जाती है तो गनैशपुरी गृह निर्माण समिति की भूमि की भी मुक्त करनी होगी अथवा नहीं।

यदि उपरोक्त सभी क्षेत्र मुक्त कर दिये जायें हैं तो शेष भूमि लगभग २० बीघा पर योजना बनायी जावे अथवा नहीं के विषय पर भी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है।

18/10
सचिव,

18/10
मुख्य अभियन्ता

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

18/10
उपाध्यक्ष

DETAILS OF DEVELOPMENT WORKS ON THE BASIS OF 72 SCHEDULE
OF RATE OF NAUBASTA SCHEME

(a) Roads and Drains	Rs. 4.36	lacs
(b) Street light and electrification	Rs. 0.43	"
(c) Water supply	Rs. 1.31	"
(d) Sewer	Rs. 1.74	1.74
(e) Parks and open spaces	Rs. 0.65	"
(f) Development of land survey and demarcation	Rs. 0.65	"
	<u>Rs. 9.14</u>	"
Add 15% project preparation and administrative charges	Rs. 1.37	"
	<u>Rs. 10.51</u>	"
	say	Rs. 10.50 "
(B) Total cost of acquisition	<u>Rs. 13.07</u>	"
Total cost of project		Rs. 23.57 lacs

Per [Signature]

ECONOMICS of
HAIDERGANJ NAUBASTIA SCHEME

Area under development	= 32 Bigha
Taking 50% as plotted area	= 16 "
	= 4,35,600 sft.
Total cost of development	= $\frac{10.50 \text{ lacs}}{4,35,600}$
	= 2.48 per sft.
Cost of Raw land per sft.	= 1.50 per sft.
Cost of plotted area	= 3.00 per sft.
Saleable price	= 4.50 per sft.

Which we can get very ~~easy~~ easily in that area.

Cost of plotted area per sft. on the basis of 76 schedule

There is a increase of 40% between the 72 schedule and 76 schedule

Development charges as per 72 schedule	= 2.48 per sft.
Development charges as per 72 schedule	= 0.99
	<u>3.47 per sft.</u>
	say Rs. 3.50

(a) Development charges as per 76 schedule Rs. 3.50

(b) cost of land $\frac{3.00}{6.50}$ per sft.

~~Economics of~~

Point

11
पशिष्ट-१

लखनऊ नगर महापालिका विकास समिति का प्रस्ताव संख्या ७०
दिनांक २३-२-७०
(६)

- १- योजना का मानचित्र (रिवाइज्ड ड्राइंग) प्लान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहाँ तक सम्भव हो घनी आबादी की यदि सड़क मैन पार्क आदि न पड़ते हैं तो योजना से मुक्त की जाय ।
- २- अर्जन की कार्यवाही के ऐसे व्यक्तियों जिनकी संपत्तियों का कुछ भाग ही पभावित होता है यदि कोई संपत्ति स्वामी योजना से पभावित भाग बिना प्रतिकर दिये हो वह भाग महापालिका को देने को तैयार हो जाये तो उसकी संपत्ति के शेष भाग को योजना से मुक्त किया जाये तथा ऐसे संपत्ति स्वामियों से डेपलवमेंट चार्ज न लिये जाये।
- ३- योजना का वास्तविक चार्ज (विकास मूल्य) ऐसे समस्त संपत्ति स्वामियों की जिनकी संपत्ति योजना के परीचा (डाइरेक्ट) रूप में लाभान्वित होती है उनसे वास्तविक डेपलवमेंट चार्ज लिया जाय जिनकी संपत्तियाँ अपरीचा रूप से (इन्डाइरेक्ट) लाभान्वित होती है उनसे केवल २५ प्रतिशत ही डेपलवमेंट चार्ज लिया जाये ।
- ४- विक्टोरिया स्ट्रीट (तुलसीदास मार्ग) से इस योजना को कनेक्ट करने के लिए वलदेव दास स्कूल के निकट जाँ निरीक्षण किया गया है तथा वे भाग जो योजना क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं उनसे संपत्ति स्वामियों से संपर्क स्थापित करके सड़क बनाने का प्रयास किया जाय । यदि ऐसे संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति मार्ग बनाने के लिए योजना को देने के लिए सहमत न हो तो उस भाग के लिए दूसरी योजना बनायी जाय । यह भी निश्चय हुआ है कि जिन लोगों की जमीनें इस योजना के अन्तर्गत आती हैं और उन्होंने भी आपत्तियाँ की हैं उनकी आपत्तियों से समिति कोई बल नहीं महसूस करती है उन्हें अस्वीकृत किया जाता है तथा अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति लि० लखनऊ की जो भूमि इस योजना के अन्तर्गत आती है उसे विकास मूल्य लेकर नियमानुसार मुक्त किया जाये ।

आर्डर सं० ५

लखनऊ नगर महापालिका समिति द्वारा दिनांक ६-८-६६ को पुराना हैदरागंज एवं नौबस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत आपत्तियों पर निर्णय लेने हेतु गठित उपसमिति की बैठक जो दिनांक १३-१-७० का अपरान्ह ३-०० बजे विकास कार्यालय ६, जगदीश चन्द बस मार्ग में हुई की कार्यवाही पर विचार किया गया ।

प्रस्ताव सं० ७०

कुछ वाद विवाद के पश्चात निश्चय हुआ कि हैदरागंज एवं नौबस्ता सड़क योजना के अन्तर्गत आपत्तियों पर निर्णय लेने हेतु गठित उपसमिति की बैठक दिनांक १३-१-७० द्वारा की गयी अनुश्रीय जो निम्नलिखित है स्वीकार की जाये ।

P. M. Khan

Y. M. Khan

विकास समिति हेतु आस्था

विभाग- अर्जन विभाग

विषय:- पुणना हैदरगंज एवं नीबस्ता सड़क योजना की इकनामिक्स पर विचार सारांश-

उपरोक्त योजना नगर महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के शासकीय गजट दिनांक ७-८-६५ को प्रथम बार प्रकाशित हुई थी इस योजना का क्षेत्रफल बीघा ७२-१६-२-१० है आपत्तियों पर विचार करते समय विकास समिति ने उक्त योजना के आपत्तियों पर विचार करने के लिए श्री अजीज अहमद की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया जिसने योजना के पहले प्रस्तावित सड़क को बदल दिया तथा आबादी को जहाँ तक संभव हो सका मुक्त करने की अनुरोध की, अपनी बैठक दिनांक १३-१-७० द्वारा विकास समिति से की। जिस विकास समिति ने अपने प्रस्ताव सं० ७० दिनांक २३-२-७० द्वारा स्वीकृत कर दिया।

उपरोक्त विकास समिति के निर्णय अनुसार योजना का रिवाइज्ड लैआउट प्लान तैयार करके विकास समिति की गत बैठक में प्रेषित किया जिसके अनुसार अब इस योजना का क्षेत्र० बीघा ५६-१-१२-१२ हो गया है उक्त लैआउट प्लान को विचारान्त विकास समिति ने स्वीकृत कर लिया।

रिवाइज्ड लैआउट प्लान के अनुसार उक्त योजना के इकनामिक्स तैयार किये गये हैं।

खर्च- खर्च

१- अर्जनीय भूमि का मुआवजा

₹ १२,०६,२५२।-

२- विकास मूल्य

₹ २२,५९,६७०।-

कुल योग ₹ ३४,५७,९२२।-

आय

१- आवासीय मूखंडों हेतु क्षेत्रफल ७२०००० वर्गफुट ₹ ४-५० प्रति वर्ग फुट की दर से।

₹ ३२,४०,०००।-

२- कामशिवल प्लॉटों हेतु भूमि का क्षेत्र० ४३,६०० वर्गफुट ५।- प्रति वर्गफुट की दर से।

₹ २,१८,०००।-

कुल योग ₹ ३४,५८,०००।-

विभागीय अनुरोध

योजना का प्रॉफिट नौ लाख वंसिस पर चलायी जा सकती है योजना की इकनामिक्स के समझा विचारार्थ प्रेषित है।

ह० रहमत खान
नगर अभियन्ता (विकास)
१६-५-७३

अधिनियम की धारा ३५९

यदि मान्य हो तो उपरोक्त आस्था को विकास समिति के समझा पेषित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे।

ह० रहमत खान
नगर अभियन्ता (विकास)
१६-५-७३

मुन०अ० के आदेश- उपरोक्त आस्था को समिति के समझा पस्तुत की जाये।

R. ...

...

ह० सतीष कुमार चौधरी
मुख्य नगर अधिकारी,

पशिष्ट - ३
नगर महापालिका लखनऊ
विकास समिति का पस्ताव सं० ५०
दिनांक १६-५-७३

अध्यक्षा की अनुमति से नगर महापालिका (विकास) द्वारा पुराना हैदरगंज एवं नौबस्ता सड़क योजना की इकनामिक्स आस्था (संलग्न) प्रस्तुत की गयी ।

कुछ वाद विवाद के बाद निश्चय हुआ कि पुराना हैदरगंज एवं नौबस्ता सड़क योजना की इकनामिक्स जो प्रस्तुत की गयी है उसके अनुसार योजना से प्राप्त होने वाली आय ₹० ३४५८०००।- एवं योजना पर होने वाले व्यय ₹० ३४५८२२५।-^{३४५८०२५।-} को अनुमोदन किया जाये और महापालिका के विचारार्थ अग्रसारित किया जाये ।

समिति ने यह भी स्वीकृत किया कि आवासीय एवं कामर्शियल भूखंडों की दर ४-५० पै० तथा ५।- पतिकर्ग फुट जैग कि अभी नौ पाफिट नौ लास के आधार पर नगर आभियन्ता (विकास) ने रखा है वास्तविक विकास मूल्य निकालने पर यथा समय इससे अधिक मूल्य भूमि निदिष्ट किया जा सकता है ।

Prakash Singh

Pm-dhw

अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि से संबंधित विवरण:-

अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण समिति की एक रजिस्टर्ड समिति है ज्ञात जिसका नं० १८०६ दिनांक ३१-१२-६२ है हैदर गंज एवं नौबस्ता योजना के विज्ञापन से पूर्व मीहल्ला भवानी गंज स्थिति भूमि खसरा सं० ७४ का कुछ भाग जिसका क्षेत्रफल बीघा ४-३-८-१० है को दिनांक २४-२-६२ को कय किया था तथा लेआउट प्लान दिनांक १६-६-६४ को टाउन प्लानर द्वारा कंट्रीला अथॉरिटी में स्वीकृत हेतु पेशित किया था ।

उक्त योजना के विज्ञापन के उपरान्त महापालिका की विकास समिति ने अपने पस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० के द्वारा विकास मूल्य लेकर उक्त समिति की प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त करने का निर्णय लिखा जिसका अनुमोदन महापालिका द्वारा नहीं हो सका तथा उक्त लेआउट प्लान की स्वीकृत संबंधी कार्यवाही रुकी हुई है ।

अतः अब विकास प्राधिकरण को यह निर्णय लेना है कि उक्त समिति की प्रश्नगत भूमि को योजना की अर्जन कार्यवाही से मुक्त किया जाय अथवा नहीं ।

P. m. e. m.

S. m. e. m.

गनेशपुरी (विजय हाउसिंग कारपोरेशन) की भूमि से संबंधित विवरण:-

हेदरगंज एवं नौबस्ता सड़क योजना में गनेशपुरी कालोनी जो एक प्राइवेट संस्था है मिसर्स विजय कारपोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है योजना के विज्ञापन के उपरान्त मोहल्ला भवानीगंज स्थिति भूमि खसरा सं० ७४ भाग जिसका क्षेत्रफल बीघा ६-४-१७-१६ है को दिनांक १७-३-७१ को कूय किया है तथा लैआउट प्लान दिनांक २६-३-७१ को कंट्रोलि अथारिटी में स्वीकृत हेतु पस्तुत किया था ।

अर्जन अमीन की असावधानी से अर्जन विभाग से यह आख्या दी गयी की पश्नगत भूमि उक्त योजना से प्रभावित नहीं है । इसी आधार पर कंट्रोलि अथारिटी ने पेशित लैआउट प्लान पर कार्यवाही आरम्भ कर दी । बाद में जब यह स्थिति स्पष्ट हुई की पश्नगत भूमि उक्त योजना के अन्तर्गत आती है तो संबंधित अमीन को दंडित किया गया । तथा लैआउट प्लान की स्वीकृत से संबंधी कार्यवाही रोक दी गयी । विकास पाधिकरण को इस विषय में यह निर्णय लेना है कि उक्त संस्था की पश्नगत भूमि को योजना की अर्जन कार्यवाही में मुक्त किया जाना अथवा नहीं ।

P. m. chaw

U. S. K. Singh

मद सं०-१२ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ में विद्ये
निर्देश नुसार राज्य कर्मचारियों की आवासीय भूखण्ड
आवन्तन पद्धति पर पुनः विचार हेतु आख्या।

अधिकांश मरीदय ने विचार विमर्श के दौरान यह मत व्यक्त किया
था कि आवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलाम के द्वारा न किया जाये
क्योंकि इस पद्धति में भूखण्ड राज्य कर्मचारियों की प्रयत्नता से बाहर
हो जाते हैं।

विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा वैकल्पिक तन्ही म
भूखण्डों का निस्तारण किया गया था जिसमें मलानार विस्तार योजना
नैपथर रोड योजना, कारागार योजना आदि के भूखण्ड सम्मिलित थे।
नीलामी द्वारा इनका निस्तारण शासन के आदेश सं०----- के द्वारा
किया गया था और इनका परिप्रेक्ष्य यह था कि दि. तं. १०-५-७३ तथा
२८-५-७३ को नार मलानालिका ने अपने कार्यवाही के अवधान के करीब
इन भूखण्डों का आवन्तन अनियमित रूप से बहुत कम दामों पर कर दिया
था जिससे फलस्वरूप शासन के शासनादेश संख्या २०००।३७-३-२-२५पी ७७।७३
दिनांक १७-७-७४ द्वारा यह निर्णय लेना पड़ा कि आवन्तनों को रथ रद्द
कर दिया जाये और उनका निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाये।

उपरोक्त दृष्टान्त के आधा विरी और केस में आवासीय
भूखण्ड का निस्तारण विकास प्राधिकरण के द्वारा नीलाम द्वारा नहीं
किया गया है। इस समय विकास प्राधिकरण की अधिकांश योजना
कार्यान्वित हो रही हैं जिसमें पंजीकरण के क्रम के अनुसार ही आवन्तन
के लिये प्रत्याशियों को बुलाया जाता है और एच सी लाट में आवन्तन
सभी प्रत्याशियों को सार्वरी द्वारा किया जाता है जिससे फदापगत
हत्यादि की शिकायत न हो।

ह०। वार० आर० शाह
उपाध्यक्ष

उपाध्यक्षा

अध्यक्षा विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक २५-२-७६ के संदर्भ में निवेदन है कि, द्वितीय निर्वाचित महापालिका कार्य-कारिणी समिति की उप समिति की बैठक दिनांक १०-५-७३ एवं २८-५-७३ द्वारा लखनऊ नगर की निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं/उपलव्य मूखण्डों का आवन्तन प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करके किया गया ।

योजना	मूखण्ड की संख्या	दर
१- नैपियर रोड भाग-२ योजना	६६	समय समय पर नगर अभियन्ता विकास द्वारा संसुत दर
२- अमीर नगर योजना	१३	कार्य-कारिणी द्वारा स्वीकृति की गई । यथा रु० २-५० से रु० ३-५० प्रति वर्ग फुट ।
३- काला कांवर योजना	५१	
४- पैपर मिल कालोनी (भीखमपुर योजना)	४३	
५- निवाज खंडा योजना	१८	
६- इन्डस्ट्रियल एरिया योजना	२	
७- टी०जी०नार्थ योजना चांदगंज	१०	
८- पान्हे का तालाब योजना	१४	
९- कुतुबपुर इरादत नगर योजना	८	
१०- महानगर विस्तार योजना	३४	
११- मैवा नरैरी योजना	२	
१२- बलन्ट स्वायर योजना	१६	
१३- महानगर विस्तार योजना आई०टी० आई०	२	
१४- चांदगंज योजना निस्ट रैलवे (लाईन)	४	

योग २८५

उपर्युक्त आवन्तन सम्बन्धी उप समिति के संकल्पों का शासन द्वारा लौक हित के प्रतिकूल पाया गया तथा शासनादेश संख्या यू०आर० ३२३११०५-४।७३ दिनांक २० जून १९७३ (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रश्नगत संकल्पों का कार्यान्वयन उच्च प्रदेश नगर महापालिका की धारा ५३७ (१) के अधीन निलम्बित कर दिया गया तदुपरान्त उक्त आवन्तन के बारे में महापालिका द्वारा पहले से निर्धारित नीति, यदि कोई थी, के विषय में तथा उक्त आवंटियों के आवन्तन सम्बन्धी विधिक अधिकारों, यदि कोई हों, आदि २ बातों में विस्तार से विचार करने के पश्चात् शासनादेश संख्या २०००।३७-३२५-पी-२।७३ दिनांक १७-७-७४ (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रश्नगत आवन्तन निरस्त कर दिये गये और अन्ततः

क्रमशः

(२)

उक्त आसनादेश द्वारा उक्त भूखण्डों का आवन्तन नीलामी द्वारा ही करने के आदेश प्रदान किये गये ।

फलस्वरूप निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपरोक्त भूखण्डों का निस्तारण समय समय पर नीलामी द्वारा किया गया ।

योजना	नीलाम की तिथि	दर प्रति वर्ग फुट नीलाम किया गया ।
१- अमीर नगर	२५-८-७४ तथा २६-९-७४	१०-७५ से १८-२५ तक
२- निवाज खेड़ा	२५-८-७४ तथा १-९-७४	११-५० से १३-७५ तक
३- महा नगर विस्तार	१५-९-७४ तथा २२-१२-७४	६-०० से ८-५० तक
४- काला कांकर	२२-९-७४ तथा ६-१०-७४	७-५० से १४-०० तक
५- भुतुनपुर इरादत नगर	८-१२-७४ तथा २२-१२-७४	५-०० से १५-५० तक
६- टी०जी०नार्थ चांदगंज	२२-१२-७४ तथा १२-१-७५	६-०० से १४-०० तक
७- मैपूर मिल योजना (पीखम पुर)	१३-१०-७४	७-०० से १२-२५ तक
८- मैवा नर्सरी	२२-१२-७४	११-२५
९- बलन्ट सवायर मवइया	२२-१२-७४ तथा १-१-७५	७-०० से ११-७५ तक

यदि अनुमोदित करें तो, आगामी विकास प्राधिकरण की बैठक में विचार करने हेतु प्रस्तुत विषय को कार्य सूची में सम्मिलित करने के आदेश, अथवा विकास प्राधिकरण से कृपया प्राप्त किये जायें ।

सरय प्रतिकिषि
प्रशासित

ह० आर० के० सिंह,
२५-२
सचिव
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश शासन,
नगरपालिका अनुभाग-४,
संख्या यू०आ० ३२ ३ए।११ न प ४।७३
दिनांक लखनऊ जून २०, १९७३

आदेश

चूंकि राज्यपाल का यह मत है कि नगर महापालिका लखनऊ की कार्य-कारिणी समिति की उप समिति द्वारा नैपियर रौड, अभीस नगर पैपर मिल कालोनी, मीरमपुर (जिसकी अन्तर्गत पैपर मिल कालोनी की पुरानी योजना है काला-कांकर व निवास खेड़ा आवास योजनाओं के लिए भूखण्डों के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में दिनांक १० मई १९७३ को पारित संकल्प तथा बाथोगिक दौत्र टी०जी० नार्थ चांदगंज पान्हे का तालाब कुतुबपुर इरादतनगर महानगर विस्तार योजना मैवा नसरी बलन्ट स्वायर योजना आई०टी० आई के निम्न महानगर विस्तार योजना तथा रेलवे लाइन योजना के निम्न चांदगंज योजना में भूखण्डों के आवंटन की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक २८ मई १९७३ को उक्त उप समिति द्वारा पारित संकल्प लोप हित के प्रतिकूल है ।

और चूंकि उक्त कार्य-कारिणी समिति की उपयुक्त उप समिति की स्वीकृति के अनुसरण में उप नगर अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश भी लोप हित के प्रतिकूल है ?

अतएव अब उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५७) की धारा ५३७ की उप धारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, नगर महापालिका, लखनऊ की कार्य-कारिणी समिति की उप समिति द्वारा पारित उक्त संकल्पों को निलम्बित करते हैं ।

अन्य प्रतिलिपि और इन संकल्पों से सम्बन्धित किन्ही अन्य कार्यवाहियों तथा आवंटन आदेशों के साथ साथ उक्त आवंटन आदेशों के निष्पादन को भी तत्कालीन प्रभाव से निलम्बित करते हैं ।

आज्ञा से
ह० - मुहीउद्दीन अहमद
आयुक्त एवं सचिव,

संख्या यू०आ० ३२ ३ए।११ न प ४।७३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

१- मुख्या नगर अधिकारी नगर महापालिका लखनऊ ,

२- जिलाधीश लखनऊ ।

३- आयुक्त, लखनऊ मन्डल लखनऊ

४- सप्ताहिक अधिकारी (स्वायत्त शासन शाखा) सूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से
ह० - मुहीउद्दीन अहमद

संख्या यू०आ० ३२ ३ए (२)।११ न प ४।७३

प्रतिलिपि एवं अतिरिक्त प्रतिलिपि तथा अंग्रेजी अनुवाद सहित सहाय्य अधीका ब्रच प्रेस लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

ह० - मुहीउद्दीन अहमद ।

गौपनीय,

प्रतिलिपि पत्र संख्या २०००।३७-३-२५ पी०ए०।७३ दिनांक लखनऊ जुलाई १७, १९७४

प्रेषक: - श्री वी०एन० चन्ना, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन निवास अनुभाग-३ ।

स्वा में :- प्रशासक, (नाम से) नगर महापालिका, लखनऊ ।

महोदय,

कालाकांडर योजना, निवाज खेड़ा आदि योजनाओं के अन्तर्गत नगर महापालिका की कार्य-कारिणी समिति की उप समिति द्वारा आवान्तत मुखणों जिनका आवन्तन शासन द्वारा दिनांक २०-६-७३ को निलम्बित कर दिया गया है, से सम्बन्धित आपकी अर्द्ध-शासकीय पत्रांक २७४ सी०।ए०।डी०।सी०। दिनांक १४-११-७३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का यह निवेदन हुआ है कि उपरोक्त निम्बन उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ की धारा ५३७ (१) के अधीन किया गया था तत्पश्चात् अर्द्ध-शासकीय पत्रांक ३१७५।३७-३-२५ पी०ए०।७३ दिनांक ३१-७-७३ द्वारा प्रशासक को यह भी सूचित कर दिया गया था कि आवन्तन निरस्त समझा जाने चाहिए । शासन को दिये गये परामर्श के अनुसार जिन व्यक्तियों के पूर्व में आवन्तन किये गये थे उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं प्राप्त हो सका है । शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त मुखणों को आवन्तन नीलामी द्वारा किया जाये अतएव जिन लोगों ने उक्त मुखणों के लिए अग्रिम धनराशि (असेनैस्ट मनी) जमा की थी उन्हें उनके द्वारा जमा की गई धनराशि शीघ्र वापस कर दी जाए और उन मुखणों का आवन्तन नीलामी द्वारा ही किया जाये । तदनुसार सम्बन्धित प्रार्थियों को भी सूचित कर दिया जाये ।

२ - कृपया इस पत्र की प्राप्ति सीकार करें ।

भवदीय,

ह० - वी०एन० चन्ना,
(वी०एन० चन्ना)
उप सचिव ।

सत्य प्रतिलिपि
प्रशासक

एजेन्डा नम्बर :- 13


* लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या *


विषय :- आवास विकास परिषद के तालकटोरा आवास योजना में आध्यात्म औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के विषय में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा संशोधित प्लान की स्वीकृत एवं हस्ताक्षर करने हेतु ।

आवास विकास परिषद की तालकटोरा योजना जो तालकटोरा सड़क एवं मोहान रोड के मध्य स्थित है, आवास विकास परिषद के आग्रह पर उपयोग परिवर्तन की विधित कार्यवाही निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 में दिये गये निर्देश संख्या '10ख' --" महायोजना का संशोधन" (परिशिष्ट 'ख') में बताये गये नियमानुसार किया गया है। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप समिति द्वारा सुनी गयी अपत्तियों एवं सुझाव तथा उस पर लिये गये निर्णयों (परिशिष्ट 'क') के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने महायोजना के उक्त खंड से संबंधित क्षेत्र का परिवर्तित प्लान प्रस्तावित किया है।


महायोजना में किए गए परिवर्तनों को सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्लान की स्वीकृति एवं उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर अभ्युक्त है। अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्लान जिसमें कुछ क्षेत्र औद्योगिक से बदल कर आवासीय किया गया है। एवं ट्रक - बस अड्डे के स्थान में परिवर्तन सुझाया गया है। प्लान अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


वरिष्ठ नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।


सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।


उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

* परिशिष्ट 'क' *

* तालवटोरी रोड *

=====

आपत्तिकर्ता का नाम

आपत्ति का सार

टिप्पणी

उपसमिति की संस्तुति

=====

=====

=====

=====

ग्राम आलमनगर जिला लखनऊ के निवासियों के नाम :-
राधे लाल, मोदक प्रसाद,
सोहन लाल, दोबा दूतारे दास
हे ही लाल परागी, रामनारायन,
चन्द्रिका, ओम प्रकाश, मथुरा
प्रसाद, रारतन, हरदयाल,
शम्भु, शिव नारायन, जयनारायन,
रोशनलाल, रामपती, ब्रजरानी,
रामश्वरय, नोन्हा दुराषा,
नजीर खाँ आदि ।

आलमनगर के कुछ पट्टेदारों ने संयुक्त रूप से इस संबंध में विज्ञापित भूमि उपयोग के परिवर्तन पर आपत्ति प्रकट करते हुए यह बताया है कि यह भूमि वर्ष 1962 में नगर महापालिका द्वारा अध्यापित किये जाने पर मामले को न्यायालय ने उठाया था तत्पश्चात् महापालिका ने इस विषय की कार्यवाही आवास एवं विकास परिषद को स्थानान्तरित कर दी। इसे पुनः न्यायालय में उठाया गया भूमि अध्यापित किये जाने से संबंधित मामला इस समय हाईकोर्ट में है।

इसके उपयोग परिवर्तन से न्यायालय की कार्यवाही में दखल होगा जिससे भूमि के अध्यापन हेतु प्रसारित विज्ञापित प्रभाव होने हो जायेगी।

शासन को मास्टर प्लान के उद्देश्यों में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है तथा नगर महापालिका द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान में इनकी भूमि का उपयोग कृषि रखा गया था तथा नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगर महापालिका परिवर्तन हेतु स्क्षम है।

विभिन्न समय पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञापित अवैधानिक है तथा संबंधित अथारिटी को इस प्रकार भू उपयोग के उद्देश्य को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अतः यद्यपि इस अवैधानिक कार्यवाही को रोका नहीं जाता तो आपत्तिकर्ताओं को इस मामले को न्यायालय में उठाने का अधिकार होगा।

आलमनगर के पट्टेदारों द्वारा उठी गई आपत्ति में भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है आपत्ति में के कानूनी पहलू उठाये गये है उन भत्तों भाँति विचार करके जाँच कर ली जाय।

मास्टर प्लान में, इस क्षेत्र में प्रस्तुत रोड को, इस रोड के एलाइनमेंट में आवदी आ जाने व कुछ औद्योगिक इकाईयों के कारण नौके पर बनाना संभव न हाने के कारण इसको एलाइनमेंट बदलना आवश्यक समझा गया।

पूर्व प्रस्तववित आवासीय भत्तों भाँति नहीं हो पायेगा अतः यह अनुभव किया गया कि यहां पर औद्योगिक उपयोग आने से हाईटेन्शन विद्युत लाइनों का उपयोग भी उद्योगों में हो सकेगा जिसके कारण भूउपयोग में परिवर्तन आवश्यक हो गया।

आपत्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों को सुना गया। इनकी संयुक्त रूप से दी गई आपत्तियों में उपयोग परिवर्तन के संबंध में केवल विधि संबंधी व मामले के न्यायालय में होने संबंधी आपत्ति उठाई गई है, तथा इसी आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन न करने को कहा गया है।

उप समिति प्रस्तावित भू-उपयोग को प्रकाशित विज्ञापित के अनुसार परिवर्तित करने की संस्तुति देती है।

ह0/ रवीन्द्र निवास
अधीक्षण अभियन्ता बाढ़
सार्वजनिक निर्माण विभाग
लखनऊ।

ह0/ जयन्ती प्रसाद दुबे
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ह0/के0एन0गुप्ता
अधीक्षण अभियन्ता,
(तृतीयवृत्त)
स्वायत्त शासन-
अभियंत्रण विभाग,
लखनऊ।

परिशिष्ट 'ख'

१(१०-ख- महायोजना का संशोधन-(१) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र को महायोजना में संशोधन करना अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसे किसी संशोधन का प्रारूप या तो नियंत्रक प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकरण द्वारा जिसे राज्य सरकार उचित समझे, तैयार करा सकती है।

(२) राज्य सरकार के आदेश प्राप्त होने पर नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण जैसी भी दशा हो, महायोजना के संशोधन का प्रारूप तैयार करेगा, और तत्पश्चात् जनता के सूचनार्थ कम से कम एक समाचार पत्र में जिसका उस क्षेत्र में परिचलन हो, एक सावजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। जिसमें ऐसे स्थान या स्थानों का उल्लेख होगा जहां प्रारूप को प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा समाचार-पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से कम से कम तीस दिन की अवधि के भीतर प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से लिखित आपत्तियां आमंत्रित करेगा।

(३) पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण, जैसी भी दशा हो, आवश्यक समझे तो आपत्तियों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तीन सदस्यों को एक समिति नियुक्त करेगी, जिनमें से एक सदस्य नगर नियोजक होगा जो अपना प्रतिवेदन ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा, जैसा तदर्थ निश्चित किया जाय।

(४) नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण या उपर्युक्त समिति, जैसी दशा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत सरकारी विभागों या स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधि भी हैं, सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देगी जिसमें कोई आपत्ति प्रस्तुत की हो और जिसने सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया हो।

(५) नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण, जैसी भी दशा हो, आपत्तियां तथा समिति के प्रतिवेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् प्रारूप को अन्तिम रूप देगा और अपनी टीका-टिप्पणों के साथ उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(६) राज्य सरकार प्रारूप को या तो परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कारों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकती है, या नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण को, जैसी भी दशा हो, यह निदेश देकर कि वह ऐसे निदेशों के अनुसार एक नया प्रारूप तैयार करे, प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है।

(७) राज्य सरकार द्वारा महायोजना के संशोधन का प्रारूप अनुमोदित हो जाने के तत्काल पश्चात्, नियंत्रक प्राधिकारी या अधिकरण, जैसी भी दशा हो, उसे ऐसे रीति से, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, यह उल्लेख करते हुए प्रकाशित करेगा कि महायोजना का संशोधन अनुमोदित हो गया है और उस स्थान का नाम

---क्रमशः

उल्लेख करेगा, जहां महायोजना के संशोधन की प्रति, समा समुचित समय पर देखी जा सकती है, और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से महायोजना का संशोधन प्रवर्तनीय हो जायेगा।)

१ निवास अनुभाग-३ की अधिसूचना सं० ४७४०।३७-३-३७।नि०का० वि०।१९७३, दिनांक २७ अगस्त, १९७३ द्वारा निवास अनुभाग-३ की अधिसूचना सं० १२६१।३७-३-२८४ एन०के०वी०-७१ दिनांक २६ अप्रैल, १९७२ द्वारा बढ़ायी गये निदेश सं० १०-ख के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। २६ अप्रैल, १९७२ की अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया निदेश सं० १०-ख निम्न प्रकार था:-

*ख- महायोजना का संशोधन-

(१) राज्य सरकार को महायोजना में कोई संशोधन, जिसे वह आवश्यक समझे, करने का अधिकार होगा।

(२) महायोजना में कोई सारवान संशोधन करने के पूर्व, राज्य सरकार कम से कम एक समाचार-पत्र में जिसका दिनियमित क्षेत्र में परिचलन हो, एक नोटिस प्रकाशित करेगी जिसमें जनता से प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करेगी और समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो राज्य सरकार को प्राप्त हों, विचार करेगी।

(३) इस निदेश के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन के दिनांक या ऐसे अन्य दिनांक से, जैसा राज्य सरकार करे, प्रवर्तनीय होंगे। *

---क्रमशः

निष्पत्ति:- गाज़ीउद्दीन हैदर कैनाल क्षेत्र एवं शहर के और विभिन्न क्षेत्रों से हटाये जाने वाले परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के निष्पत्ति में।

शासन में हुई बैठक एवं उसमें लिये गये निर्णय (प्रतिलिपि संलग्न) के आधार पर गाज़ीउद्दीन हैदर कैनाल के पट्टियों एवं संलग्न क्षेत्र पर हुये अनधिकृत निर्माण को हटाया जाये एवं कैनाल को शहर के तरसाती पानी के निकास का एक मुख्य मार्ग के रूप में विकसित करने एवं सुरक्षित-रसाव हेतु सिंचाई विभाग की हस्तान्तरित किये जायें। अनधिकृत निर्माण में रह रहे परिवारों एवं व्यक्तियों को हटाने के साथ उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने लिया है।

उक्त निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु माननीय मंत्री महोदय ने फौज़ाबाद रोड पर स्थित ग्राम शैखपुर कसौला में उपलब्ध नज़ूल भूमि एवं उससे ली भूमि का निरीक्षण किया और यह निर्णय दिये कि इसी क्षेत्र में इन परिवारों को बसाया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि ये परिवार निम्न-वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं अतः इन्हें कम से कम मूल्य पर विकसित स्थान उपलब्ध कराया जाये।

शैखपुर कसौला का प्रस्तावित क्षेत्र लखनऊ महायोजना में आवासीय विकास के लिये एच०ए०एल० के लिये दिये गये भूमि के उपयोग परिवर्तन के साथ परिवर्तित किया जा चुका है अतः इस क्षेत्र में आवासीय विकास करना सम्भव है। शासन एवं विकास प्राधिकरण को इस विषय पर अग्रिम कार्यवाही अभीष्ट है।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के लिये विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र को काफी छोटे आकार के प्लॉटों में विकसित किया जाये। ऐसा विकास किया जाये जिससे जन सुविधायें एवं आवश्यक आवागमन सुविधायें उपलब्ध हों। साधारणतया उक्त विकास को 'साइट एवं सर्विसेज' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। साइट एवं सर्विसेज के रूप में विकास करते समय जो प्लॉट बनाये जायेंगे उनका आकार ४५० वर्गफुट (१५' वाई ३०') होगा जो डी०डी०ए० द्वारा इस प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध प्लॉटों से कुछ बड़ा रखा गया है जो इस क्षेत्र के लिये उपयुक्त है फिर भी इन समय उपलब्ध नियमों में सबसे छोटे आकार के प्लॉट से भी छोटा है परन्तु ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये व्यय को घटाने एवं ज्यादा से ज्यादा प्लॉट बनाने के लिये आवश्यक है। विकास करते समय पार्क एवं सड़कों के आकार को छोड़ घटाना आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार जो ज्यादा भूमि उपलब्ध होगी उन्हें भी

प्लॉट्टेड एरिया में समाविष्ट किया जा सकेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्लॉट्टेड क्षेत्र ५० प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।

इस विकास में निम्न सुविधाओं का क्षेत्र घटाने का प्रस्ताव है:-

(१) सड़कों के स्थान पर साइट एवं सर्विसेज के लिये केवल १५° के फुटपाथ से ही विकास रखा जाये,

(२) जन सुविधाएँ जैसे ^{पुलिस} प्रमुखी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन इत्यादि के क्षेत्रफल भी महायोजना में प्रस्तावित क्षेत्रफल से आधे किये जायें।

स्कीम की एक आर्थिक स्वरूप उपरोक्त विन्दुओं का ध्यान में रखते हुये बनाया गया है। यह अनुशंसा की गई है कि यदि प्रस्तावित ६६-६३ एकड़ भूमि अध्याप्त की गई तो भूमि उपयोग निम्न प्रकार रहेगा:-

उपयोग	क्षेत्रफल		प्रतिशत
	एकड़	वर्गफुट	
१- प्लॉट का क्षेत्रफल	३६-६८	१७,४१,४५०	६०-००
२- फुटपाथ	१३-४०	५,८३,७५४	२०-१२ +
३- सुविधाएँ एवं पार्क	१३-२५	५,७७,२१५	१६-८८
४- कुल योग:	६६-६३	२६,०२,४१९	१००-००

नोट: - + महायोजना में प्रस्तावित मुख्य सड़क इस क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है तथा यदि अध्याप्त के समय फीजाबाद रोड जो महायोजना की मुख्य सड़क है उससे प्रस्तावित भूमि छोड़ दी जायेगी एवं प्रतिशत प्रस्तुत करते समय उसे निकाल दिया जायेगा।

इस विकास में विकास व्यय रू० ६२,५४,८३८-०० मात्र होगा जिसमें भूमि अध्याप्त में रू० २१,७६,८१४।-, विकास कार्य में रू० ३६,२८,०२४।- एवं प्लॉट के सर्विसेज प्रदान करने एवं विकसित करने में रू० ३४,५०,०००।- का व्यय अनुमानित है।

प्रस्तावित साइट एवं सर्विसेज की संख्या केवल ३,००० मात्र है अतः यदि प्रति प्लॉट रू० २५००।- जाय कि माननीया स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने निर्देशन दिया है। ३००० प्लॉटों से रू० ७५,००,०००।- प्राप्त होने का अनुमान है। उक्त प्लॉटों में सर्विसेज के साथ एक कमरा जो व्यक्ति स्वयं बनायेगा उसका प्लिथ तक का विकास भी सम्मिलित है।

स्कीम के व्यय को कम करने हेतु करीब ८-६६ एकड़ (३६१४५० वर्गफुट) निलाम द्वारा लेने का प्रस्ताव है जिससे स्कीम की बकाया धनराशि रू० १७,५४,८३८।-

मद सं १४ (क्रमशः)

प्राप्त करने की सम्भावना है। इन प्लॉटों की मुरा रूप से बड़ी सड़कों पर ही रखा जायेगा अतएव इनमें किसी प्रकार की सुविधा की कमी रहने की सम्भावना नहीं है।

शासन के निर्णय एवं निर्देशों के अनुसार-

वर्षात से पूर्व गाज़ीउद्दीन हैदर केनाल के तटों पर बड़ी परिवारों को हटाना नितान्त आवश्यक है अतः तुरन्त एक ट्रान्जिट कैम्प इति क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि में २७४ विस्थापितों को कुछ समय तक रखने के लिये प्रस्तावित किया जा रहा है। इस पर होने वाले व्यय इस पूरे क्षेत्र के विकास एवं आध्याप्त व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इसकी अला से स्वीकृत आवश्यक नहीं है।

यह क्षेत्र शासन से अस्थाई रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है परन्तु नजूल का यह भूभाग प्रस्तावित साइट एवं सर्विसेज के लिये आध्याप्त भूमि का एक भाग है अतः इसे स्थाई रूप से विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाये जिससे इस पर पूर्ण क्षेत्र के विकास के साथ विकसित किया जा सके।

उपरोक्त विवरण के आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों पर मूल रूप से निर्णय लेना एवं निर्देश देना अभीष्ट है:-

- १- भूमि आध्याप्त करने हेतु भूमि आध्याप्त अधिनियम की धारा ४, ६, १७ पर अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की जाये।
- २- साइट एवं सर्विसेज के विकास का स्वरूप स्वीकृत किया जाये और इस प्रकार छोटे प्लॉट आवंटित करने की अनुमति प्रदान की जाये।
- ३- सड़क के स्थान पर साइट एवं सर्विसेज क्षेत्र में १५' के फुटपाथ से आवागमन रखने की अनुमति दी जाये।
- ४- जन सुविधाओं का क्षेत्र महार्याजना में प्रस्तावित क्षेत्र से १।२ रस्ते की स्वीकृत प्रदान की जाये।
- ५- विकास प्राधिकरण के पास इस स्कीम के आध्याप्त एवं विकास कार्य को करने के लिये कोई धन उपलब्ध न होने के कारण यह आवश्यक है कि शासन से अनुदान एवं कृपा के रूप में धन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाये।
- ६- नजूल भूमि जिस पर ट्रान्जिट कैम्प प्रस्तावित किया गया है उसे स्थाई रूप से विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाये।

सचिव (विकास प्राधिकरण)
८-६-७६।

वरिष्ठ नगर नियोजक
८-६-७६
म०स०
८-६-७६

इस विषय को प्राधिकरण के सफा प्रस्तुत किया जाये।

ह०-

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १५-६-७६ अपरान्ह ४ वजर जी विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित ६, जगदीश चन्द वीस मार्ग, लखनऊ में हुई, का कार्यवृत्त ।

तत्तत्त

उपस्थिति

- | | |
|--------------------------|--|
| १- श्री एस०वी०सखार | आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्षा,
लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| २- श्री राम चन्द्र टकर | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| ३- श्री श्रीम प्रकाश | उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन । |
| ४- श्री एस०वी०एस०देवी | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर
प्रदेश शासन । |
| ५- श्री श्री०पी०विश्वनाथ | अभियंता मुख्य अभियन्ता, जल निगम । |
| ६- श्री जै०पी०दुबै, | मुख्य नगर एवं गाम नियोजक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ। |
| ७- श्री आर०आर०शाह, | उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, |

अन्य उपस्थित

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| १- श्री आर०के०सिंह | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| २- श्री कै०पी०सिंह, | बरिष्ठा नगर नियोजक |
| ३- श्री एस०पी० गुप्ता, | मुख्य अभियन्ता |

==:==:==:

मद सं० १

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

मद सं० २

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३-३-७६ के कार्य वृत्त के कार्यान्वयन प्रगति संबंधी आस्था का अवलोकन किया गया ।

मद सं० ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल वजट १९७६-७७ पर विकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया ।

अध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने संबोधन भाषणा (एतिलिपि संलग्न) की पढ़ते हुए मूल वजट वर्ष १९७६-७७ विचारार्थ प्रस्तुत किया किया और उपाध्यक्षा की मूल वजट की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने की कहा । उपाध्यक्षा ने मूल वजट १९७६-७७ की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालते हुये बताया कि मूल वजट १९७६-७७ में २-३८ लाख के वजट का वजट है । उच्चतम लेखी को छोड़कर जी १-६८१ करोड़ का है अनुमानित आय- व्यय कमशः ६-८१ करोड़ तथा ६-७८ करोड़ है ।

बजट ३ भागों, सामान्य, नगर नियोजन एवं अभियन्त्रण में विभाजित है तथा प्रत्येक भाग, राजस्व, पूंजी एवं उचन्त लेखों पर आधारित है। इस प्रकार :-

- १- सामान्य विभाग के राजस्व लेखों की रू० ४-०८ लाख का घाटा अभियन्त्रण राजस्व लेखों से पूरा किया गया है,
- २- नगर नियोजन आय व्यय संतुलित है,
- ३- अभियन्त्रण राजस्व लेखों में उसके पूंजी लेखों में रू० २-६६६ कराँड़ स्थानान्तरित करने के उपरान्त रू० ६-४० लाख की बचत है। पूंजी लेखों की रू० ३-६६६ कराँड़ का स्थानान्तरण ह्यलिये आवश्यक था कि पूंजी प्रयोजनों पर व्यय करना था,
- ४- अभियन्त्रण पूंजी उचन्त लेखों के समस्त लेखों संतुलित है।

लखनऊ विभाग पर अधिग्रहण का बजट १९७६-७७ वर्षों के अन्तर्गत कार्यन्वयन हेतु प्रांगाम पर आधारित है जो इंजीनियरिंग पिटी डेवलपमेंट प्लान से लिये गये हैं।

पूँजी प्रयोजनों हेतु १९७६-७७ वर्षों में निम्नवत प्रयोजन है :

- क- कानपुर रोड योजना २०० एकड़, नैपियर रोड ५० एकड़, अलीगंज ३०० एकड़ तथा अन्य योजनाओं में रू० १-८५ कराँड़ से भूमि का अर्जन।
- ख- विभिन्न योजनाओं में रू० २-३० कराँड़ से भूमि का सुधार,
- घ- उच्च आय वर्गिय योजना में १००, मध्यम आय वर्गिय योजना में २५०, निम्नशाय वर्गिय योजना में ५००, तथा दुर्बल समुदाय हेतु १००० भवन रू० २-५६ कराँड़ की लागत से निर्मित कराने का अनुमान है।
- घ- हजरतगंज, नक़्शाय लामूश रोड, क़ितवापुर हत्यादि में रू० १-०१ कराँड़ की लागत से व्यवसायिक बैंक बनाने का प्राविधान है।।
- द- गन्दी वस्ति सुधार एवं पर्यावरण योजना हेतु सुधार। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कार्यक्रम वर्षों में प्राप्त योग्य आय एवं प्राथमिक अवशेष के अन्तर्गत है। बजट के पृष्ठ ७ तथा १८ व १६ की मिलान करने पर ऐसा विदित होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम स्वयंम उत्पादक है।

बजट में इस बात का ध्यान किया गया है कि अपने राजस्व आय तथा ऋण द्वारा प्राप्त आय में संतुलन रहे। इस प्रकार अभियन्तृणा विभाग के राजस्व लेख में रु० ४२६ करोड़ की आय अनुमानित की गई है जबकि ऋण स्वरूपी आय में ४-२६ करोड़ आंकी गई है तथा दोनों का अनुपात १:१ अर्थात् रु० १ के ऋण विरुद्ध रु० १ की आय का उत्पादन होगा।

बजट की अन्य विशेषतायें यह भी हैं कि बजट वर्षों में शासकीय ऋणों वृद्धि के ऋणों (जो आवश्यक योजना के लिये, लिये गये) तथा बैंक से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान करने का उपबन्ध किया गया है।

अन्य शासकीय ऋणों जिनकी किराई वर्षों १९७६-७७ में देय है उनकी धनराशि १३-५३ लाख है जिसके प्रतिदान हेतु बजट में १४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजटमें ३१-३-७६ तक आबुक्ति धनराशि रु० ७६ लाख का उपबन्ध मही किया गया है। इसमें दो प्रकार का ऋण है - एक पुराने ऋणों जो महापालिका में मिले हैं उनमें बाबू किराई का बजट में प्रतिदान हेतु प्राविधान किया गया है। इस आबुक्ति धनराशि रु० ७६ लाख का मामला प्राधिकरण के पक्ष विचाराधीन है जिसमें पुष्पाव है कि किराई के पुनः निर्धारण कराकर तथा आबुक्ति धनराशि का अंशों में भुगतान किया जाये अथवा इन ऋणों में निर्मित भवनों की देकर ऋण वापस कर दिये जायें। दूसरे प्रकार के ऋण हैं जो आवास योजनाओं हेतु वृद्धि के लिये लिये गये हैं उनमें शत प्रतिशत प्रतिदान का उपबन्ध किया गया है। उनमें कोई डिफाल्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने विचार विमर्श के उपरान्त कहा कि उपाध्यक्ष ने बजट की प्रमुख बातों पर एवं विशेषताओं के संबंध में प्रकाश डाला है जो ठीक ही है। हमें भी आय पदा से सहमत हूँ परन्तु केवल उतने ऋणों का प्राविधान किया जाय जिसका उपयोग पश्चगत विधीय वर्षों में संभव हो। अध्यक्ष महोदय ने पुनः कहा कि बजट के कुछ मामलों का व्यापक रूप से विचार करना आवश्यक है अतः एक उप समिति गठित कर दी जाय जिसके विचारार्थ निर्देशनविन्दु इस प्रकार दिये हैं :-

- १- बजट में यह देखा गया कि उतना ही ऋण का प्राविधान हो जितना वर्षों में उपयोग संभव हो।
- २- व्यय पदा की महीमांति विस्तृत रूप से समीक्षा की जाय।
- ३- उप समिति यह भी देखे कि ऋणों के भुगतान के लिये बजट में निश्चित रूप से प्राविधान हो गया है। जहाँ तक आबुक्ति धनराशि जो ७६ लाख बताई जाती है का पक्ष उपर्युक्त लिये रिशिद्यूल आदि के लिये समिति को विस्तृत विचार करना होगा अथवा संशोधित ऋणों में कौन भवनों में अनर्गल होने की वशा में उनमें किराये की प्रस्तावना की जा सकती है।

४- कार्य सूची की मद संख्या ४, ५, ६ के लिये समिति देखे कि स्टाफ नियमों पर अधिष्ठान की मांग की गई है इसके वेतन आदि में भिन्नता आकर असमानता न हो और ऐसे परिचयों के लिये बजट में स्पष्ट उपबन्ध रखा जाय ।

५- उप समिति फर्नीचर स्टाफ आदि के परिचय की जागीरी में देखी और पूर्ण मितव्ययता की ध्यान में रखते हुये कम कम सामान खरीदने की अनुमति कीगि । जैसे स्मिल के अलमारिया कुर्सी आदि अच्छी क्वालिटी एवं उचे दामों की खरीदना आवश्यक मन्दी है इसके स्थान पर लकड़ी के कम दामों के फर्नीचर में काम चल सकता है ।

इसी तरह कम दामों की खरीदने जैसे मस्ते किण्व के फाईल बकर तथा लिफाफे आदि कय किये जा सकते है ।

६- लाइब्रेरी के फर्नीचर के प्राविधान का पूर्ण मितव्ययता के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिये तथा लोहे की अलमारियाँ के स्थान पर लकड़ी की अलमारियाँ तथा कमबाम के फर्नीचर पर विचार करना हीगा ।

७- बुकम के क्य हेतु / जो प्राविधान किया गया है उस पर भी विशेष समीक्षा की आवश्यकता है तथा मितव्ययता की ध्यान में रखते हुये विचार किया जाना आवश्यक है ।

तदीपान्त प्राधिकरण द्वारा एक उप समिति कलित की गई जिसमें निम्नलिखित मदस्य है :-

- १- आयुक्त एवं सचिव, विज्ञ विभाग, उच्च प्रदेश शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
- २- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- ३- उपअध्यक्ष, लखनऊ विभाग प्राधिकरण ।

यह उप समिति उपर्युक्त निर्देशनों में प्रकाश में सम्पूर्ण बजट प्राविधानों की विस्तृत समीक्षा करते अपना प्रतिवेदन पूर्ण प्राधिकरण के विचारार्थ शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत करेगी । तब तक

अध्यक्ष की पूर्ण स्वीकृति लेना की जायेगी ।

अध्यक्ष मनादेश ने यह भी निर्देश दिया कि बजट की संस्तुति आस्था प्राप्त होने तथा पारिक होने तक कार्य न खरना चाहिये । अतः निश्चय हुआ कि निम्नलिखित प्रकाश में कर्ते गते की स्वीकृति पदान की जाती है :-

- १- अधिष्ठान - मस्ते वेतन जो अब तक दिया जाता रहा है ।

- २- बालू योजनाओं पर व्यय
- ३- वैश्व आवास योजनाओं हेतु प्राथमिक ऋण (जो प्राथमिक सर्वेक्षण की एवं मिलावट के माध्यम से) पर व्यय ।
- ४- नई योजनाओं जिनकी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा ही चुकी है ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने विकास प्राधिकरण में अधिकारों के प्रतिनिधान के संबंध में समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि विकास प्राधिकरण में अधिकारों के प्रतिनिधान अभी नहीं हुए । अतः इसे त्नाये जाने पर जोर दिया जाय ताकि कार्य सरलता एवं शीघ्रता से सम्पन्न हो सके । इस संबंध में एक उप समिति गठित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- १- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- २- आयुक्त एवं सचिव, विश्व विकास, उच्च प्रदेश शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
- ३- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त सदस्यों की उप समिति अधिकारों के प्रतिनिधान के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिस पर आगामी विकास विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाएगा ।

द सं०-४, ५, ६

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि म द संख्या ४, ५ एवं ६ जो निम्नलिखित हैं:-

- ४- कानपुर रोड पर नगर पसार योजना की भूमि अध्यापित अधिकारी तथा पूरा यूनिट लखनऊ विकास प्राधिकरण में खोले जाने के संबंध में ।
- ५- कानपुर रोड नगर पसार योजना की भूमि की शीघ्र अर्जन किये जाने के संबंध में तथा डेवलपमेंट हेतु एक एल०डी०ए० डिविजन हेतु पदों के सृजन के संबंध में ।
- ६- उच्च वर्ग के १०० भवन, मध्यम आय वर्ग के २५० भवन, अलीगंज योजना में तथा निम्न आय वर्ग के ५०० भवन बनाने हेतु एक अतिरिक्त आवास डिविजन खोले जाने के संबंध में ।

इन सभी पदों में अतिरिक्त स्टाफ के लिये पदों के सृजन की प्रस्तावना की गई है । अतएव उचित यह होगा कि स्टाफिंग पैटर्न पर सामान्य रूप से विचार करने के उपरान्त ही इन पदों के सृजन पर विचार किया जाय । साथ ही प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण के स्टाफिंग पैटर्न की तुलनात्मक विवेचना कर ली जाय ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा । निश्चित हुआ कि उपरोक्त अधिष्ठान संबंधी प्रस्ताव

21/12/11

के संबंध में सिद्धान्त स्वल्प विचार करने के उपरान्त ही नये पद सृजित करना उचित होगा ।

पद सं० ७

चौक क्षेत्र में नये स्पोर्ट्स स्टेडियम (स्पोर्ट्स स्टेडियम) के निर्माण के संबंध में विचार किया गया । इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी चाही कि क्या नगर के पश्चिमी क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना आवश्यक है ? उपाध्यक्ष ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में गठित उप समिति की बैठक दिनांक ८-५-७६ में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है कि लखनऊ की विशाल जनसंख्या को देखते हुये जी वर्तमान स्टेडियम है वह पर्याप्त नहीं है । इस स्टेडियम पर हर समय क्रीडें न क्रीडें प्रोमोन्ट चलता रहता है जिसे कारण फील्ड की एक दिन भी फ्रीस्ट नहीं मिलता है और फील्ड की रिपैरिंग तक बाधों से नहीं हो पाती है । इसके अतिरिक्त शहर के पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में इसकी दूरी बहुत अधिक है जिसे कारण इन क्षेत्रों के लोच खिलौद की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण नेगलेक्ट हो जाते है । इसके अतिरिक्त वर्तमान स्टेडियम नीचाई पर स्थित होने के कारण इसकी फील्ड पर स्वायत्त वाटर से बहुत नजदीक है जिसे कारण फील्ड इंटरनेशनल स्टेडर्ड की नहीं हो पाती है । अर्थात् महीदय ने कहा कि संबंधित परिशिष्ट देखने से स्पष्ट है कि उक्त स्थल पर रामलीला होती है जिस स्थल पर ऐसी धार्मिक कृत्य होते है उनके प्रति लोगों की जनभावनाये होती है । इसलिये उक्त स्टेडियम को रामलीला के लिये देने हेतु दखल देवाव पड़ेगा और चूंकि ऐसे कार्यो के लिये स्पोर्ट्स विभाग नियमनुसार स्टेडियम नहीं देता अतएव जनरीण भी व्याप्त हो सकता है । अतः इस संबंध में जिलाधिकारी से भी व्यापक विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जानी आवश्यक है :-

- (क) स्पोर्ट्स विभाग द्वारा क्या इस कार्य के लिये बजट आवदि का प्राविधान किया गया है ।
- (ख) क्या स्पोर्ट्स विभाग की शासन से इस निर्माण के लिये स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ?
- (ग) इस संबंध में स्पोर्ट्स विभाग की न्यूनतम वितनी भूमि की आवश्यकता होगी ।
- (घ) इस स्टेडियम में कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?
- (ङ) क्षेत्रीय आधारा पर कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

- ब- इस योजना का कुल फाइनेन्सियल आउट ले क्या है ?
- ज- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्षानुवर्ष वज्रत मन् में कितना प्राविधान किया गया है ?
- फ- इस योजना के पूर्ति हेतु आगामी वर्षों के लिए क्या प्राविधान किया गया है ।
- ट- इस स्थल पर किस प्रकार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?
- ठ- यह निर्माण विभाग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने की क्या आवश्यकता है । शासन का सार्वजनिक निर्माण विभाग क्यों नहीं कर सकता ।
- ड- यह योजना कब तक पूर्ण की जायेगी ?
- ढ- भूमि के हस्तांतरण की क्या नियम और शर्तें होंगी ?
- ण- सर्वोत्तम विभाग किस आधार पर भूमि चाहता है ?

अतः यह निश्चय हुआ कि जब तक उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट न हो जायें तब तक इस मद पर विचार की स्थिति रखना ही उचित होगा । यह बातें उप समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत की जाय । उप समिति देखेगी क्या इसके अतिरिक्त कोई और जगह दी जा सकती है ।

मद सं०-८

आल इंडिया वीमेन्स वान्फॉन्स हास्टल निर्माण हेतु उलीगंज मार्ग एवं नगर विस्तार योजना में ७,५०० वर्ग फीट भूमि देने के संबंध में विचार किया गया। अध्यक्ष मन्दीय ने कहा कि इस प्रश्न द्वारा यह बहुत ही उच्च लागे किया जाना प्रस्तावित है यह नगर में लागेयत महिलाओं को ५० पदत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने में सहायक होगा । तदुपरोक्त प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालते हुये कहा कि यह एक सामाजिक प्रश्न है और वर्किंग वीमेन्स हास्टल बनाने के लिए ७५०० वर्ग फीट भूमि की मांग की है । प्राधिकरण को इस संबंध में निम्नलिखित की विन्दुओं पर विचार करना होगा :-

- १- प्रीमियम की दर रु० ५-५० पै० प्रति वर्गफुट में घटाकर २-७५ पै० प्रति वर्गफुट अर्थात् ५० प्रतिशत रूट देने के विषय पर विचार ।
- २- ग्रुप हाउसिंग के रूप में विकसित करने पर ३३ प्रतिशत वरीज के स्थान पर भी चिन्थ ५० पत्रित का वरीज देने के विषय में ।

विभाग विमर्श के उपरान्त निश्चय हुआ कि आल इंडिया वीमेन्स वान्फॉन्स की लखनऊ नगर में वर्किंग वीमेन्स हास्टल निर्माण हेतु ७५०० वर्गफुट भूमि ५-५० पै० प्रति वर्गफुट की दर पर ५० प्रतिशत रूट देना पवान की जाय तथा यह निश्चय हुआ कि उक्त भूखंड के ५० प्रतिशत भाग को अर्जित ()

बातें हूँ केवल तीन मंजिला तथा हास्टल बनाने की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जाय ।

मद सं०-६

चैतना सोसाइटी की पंचली गिटाई बिल्डिंग हेतु रीजिस्ट्रियल स्कूल कोलेज जाने के संबंध में अलीगंज योजना के अन्तर्गत १८००० वर्ग फुट क्षेत्र के संबंध में विचारों किया गया । अध्यक्ष मजीदग ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य सराबरीय है परन्तु इस विषय पर निर्णय लेने के पूर्व निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है :-

- १- क्या शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण संबंधी स्वीकृति दी जा चुकी है ?
- २- इस संस्था का बजट कितना है ?
- ३- इस संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है ?
- ४- इसका स्टाफिंग पैटर्न क्या है ?
- ५- इस संस्था की इस संबंध में क्या योजना है ?
- ६- इस कार्य की सुचारु रूप से वायव्यवित करने के स्टाफ की प्राविधिक योग्यताएँ क्या हैं ?
- ७- यह संस्था शासन से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ?
- ८- इस संस्था में तर्कों की संख्या क्या है ?
- ९- इस संस्था के आय के स्रोत क्या हैं ?
- १०- इस मद हेतु संस्था के पास कितना धन उपलब्ध है ?
- ११- इस भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन चित्र में कितने कमरे प्रस्तावित हैं ?
- १२- इस भवन का वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना निर्माण किया जायेगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी पूर्ण कर लिया जायेगा ।
- १३- उक्त संस्था की वार्षिक आडिट रिपोर्टें देख ली जाय। उनमें इस संस्था के लागू वृत्त के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।
- १४- इससे संबंधित स्कूल की वार्षिक वार्षिक रिपोर्टें तथा भी अध्ययन का लिया जाय ।
- १५- संस्था की वास्तविक कितनी भूमि दे दी है मैं इसका काम चल सकता है यह भी देख लिया जाय ।

निश्चय हुआ कि चैतना सोसाइटी के लिए प्रस्तावित भवन चित्र तथा उपरोक्त की जानकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जाय। इस सभी विन्दुओं पर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं०-१०

मुम्बई इन्फ्रामिनीय नगरपालिका अर्थात् योजना के अन्तर्गत अल्प वेतन सहायक गृह निर्माण समिति के भूमि को अर्जन से मुक्त करने विषय पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष ने विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुये कहा कि अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की लगभग सी० ४-३-८-१० भूमि नगर महापालिका अन्तर्गत (विकास प्राधिकरण) की उक्त योजना जियमे लगभग ७२ बीघा भूमि सम्मिलित है के अन्तर्गत अर्जन करने हेतु महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट दिनांक ८-७-६५ में प्रकाशित हुई थी। महापालिका की विकास समिति ने योजना संबंधी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुये अपनी प्रस्ताव संख्या ७० दिनांक २३-२-७० द्वारा योजना से अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की उक्त भूमि को विकास मूल्य लेकर नियम नुसार मुक्त करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त निर्णय को महापालिका काल में महापालिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका। प्राधिकरण के गठन के बाद से महापालिका अधिनियम का अध्याय १४ जियमे अन्तर्गत महापालिका ऐसे विषयों पर विचार कर सकती थी भी सम्पादन की जाता है। अतः अल्प विकास प्राधिकरण को निर्णय लेना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृषि योजना में एक गणेशपुरी (विजय नगर सिंग कापरीशन) समिति कर्तव्य है की भी लगभग बीघा ६-४-१७-१६ कोरफल भूमि स्थित है यदि अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाता है तो गणेशपुरी (विजय नगर सिंग कापरीशन) समिति की भूमि को भी अर्जन से मुक्त करने पर विचार करना होगा। इस प्रकार इस संबंध में निम्न लिखित दो बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है :-

- १- उपरोक्त गृह निर्माण समिति की भूमि को योजना के अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।
- २- अल्प वेतन गृह निर्माण समिति के भूमि का अल्प विकास व्यय का चार्ज किया जाय, इस पर भी निर्णय लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस प्रकार की गृह निर्माण समितियों आवासीय समस्या को सुलझाने में बड़ी कार्य करती है जो विकास प्राधिकरण करता है। इनको प्रोत्साहन पदान करने के लिए एक राज्यादेश हुआ है जो सहायक आवास संघ का गठन किया गया है। इन सहायक आवास समितियों के प्रथम पर आवास संघ के माध्यम से आना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि इन समितियों का रजिस्ट्रेशन योजना गजट

हमें के पूर्व का हुआ है और भूमि की कृय की जा चुकी है तो जमीने काँड़नी
 होगी । उपाध्याय ने मुख्य अमानता के पूरा कि क्या उपरोक्त समितियों का उक्ति
 रजिस्ट्रेशन तथा भूमि का कृय कार्य इस योजना के गजट में प्रकाशित होने के पूर्व
 सम्पन्न की जा रहा है ? मुख्य अमानता के प्राधिकरण की जानकारी देते हुये
 बताया कि केवल अल्प वेतन गृह निर्माण समिति का रजिस्ट्रेशन उक्त योजना
 के गजट में प्रकाशन के पूर्व हुआ है तथा भूमि का कृय भी पहले सम्पादित की चुका
 था । गनैशपुरि (विजय नगर विभाग कार्यालय) समिति ने भूमि का कृय दिनांक
 १७-३-७१ को किया है ।

अतः निश्चय हुआ कि उपरोक्त राज्यादेश में वर्णित शर्तों के आधार
 पर अल्प वेतन गृह निर्माण समिति में विकास चार्जज लेने के संबंध में यह निर्णय
 लिया गया कि समिति विकास कार्य स्वयं करेगी और विकास प्राधिकरण
 इनकी आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर मिनीमम स्पैसिफिकेशन प्रैक्टाइज्ड
 करेगी । इसके लिये इनमें नियमानुसार सम्पादन किया जाएगा और
 प्रैक्टाइज्ड मिनीमम स्पैसिफिकेशन के आधार पर विकास कार्य न कराये जाने
 पर विकास प्राधिकरण उस सीमा तक कार्य स्वयं करेगा और विकास मूल्य
 तथा नियमानुसार विक्रीरिटी आदि उक्त गृह निर्माण समिति में कूल करेगा ।
 गनैशपुरि (विजय नगर विभाग कार्यालय) समिति के संबंध में निर्णय पद संख्या ११
 के विकास कार्य इस लिये जायेगा ।

पद सं० ११

अर्ल वेदगंज नौ-स्ता गढ़क योजना के संबंध में विचार किया गया ।
 उपाध्याय ने बताया पुनः वेदगंज एवं नौ-स्ता गढ़क योजना महापालिका
 अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट में दिनांक ७-८-६५ को
 प्रकाशित हुई थी । इसमें लगभग ७२ बीघा भूमि सम्मिलित है नगर महापालिका
 की विकास समिति ने योजना संबंधी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुये अपने
 प्रस्ताव सं० ७० दिनांक २३-२-७० परिशिष्ट १ द्वारा यह निर्णय लिया कि घनी
 आवादी में अधिकृत की की योजना से मुक्त कर दिया जाय तथा अल्प वेतन
 सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि की भी डेवलपमेंट चार्ज लेकर
 नियमानुसार मुक्त कर दिया जाये ।

विकास समिति के उपरोक्त नियमानुसार योजना संशोधित की
 गई जिसमें अनुपात केवल ५६ बीघा भूमि ही अर्जनीय निकाली गयी तथा
 यथानुसार हर्बनामिक्य की विकास समिति ने इसकी प्रस्ताव संख्या ५० दि० १६-५-७३

द्वारा अनुमोदित कर लिया परन्तु, विवाह समिति के उपरोक्त निर्णय की प्रतिकूलता के कारण प्रमाणित द्वारा अनुमोदन नहीं की गया जिस पर अब विवाह प्राधिकरण की निर्णय लेना है।

अब गौजना क्षेत्र की पुनः निर्दिष्ट विवाह समिति के आचार्य पर निम्न प्रकार है :

- १- धनी आवादी के अधिकृत क्षेत्र लाभ ४० बीघा
- २- अल्प वेतन सहकारी गृह निर्माण लाभ की ४-३-८-१०
- ३- गनैशपुरी (विजय वाडपिंग काशी) लाभ की ६-४-१७-१६

धनी आवादी के अधिकृत भाग जिसका क्षेत्रफल ४० बीघा है की कुंडवार शेष लाभ ३० बीघा भूमि बचती है यदि अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की भूमि की लाभ ४-३-८-१० बीघा है अर्जिन से मुक्त की जाती है तो गनैशपुरी कालीनी जिसका लाभ ६-४-१७-१६ बीघा भूमि है की अर्जिन से मुक्त करने तथा क्या विवाह कार्य लिया जाय के विषय पर विचार करना होगा। इस प्रकार गौजना में केवल २० बीघा ही भूमि बचेगी। इस संबंध में मुख्य अधिकारी ने बताया कि कुंठि बची हुई भूमि एक स्थान पर नहीं है और हाट्टे टुलाड़ी में है तथा यह संख्या १० में अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की भूमि की लाभ की ४-३-८-१० है मुक्त का दो गई है। अतः इस गौजना की दृष्टि पर दिया जाना उचित होगा। गौजना की दृष्टि का देखे की दृष्टि से गनैशपुरी (विजय वाडपिंग काशी) निर्माण समिति के बारे में भी निर्णय लिया जाना है। श्री निश्चय विवाह समिति की संतुष्ट है वांगेज नीरवता गौजना की दृष्टि का विचार साथ गनैशपुरी (विजय वाडपिंग काशी) निर्माण समिति की आवाह संघ के माध्यम से अपना के आग्रहलाभ मैजने की तथा साथ साथ विवाह प्राधिकरण विवाह होगा।

पद सं०-१२

राज्य कर्मचारियों की आवाह भूखंड आवंटन पद्धति पर विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। यह उन कर्मचारियों के लिये आवाह भूखंड आवंटन करने के संबंध में है जो अपने जीवन का सर्वोच्च समय संस्था व शासन को अर्पण करते हैं उनके लिये कुछ काम उचित होगा जैसा कि पत्रकारों के लिये किया गया है। सिद्धान्तः विवाह प्राधिकरण की यह नीति अपनाया उचित होगा। उपरोक्त ने कहा कि प्राधिकरण के आर्थिक विवरणों के दृष्टि से भी सुझाव है कि विवाह समिति शासन ने पत्रकारों को दिये गये भूखंड अथवा गिरायत का भार वहन किया है उसी भाँति राज्य कर्मचारियों को प्रस्तावित भूखंड का भार ~~कर्मचारियों~~ राज्य सरकार को वहन करना चाहिये और इसके लिये राज्य सरकार ने लिया पढ़ी की जानी चाहिये

कूट स्वयं प्रदान करता है ता
 अन्य संशोधनों और वर्गों के लोग भी इस प्रकार की नियामक की मांग कर
 सकते हैं। जिसमें प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर कु-प्रभाव पड़ सकता है
 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उच्च प्रेश, लखनऊ, ने उपाध्यक्ष के विचारों
 में सहमति प्रकट की। संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने कहा कि विकास
 प्राधिकरण को ही पानी-पंपिंग संस्था नहीं है। इस संस्था द्वारा सार्वजनिक
 सुविधा भी दिया जाना है। उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसा होने पर विकास
 प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर कु-प्रभाव पड़ेगा।

विवारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण सिद्धान्तः
 ऐसी नियामक ५० प्रतिशत तक देने को सहमत है लेकिन डिफरेंस आफ रेंट्स
 का शासन द्वारा प्राधिकरण को रिहम्बर्स - कानून के लिये स्वायत्त शासन
 विभाग से ज़रूरत शिफारिस की जाय।

मद सं० १३-

आवास विकास परिषद की तालुकद्वारा आवास योजना में
 अध्याप्त आर्थिक दायरे को आवासीय दायरे के लिये भू-उपयोग परिवर्तन
 के विषय में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा संशोधित प्लान की
 स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाना आगामी बैठक के लिये
 स्थगित किया गया।

मद सं० १४-

गाज़ीउद्दीन हैदर बेनाल के विस्थापितों को वैकल्पिक व्यवस्था
 देने हेतु ग्राम शेखापुर कब्रला स्थित फौजालाद रोड पर साइट और यकियेज
 के आधार पर क्वार्टे मुखण्ड देने के सम्बन्ध में विचार किया गया उपाध्यक्ष ने
 वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शासन ने निर्णय लिया है कि
 गाज़ीउद्दीन हैदर बेनाल की पटरियों पर अनधिकृत निर्माण को हटाकर
 बरसाती पानी के निष्कास हेतु एक मुख्य मार्ग विकसित करने के लिए पिंवाई
 विभाग को हस्तान्तरित करना है। इसका करने के पूर्व विस्थापितों के लिए
 वैकल्पिक व्यवस्था का प्राविधान करना होगा। इसके लिये ग्राम शेखापुर
 कब्रला में ६६-६३ एकड़ (२६, ०२, ४१६ वर्ग फीट) भूमि अर्जन हेतु उपलब्ध
 है। इसमें लगभग ७ एकड़ भूमि नज़ूल को भी सम्मिलित है। चूंकि वर्षों के
 पहले इनको हटाना है अतएव विस्थापितों को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिये
 उक्त नज़ूल भूमि विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर करने के लिये शासन को
 लिख दिया गया है। इसमें ट्रांन्जिट कैम्प को व्यवस्था की जायेगी।
 योजना में ४५० वर्ग फीट के मुखण्ड बनाये जायेंगे जो साइट और यकियेज
 योजना के लिए प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष ने कहा कि यह ठीक है कि निम्ना
 वैकल्पिक व्यवस्था लिये विस्थापित करना ठीक नहीं है तथा निम्नलिखित

कमशः

शर्तों पर बल देना आवश्यक है :-

- १- यह देना लिया जाय कि स्लम क्लेयर्स की जगह दूसरा स्लम न बन जाय ।
- २- विस्थापितों की मिनीमम स्थल निर्दिष्ट किया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि विस्थापितों को इतनी भूमि दी जाय जिस पर वे अपनी हैसियत के अनुसार भवन निर्माण कर सकें ।
- ३- उक्त नजूल लैण्ड विकास प्राधिकरण की साइट और सर्वेसैज के लिये स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दी जाय ।
- ४- प्रत्येक विस्थापित अपना साइट और सर्वेसैज के लिये प्राप्त स्थल अपने आवास के लिये ही प्रयोग करेगा । उसको न तो बेच सकेगा और न ही यह भूमि या उस पर बनाया गया भवन किराये पर उठा सकेगा । यदि कोई भी विस्थापित उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उपरोक्त साइट और सर्वेसैज विकास प्राधिकरण बिना कोई प्रतिपत्त दिये वापस ले लेगा । फिर भूखण्ड विकसित करने पर किया गया व्यय राजस्व की भांति कूल का लेगा । विस्थापितों से एक एग्रीमेंट किया जाय उसमें इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस विषय में प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अदालत की शरण नहीं ले सकेगा ।
- ५- उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की शायन से इस संबंध में सबसिडी (अनुदान) के लिये पत्र व्यवहार करें तथा स्थल के लिये विकास हेतु राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य वित्तीय श्रोतों से निर्गम शिर्षण करके विकास प्राधिकरण की स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष ने कहा कि इनको मिनीमम सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी जैसे जीवा कनेक्शन, विजली, सड़क आदि जिन पर व्यय २५००१- रूपया आती है । अन्ततः नजूल लैण्ड मांगी जायेंगी तथा विस्थापितों को वहाँ शिफ्ट लिया जायेगा । अतः ट्रान्जिट कैम्प जिन नजूल भूमि पर बनाने प्रस्तावित है उसे विकास प्राधिकरण को दे दिया जाय ताकि प्रश्नगत जगह अविलम्ब खाली कराई जा सके ।

निश्चय हुआ कि निम्नलिखित उपबन्धों पर गगजीउद्दीन हैदर कैनाल क्षेत्र से नगर के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जाय तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तुलन्त कार्यवाही की जाय :-

- १- भूमि अध्यापित करने हेतु भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा ४, ६, १७ पर अगिम कार्यवाही की जाये । भूमि प्राप्त होने पर

तथा उपरोक्त सभी फारमैल्टी पूरी हो जाने के बाद ही कैनाल एरिया में लोगों को हटाया जाये ।

- २- साइट एवं सर्वेसैज के विकास का परिशिष्ट में वर्णित स्वरूप स्वीकृत किया गया और इस प्रकार काटे प्लॉट (४५० वर्ग फीट) आवंटित किये जायें ।
- ३- गड़क के स्थान पर साइट और सर्वेसैज क्षेत्र में १५ फीट के फुटपाथ से आवागमन अनुमोदित किया गया ।
- ४- जन सुविधाओं का क्षेत्र महासंजना में प्रस्तावित क्षेत्र से १।२ रकने को स्वीकृत प्रदान की गयी ।
- ५- विकास प्राधिकरण के पास इस स्कीम के अध्याप्त एवं विकास कार्य को करने के लिए कोई धन उपलब्ध न होने के कारण शासन से अनुदान के लिए पत्र व्यवहार करें । इसके अतिरिक्त भूमि विकास हेतु बैंकों तथा अन्य संस्थागत वित्तीय श्रोतों से उपाध्याय निर्माशिशेषन करें तथा पूर्ण हो जाने पर प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
- ६- नजूल भूमि जिहा पर ट्रान्जिट कैम्प प्रस्तावित किया गया है उसे स्थाई रूप से विकास प्राधिकरण की उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जाये ।
- ७- प्रत्येक विस्थापित इस साइट और सर्वेसैज के रूप में प्राप्त भूखण्ड की आवागमन प्रयोजन में स्वतः प्रयोग करेगा । वह इसे न लेव सकता है और न ही किसी को किराये पर उठा सकता । यदि ऐसा करेगा तो साइट और सर्वेसैज विकास प्राधिकरण को स्वतः वापस माफ़ा जायेगा और इस पर व्यय किया गया धन उसी राजस्व की भांति काल किया जाय । कोई भी विस्थापित ऐसे निणाय के विरुद्ध अदालत की शरण नहीं ले सकेगा ।

(एस० डी० साकार)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
तथा
अध्याय
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

B U D G E T 1976-77.

CHAIRMAN'S ADDRESS

SRI S.K.SARKAR, COMMISSIONER LUCKNOW & CHAIRMAN LDA.

Gentlemen,

I have great pleasure in welcoming you to the Second Budget Meeting of the Lucknow Development Authority, after the conclusion of the first financial year the Authority was formed on September 13, 1974).

2. For the Authority the year 1975-76 has been a year of 'search for identity' as one may call it. For the identification of the role it has to play and the tasks it has to perform, an " Integrated Urban Development Plan " has been prepared for the quinquennium 1976-81 in collaboration with the Town and Country Planning Department. This plan has been adopted by the Authority and is under submission to the Government India Ministry of Works and Housing, for provision of requisite finances.

3. Under the Integrated Urban Development Plan, the Authority has to carryout a wide spectrum of functions viz, Housing (Rs. 170 million), Construction of Commercial Complexes (Rs. 78 million), Slum Clearance (Rs. 175 million), Environmental and Ecological Improvement (Rs. 17.6 million) and Land Acquisition, Development & Disposal (Rs. 564.6 million).

4. In physical term, the Integrated City Development envisages a fairly ambitious Housing Programme consisting of

a) Construction of 17,000 tenements for Slum dwellers, 5000 houses for the EWS
2000 LIG houses, 750 MIG houses and 250 HIG houses and

b) Development of 25,000 plots and 8750 sites with services.

Construction of Commercial Complexes at Hazratganj, Nakhas, Latouche Road Railway Dump Alambagh, Chitwapur and also execution of other decongestion schemes viz Transport Nagar, Timber Nagar, Sabzi Mandi and Cattle Colonies is also contemplated. The plan entails Land Acquisition and Development on a fairly large Scale.

5. If the Authority is to carryout such an ambitious programme in the short span of 5 years, an organisation with a " Dynamic culture " where " result orientation " takes precedence over " rule orientation " and supporting financial resources are a must.

6. For revamping the organization to subserve this end, the Hyderabad Administrative Staff College were commissioned by the Authority to carryout studies on the " Organisation

Structure " & Managerial Man Power Planning and Performance Budgeting of the Authority. These studies have been completed and the Staff College reports are presently under consideration of the Authority.

7. For resource mobilisation during the first few years the Authority will have to depend upon market borrowings from financial institutions till the assets created by the Authority with market borrowing starts generating surpluses and thus helps the Authority build-up its own Revolving Fund. The Authority has during the year 1975-76 successfully negotiated a loan of Rs. 54 lakhs from HUDCO besides the first loan from a Commercial Bank. This is a loan of Rs. 95 lacs obtained from the Central Bank of India for financing the construction of the Hazratganj Commercial Complex. This has been the pace setter for harnessing Bank loans for urban development in Lucknow. Negotiations with other nationalised Banks in respect of the Latouche Road scheme and Nakhas Scheme have reached an advanced stage. The initial response of the Banks for participation in unguaranteed debentures to be floated by the Authority has been encouraging.

8. Another important achievement of the year 1975-76 is the fact that in its every first year of operation the Authority has been able to achieve almost all its budget estimates under various heads of income. On the income-side, the highlights are follows:-

- (a) In Revenue Account against an estimated income of Rs. 1.70 crores the actual income has been of the order of Rs. 1.87 crores.
- (b) In Capital account against an estimated revenue of Rs. 1.30 crores, the actual income has been Rs. 1.41 crores.
- (c) The actual revenue account revenue income of 1975-76 has been almost 300% of the income in 1974-75, and in case of capital account, the income of 1975-76 is almost 200% of the corresponding income for 1974-75.
- (d) In the case of items like premia on leases, old Hire Purchase, Receipts from Nazul, Income from building section, sale of Awas Land, Sale/Hire Purchase of Houses etc. the budget estimates have been achieved over 100%.

9. The two items where there have been shortfalls in budgeted income are:-

- (a) Rent from building-- against a budget provisions of Rs. 14.00 lakhs total recoveries were Rs. 13.05 lakhs.
- (b) Sale of Vikas land--Rs. 48.00 lakhs was budgeted while actual recoveries were only Rs. 46.02 thousand.

As regards the former the shortfall is quite nominal (less than 5% of the estimated figure). This year's recovery is

Contd.

As regards the former the shortfall is quite nominal (less than 5% of the estimated figure). This year's recovery is however, about 33% more than the average annual recovery over the last few years. As regards the latter, "stay orders" from courts have been the major obstacle. Nevertheless, the authority may derive satisfaction from the fact that in April, 1976 five important writs have been decided in favour of the Authority by the Lucknow Bench of the High Court involving land with an estimated valuation of Rs. 25.00 lakhs.

10. The performance on the expenditure side, however, has not been of the same order as in the case of the receipts. There have been major shortfalls resulting in a large closing balance of Rs. 1.98 crores on 31 - 3 - 1976. This has been largely due to the fact the technical staff inherited by the Authority from the erstwhile Mahapalika vikas Vibhag needs to be considerably reinforced, to enable carrying out satisfactorily future works involving such large outlays.

The budget for 1976-77 seeks to rectify this inadequacy, and a provision has been made for a Planning wing consisting of Town Planners, Architects etc., (proposed provision is Rs. 6.10 lakhs). Furthermore, budget provision has also been made for creation of a Land Development Division and a Housing Division at a cost of Rs. 2.50 lakhs each. All these provisions are tentative and are subject to the sanction of the ultimate set-up by the competent authority.

11. The highlights of the activities of the Authority on the development side during 1975-76 are as follows:-


- (a) For the first time a colour scheme has been successfully enforced in the case of all non-residential buildings abutting arterial roads. The repairs and painting was carried out by IDA itself and cost was recovered from the occupants of the premises. The scheme has attracted nation wide attention and enquiries have been received from the Bangalore Municipal Corporation and from Bhopal asking for details the State Government have also directed the other Development Authorities in the State to carry out similar colour washing programmes in their areas on the Lucknow pattern.
- (b) Two major clearance operations have been carried out for implementation of the Authority's commercial schemes in Old Post Office Premises in Hazratganj and the Nakhas area in Chowk.
- (c) HUDCO- Phase II Outlay (Rs. 69.00 lacs) has been nearly completed in record time of one year (consisting of construction of 233 flats for EWS, 85 flats for LIG, 75 for MIG, and 25 for HIG).

12. The outlook for the year 1976-77 in the balance may, therefore, termed to be one of hope and encouragement. Since the results of 1975-76 have shown that actual income several times that of the previous year can be achieved by accelerating the pace of development and by imaginative and prudent commercial management, the income estimates for 1976-77 of the order of Rs. 9.81 crores may not be said to be overambitious. On the expenditure side also the experience of 1975-76 indicated that given the necessary organisational and logistic support, LDA can achieve ambitious construction targets.

May I now conclude, gentlemen, wishing the LDA a career of meaningful civic performance during the budget year 1976-77, making it a still better instrument for the good for the citizens of Lucknow. I now ask the vice Chairman to present the budget before the Authority and explain its salient features to the members.

June 15, 1976.

पत्रावली संख्या



प्रश्नोत्तर

विकास
प्राधिकरण

मूल बजट 1976-77

विभाग _____

पत्रावली संख्या _____

वर्ष _____

विषय _____

सम्बन्धित पत्रावली संख्या _____

लखनऊ विभास प्राधिकरण

का

मूल नजट १९७६-७७

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
मूल बजट वर्ष १९७६-७७
ध - - - - -

विवरण	आय पक्ष		व्यय पक्ष		अन्तिम अवशेष
	प्रारम्भिक अवशेष	आय	योग	व्यय	
१- सामान्य प्रशासन					
क- राजस्व लेखा	-	२६,३१,०००	२६,३१,०००	३०,३६,०००	
ख- पूंजी लेखा	-	-	-	-	
ग- उचन्त लेखा	-	४,१०,०००	४,१०,०००	४,१०,०००	
२- नियोजन					
क- राजस्व लेखा	-	७,०६,०००	७,०६,०००	७,००,०००	
ख- पूंजी लेखा	-	-	-	-	
ग- उचन्त लेखा	-	-	-	-	
३- अभियन्त्रण					
क- राजस्व लेखा	५४,६५,५६६	१,२६,८०,०००	१,८१,७५,५६६	१,७५,३५,०००	
ख- पूंजी लेखा	१,४१,०५,५००	७,२६,२५,०००	८,६७,३०,४००	८,६७,३०,४००	
ग- उचन्त लेखा	२,२२,७२३	१,६९,७८,०००	१,६४,००,७२३	१,६४,००,७२३	
योग		१,६८,२३,७१६	१,६८,२३,७१६	१,६८,२३,७१६	+ २,३८,५६६

सहायक लेखाधिकारी (आवास)

सहायक लेखाधिकारी (विकास)

मुख्य लेखाधिकारी

बजट- सूची

आय पक्ष

१- सामान्य प्रशासन राजस्व लेखा	बजट मद	१(क) से १(क)-७(३)	पृष्ठ १ से २ तक
पूजी लेखा	,,	१(ख) ८ से १(ख) ८(11)	पृष्ठ २ तक
उचन्त लेखा	,,	१(ग) ११ से १(ग) १५	पृष्ठ ३ तक
२- नगर नियोजन विभाग राजस्व लेखा	,,	२(क)-१६ से २(क)-१७	तक पृष्ठ ४
पूजी तथा	,,	२(ख)-१८ से २(ख)-१९	,, पृष्ठ ४
उचन्त लेखा	,,	२(ग)-२० से २(ग)-२२	,, पृष्ठ ४
३- अभियन्त्रण विभाग राजस्व लेखा	,,	३(क) २३ से ३(क) २८(11)	तक पृष्ठ ४-६
पूजी लेखा	,,	३(ख) २९ से ३ (ख) ३१(२) 111	तक पृष्ठ ७-८
उचन्त लेखा	,,	३(ग) ३१ से ३ (ग) ३८ ख तक	पृष्ठ ९- १० तक
आय पक्ष का योग बजट मद	— -- —		,, ११ तक

व्यय पक्ष

१- सामान्य विभाग राजस्व। पूजी।	बजट मद	१(क)। से १(ग)-१०(11)	पृष्ठ १२-१३-१४
उचन्त लेखा			
२- नगर नियोजन राजस्व लेखा	बजट मद	२(क) ११ से २(ग) १८ तक	पृष्ठ १४-१५ तक
पूजी लेखा			
उचन्त लेखा			
३- अभियन्त्रण राजस्व लेखा	बजट मद	३(क) १९ से ३(क) २७	पृष्ठ १५- १६ -१८ तक
पूजी लेखा	,,	३-ख(२८) से ३(ख) ३१(क)	पृष्ठ १८-१९ तक
उचन्त लेखा	,,	३(ग) ३२ से ३ (ग) ३५ -	पृष्ठ २०-२१ तक
आय पक्ष का विवरण	-- -- --		पृष्ठ २२ से २५ तक
व्यय पक्ष का विवरण	-- -- --		,, २६ से ३० तक
परिशिष्ट	-- -- --	-- -- --	क पृष्ठ ३१
			ख ,, ३२-३३
			ग ,, ३४
			घ ,, ३५
			ङ ,, ३६
			च ,, ३७
			छ ,, ३८
			ज ,, ३९-४०-४१
			झ ,, ४२-४३
			ड ,, ४४

आय पदा

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मूल आय व्ययक वर्ष १९७६-७७

आय पत्रा

मद सं०	आय के शीर्षक	गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े १९७४-७५	वर्ष १९७५-७६ का पनरीकृत बजेट	वास्तविक आंकड़े वर्ष ७५-७६	मूल बजेट अनुमान वर्ष १९७६-७७
१	२	३	४	५ रु	६
	प्रारम्भिक शेष	६४,७७,६३८	१,०४,१८,३२७	८४,१८,३२७	१,६८,२३,७१६

१- सामान्य विभाग

क- राजस्व लेखा

क(१) भूमि की बिक्री से आय और पट्टों का अधिशुल्क

1- भूमि की बिक्री से आय	-	३,५०,०००	३,६६,८०७	३,६६,८०७	मद सं० ३(क)२३ देखें
II- पट्टों का अधिशुल्क	-	२,००,०००	२,४७,७३८	२,४७,७३८	३,००,०००
III- नजूल भूमि की बिक्री से आय	-	-	-	-	-
क(२) भवनों की बिक्री से आय					
1- भवनों का पूर्ण विक्रय	-	-	-	-	-
II- भवनों का हायरपर्वेज पर विक्रय,	१,७५,०६२	१,२२,०००	१,७२,२००	१,७२,२००	२,००,०००
क-(३) अन्य सम्पत्तियां	-	-	-	-	-
क-(४) अवल संपत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर,	-	-	-	-	-
क-(५) परिवर्द्धि का से प्राप्तियों जिनमें व्याज भी सम्मिलित है,	-	-	-	-	-
क-(६) किराया तथा अन्य प्राप्तियां,					
1- भवनों का स्थायी किराया	१२,३४,६१०	१४,००,०००	१३,६५,२४६	१४,००,०००	
II- अन्य प्राप्तियां :-					
क- डेवलपमेंट लेवी	-	१,०००	-	-	१,०००
ख- अन्य	२,६६,३५८	१,४०,०००	१,२६,८६५	१,२६,८६५	१,५०,०००
III- नजूल से प्राप्तियां	-	७०,०००	१,००,०००	१,५१,०००	१,५१,०००

रु० २० लाख विनियोजित धन प्रथक है।)

क्रमशः

१	२	३	४	५	६
१-क-(७) पूंजी के प्रयोजनों से निम्न आय प्रयोजना के लिए					
ऋण अनुदान तथा अर्शदान					
१- सरकार से :					
I- विभिन्न अधिनियमों के अधीन वसूल किये गये दण्डों के बदले,	-	-	-	-	-
II- सामान्य प्रयोजन के लिए	-	-	-	-	-
III- महंगाई भत्ता अनुदान	१,६२,३४६	२,५०,१००	₹ २,६३,६२७	२,६०,०००	
IV- पूंजीकरण शुल्क से सम्बन्धित अनुदान	-	-	-	-	-
V- अन्य अनुदान	१,००,०००	-	२,००,०००	-	-
क-७(२) अन्य साधनों से	-	-	-	-	-
क-७(३) प्राधिकरण की संपत्ति तथा अन्य सूत्रों से प्राप्तियां,	-	-	-	-	-
I- मशीनें, उपकरण, सयंत्र अन्य चल सम्पत्ति की बिक्री से आय,	-	-	-	-	-
II- बुकरी, घास आदि की बिक्री से आय,	-	१५,०००	६,३२५	२०,०००	
III- बाजारों से आय	-	८५,०००	२,३६,६४६	१,००,०००	
IV- अन्य (व्याज)	२,३४३	-	५०,६३२	५०,०००	
योग(क) राजस्व लेखा	२०,७०,७४६	२६,६३,०००	३२,२३,४२२	२६,३१,०००	
१- ख- पूंजी लेखा					
१- ख- क- लिये गये ऋण					
I- सरकार से	-	-	-	-	-
II- खुले बाजार से	-	-	-	-	-
ख- द अनुदार					
I- सरकार से	-	-	-	-	-
II- अन्य साधनों से	-	-	-	-	-
ख- १० - राजस्व लेखा से संग्रामिक धनराशि					
योग-ख- पूंजी लेखा	-	-	-	-	-

१	२	३	४	५	६
<u>१-ग- उचन्त लेखा</u>					
<u>१-ग-११-निर्जाप (डिपोजिट)</u>					
	I- भूमि जमादि के क्रय के लिए खपाना तथा प्रारम्भिक भाग ,	-	४५,०००	-	१,००,०००
	II- प्रति भूतियां				
	(क) कर्मचारियों से	-	-	-	-
	(ख) अन्य से (ठेकेदारों)	-	५,०००	५,८०३	१०,०००
	III- स्टाम्प	-	-	-	-
	IV - अन्य निर्जाप	-	-	-	-
<u>ग-१२- अग्रिम की वसूली</u>					
	I- स्थाई	-	-	-	-
	II- गृहों के निर्माण किये गये अग्रिम	-	-	-	-
	III- मदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से	-	-	-	-
	IV - अन्य अग्रिम	-	२,००,०००	-	३,००,०००
<u>ग-१३- विनियोग</u>					
	I- विनियोगों का आहरण	-	-	-	-
	II- विनियोजित धनराशि पर व्याज	-	-	-	-
	III- प्रतिभूतियों की बिक्री से आय,	-	-	-	-
<u>ग-१४- लिये गये ऋण</u>					
	I- सरकार से	-	-	-	-
	II- मुले बाजार से	-	-	-	-
	ग-१५- सामान्य प्रयोजनों के लिए ली गई भण्डार वस्तुओं की बिक्री से आय तथा उनके मूल्यों का जमा किया जाना ।	-	-	-	-
<u>योग-उचन्त लेखा</u>					
	योग क, ख, ग	-	२,५०,०००	५,८०३	४,१०,०००
<u>(२) गत्य, पूर्वी तथा उचन्त लेखा</u>					
		२०,७०,७४६	२६,१३,०००	३२,२६,२२५	३०४९,०००

क्रमशः

१	२	३	४	५	६
<u>२- नगर नियोजन</u>					
<u>क- राजस्व- लेखा</u>					
<u>२- क-१६- भवन निर्माण</u>					
<u>विभाग की आय</u>					
I- भवन चित्र शुल्क	४,८२०	१,५०,०००	१,६४,६६५	१,५०,०००	
II- नगरवान शुल्क	-	४५,०००	५२,९६२	४,५०,०००	
III- प्रतिलिपि एवं प्रमाणित करने का शुल्क	-	१,०००	६३८	१,०००	
IV - ड्राफ्टमैन लाइसेन्स शुल्क	-	२,०००	३५०	२,०००	
V - भवन चित्र प्रार्थना-पत्र फार्म शुल्क	-	२,०००	-	२,०००	
VI - मास्टर प्लान जॉनल प्लान से प्राप्ति का शुल्क	-	-	-	५०,०००	
VII - नान-कन्फमिंग बैटरमैन्ट लेवी	-	-	-	५०,०००	
२-(क) १७-सूचीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम	-	१,०००	-	१,०००	
योग "ख" राजस्व लेखा	४,८२०	२,०१,०००	२,१८,४१५	७,०६,०००	
<u>२- ख- पूंजी लेखा</u>					
<u>२-ख-१८- लिखित गये ऋण</u>					
I- सरकार से	-	-	-	-	
II- अन्य स्रोतों से	-	-	-	-	
<u>२-ख-१९- अनुदान</u>					
I- सरकार से	-	-	-	-	
II- अन्य स्रोतों से	-	-	-	-	
योग "क" पूंजी	-	-	-	-	
<u>२- ग- उच्चत लेखा</u>					
<u>२- ग-२० अग्रिम</u>					
I- स्थाई	-	-	-	-	
II- अस्थायी	-	-	-	-	
III- कमचारियों से	-	-	-	-	
<u>२- ग-२१- विनियोग</u>					
I- ग-२१- विनियोग	-	-	-	-	
II- ग-२२- विनियोग	-	-	-	-	
कुल:					

१	२	३	४	५	६
३- अभियन्त्रण विभाग					
क- राजस्व लेखा					
३-क-२३ भूमि की बिक्री से आय					
२३(क) विकास	२४,६८,२९६	१०,००,०००	४६,६७२	२५,००,०००	+
२३(ख) आवास(अलीगंज से)	१,३३,३४०	७५,२३,०००	७८,५८,६५३	१२५,००,०००	++
३३(ग)महानगर गृह योजना	-	१,००,०००	१,३५,३७०	१,००,०००	
२३(घ)कानपुर रोड योजना(वि)	-	-	-	५५,००,०००	+++
३-क-२४-अन्य आय	-	-	-	-	
क- विकास	-	-	-	-	
ख- आवास	-	-	-	-	
३-क-२५ भवनों की बिक्री से आय					
I- भवनों का पूर्ण विक्रय					
क- आवास					
1- भूमि	-	-	-	२५,४०,०००	+++
11-भवन	५०,०००	३४,९१०००	४८,७४,३४५	१०९,६८,०००	
II-भवनों का हार्बरपर्वज पर विक्रय					
(क) आवास :-					
1- भूमि का मूल्य	-	-	-	१४,७०,०००	+
11- भवन का मूल्य	१२,६७,६३८	२३,२५,०००	१६,२९,३२८	४८,७८,०००	+
III- दुकानों की प्रीमियम					
२५ क- विकास	-	-	-	२५,००,०००	+२
ख- आवास	-	-	-	२,१०,०००	+३
३-क-२६-किराया तथा अन्य प्राप्तियां (विकास)					
क- भवनों का स्थाई किराया	-	-	-	-	
ख- भवनों का अस्थायी किराया	-	-	-	-	
ग- अन्य प्राप्तियां :					
1-मार्केटिंग सेंटर हेतु	-	-	-	-	
II-वार्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु	-	-	-	-	
III- अन्य प्राप्तियां	१,२६,६६६	३,००,०००	२,४६,०४२	१,००,०००	
+ कृपया देखें परिशिष्ट क पृष्ठ ३१					+ १ कृपया देखें परिशिष्ट क पृष्ठ ३६
++कृपया देखें परिशिष्ट ख पृष्ठ ३२-३३					+ २ कृपया देखें परिशिष्ट च पृष्ठ ३७
+++कृपया देखें परिशिष्ट ग पृष्ठ ३४					+ ३ कृपया देखें परिशिष्ट छ पृष्ठ ३८
++++ कृपया देखें परिशिष्ट घ पृष्ठ ३५					

१	२	३	४	५	६
<u>२६- ख- आवास</u>					
I- मजदूरी का अस्थाई किराया	-	-	-	-	-
II- मजदूरी का अस्थाई किराया	-	-	-	-	-
III- अन्य प्राप्तियाँ	२, ६६, ६०६	१, ००, ०००	१, ४५, ०५३	१, ३४, ०००	
३-क-२७ पूंजी के प्रयोजनों के मिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदान तथा अनुदान	-	-	-	-	-
<u>२७-क- सरकार से (विकास)</u>					
I- सामान्य प्रयोजना के लिए	-	-	-	-	-
II- मंहगाई भत्ता अनुदान	-	-	-	-	-
III- अन्य अनुदान	-	-	-	-	-
IV - अन्य साधनों से	-	-	-	-	-
<u>ख- सरकार से (आवास)</u>					
I- सामान्य प्रयोजनों के लिए	-	-	-	-	-
II- मंहगाई भत्ता अनुदान	-	-	-	-	-
III- अन्य अनुदान	-	३५, ०००	५३, ६०५	४०, ०००	
IV - अन्य साधनों से	-	२, ३१, ०००	-	-	-
<u>३-क-२८ प्राधिकरण की संपत्ति तथा अन्य सूत्रों से प्राप्तियाँ</u>					
<u>I- विकास</u>					
क- मशीनें, उपकरण यंत्र तथा अन्य चल संपत्ति की बिक्री से आय	-	-	-	-	-
ख- अन्य	-	-	-	-	-
<u>II- आवास</u>					
क- मशीनें उपकरण, यंत्र तथा अन्य चल संपत्ति की बिक्री से वि०	-	-	-	-	-
ख- अन्य संपत्ति की बिक्री से अन्य पूंजी लेखों में स्थान्तरित	-	-	-	-	-
ग- अन्य आय	-	-	-	-	-
योग		४३, ७५, ४७२	१, ५०, २५, ०००	१, ५२, ८१६६७	४२६४०, ०००
पूंजी लेखों की स्थानान्तरित धनराशि		-	-	-	२६६६०, ०००
महा-योग		४३, ७५, ४७२	१, ५०, २५, ०००	१, ५२, ८१६६७	१, २६, ८०, ०००

(७)

आय
३- ख- पूजा लेखा

३-ख-२६-११-भूमि अर्जन हेतु

कानपुर रोड योजना, नैपियर रोड
अलीगंज योजना तथा अन्य योजना।

I- कृपा मार्ग-पत्र (डिवेन्चस)	-	-	-	₹ ६०,००,०००
II- राजस्व लेखे(अ)से ६० लाख संक्रामित धनराशि तथा विकास से २० लाख	-	-	-	₹ ६०,००,०००
				<u>₹ २०,००,०००</u>
२- भूमिविकास हेतु				<u>₹ १,४०,००,०००</u>

कानपुर रोड योजना(वि)
नैपियर रोड योजना(वि)
अलीगंज योजना (आ)
अन्य योजनायें (वि)
साइसेन्स एण्ड सर्विसेज(वि)
२००० प्लान्स

I- शासन से कृपा	₹ २५,००,०००	₹ २०,००,०००	₹ ३०,००,०००	₹ २०,००,०००
II- कृपा मार्ग-पत्र (डिवेन्चस)	-	-	-	₹ ८५,००,०००
III- राजस्व लेखे से संक्रामित धन (वि)	-	-	-	₹ ३५,००,०००
• • • (आ)	-	-	-	<u>₹ ६०,००,०००</u>
३-ख-३० २-आवास हाउसिंग				<u>₹ २,३०,००,०००</u>

क- शासन से कृपा

I- मध्यम आय वर्गीय
योजना

₹ ६२,०४०० ₹ १०,००,००० ₹ २५,००,००० ₹ १०,००,०००

II- उच्च आय वर्गीय योजना

- - - -

ख- हुडकी से प्राप्त कृपा

I- प्रथम चरण (चालू योजना)

₹ २१,८५,००० - - ₹ ५,२५,०००

II- द्वितीय चरण (")

- ₹ ६६,५०,००० ₹ ६११०,००० ₹ ८५,४०,०००

III- तृतीय चरण (आर्थिक दृष्टि
से दुबल वर्ग हेतु ₹ १००० भवन)

- - - ₹ ५३,००,०००

IV- चतुर्थ चरण (अल्प आय गृह
निर्माण योजना ५०० भवन)

- - - ₹ ६५,००,०००

V- राजस्व लेखे से संक्रामित
धनराशि(आ०)

- - - ₹ ३,६०,०००

₹ २,३५,२५,०००

नोट:- कृपया व्यय पत्र का पृष्ठ १८- १६ अवलोकन करें ।

क्रमशः

(८)

३- स- ३१ १- कामशियल काम्पलेक्स (विकास)

क- बैंको से ऋण	-	४०,००,०००	२०,००,०००	७५,००,०००
ख- ऋण मांग पत्र (सिर्वेन्स से)	-	-	-	१५,००,०००
२-२५-३१ २- अन्य योजनाओं हेतु				
1- शासन से ऋण :-				
क- मिलन बस्ती निर्माण योजना	-	-	-	१५,००,०००
ख- अन्य योजनाओं हेतु (रिवालय फ्रन्ड २०,००,०००)	-	-	-	-
11- शासन से अनुदान				
क- मिलन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	१४,००,०००	-	४,६३,५००	१५,००,०००
ख- अन्य अनुदान	१,६३,८७५	-	-	-
111- अन्य पर्यावरण सुधार योजनाओं हेतु राजस्व लक्ष (वि०) से संग्रहित धनराशि	-	-	-	१,००,०००
योग	८४,६६,२७५	२३६५००००	२,४०,७३,५००	७,२६,२५,०००

+	I- ऑल पोस्ट आफिस	४०,००,०००
	II- नखास योजना	१०,००,०००
	III- आर०टी०ओ०आफिस	१५,००,०००
	IV - छितवापुर	१०,००,०००
	V - रेलवे सिन्डर्स डम्प	५,००,०००
	VI - नगर में क्विआस्क निर्माण	१०,००,०००

क्रमशः

३-ग-३२ निक्षेप

क- विकास

I-भूमि आदि के क्रय के लिए बनाना तथा प्रारम्भिक मार्गों के (स्थान में)।	-	६८,०००	-	१०,०००
II-ठेकेदारों की प्रति भूतियाँ एवं निक्षेप	२१,१८१	५,०००	-	५,०००
III- स्टाम्प	-	२,०००	-	२,०००
IV-अन्य निक्षेप	३००	१,००,०००	-	१,००,०००

१-ख-आवास

I-भूमि आदि के क्रय के लिए बनाना तथा प्रारम्भिक मार्गों के सम्बन्ध में।	-	१,६५,०००	६०००	८,००,०००
II-ठेकेदारों की प्रति भूतियाँ एवं निक्षेप	-	५,०००	४५१	५०,०००
III- स्टाम्प	-	-	-	-
IV - अन्य निक्षेप	-	-	-	१,००,०००
Y - मुकानों के आवन्तन हेतु प्राप्त बंधाना, तथा प्रारम्भिक मार्ग २,६४५	२,६४५	१४,००,०००	११,५०,००४	५,५०,०००

२- क- विकास

I- गैर सरकारी व्यक्ति संस्था :-				
क- नक्कास योजना	-	८,००,०००	६,६५,३२५	-
ख- इम्प्रूवमेंट आफ फ्लोड्स	-	२,००,०००	२,११,७५६	५,००,०००

II- स्थानीय निकाय - - - - -

III- सरकार से - - - - -

२- ख- आवास

I- गैर सरकारी व्यक्ति संस्था कन्ट्रोलिंग अथॉरिटी फण्ड	६३,६०८	२,००,०००	१,५६,३०३	५०,०००
II- स्थानीय निकाय	-	-	-	-
III- सरकार से	-	-	-	-

क्रमशः

३-ग-३३-अग्रिम को वसूलीक- विकास

I- स्थाई	-	-	-	२,०००
II-गृहों के निर्माण हेतु दिये गये अग्रिम	-	४,०००	-	४,०००
III-पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का से विविध अग्रिम को वसूली	-	६,०००	६,१६९	५,०००
IV - अन्य अग्रिम	२,५०,०००	८,४०,०००	५,००,०४९	५,००,०००

३-ग-३४-आवासI- स्थाईII- गृह के निर्माणार्थ दिये गये अग्रिमIII- पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का से

IV -अन्य(क) अलीगंज	२,७२,२४८	३,००,०००	१,२०,१७५	१०,००,०००
(ख) हुडको	-	३,००,०००	२,३८,६६६	५,००,०००
(ग) अन्य	-	-	-	१०,००,०००

विनियोग३-ग-३५ विकासI- विनियोगों का आहरणII- प्रतिभूतियों की आय सेIII- अन्यख- आवासI- विनियोग का आहरणII- प्रतिभूतियों से आयIII- अन्य३-ग- ३६ लिये गये कृण

क्रमशः

३-ग-३७ सामान्य प्रयोजना
के लिए ग्राम को गह मन्दार
बस्तियों की बिक्री से आय तथा
उनके मूल्य को जमा किया
जाना :-

क- विकास	-	-	-	-
ख- आवास	-	-	-	-
३-ग-३८ अन्य				
क- विकास	-	-	-	-
ख- आवास	-	-	-	-
योग * ग * उचन्त लेखा	२६,४०,५८२	१,५६,२५,०००	१,११,६४,१८६	१६१७८,०००
आय का योग सामान्य				
नगर नियोजन, अभियन्त्रण	१,७५,६०,८६८		४,३६,६५,६६३	
		४,८०,१४,०००		१०,८२,३०,०००
प्रारम्भिक शेष	६४,७७,६३८		* ८४,१८,३२७	
		१,०४,१८,३२७		१,६८,२३,७१६
महा-योग	२,४०,६८,५३६		५,२४,१५,३२०	
		५,८४,३२,३२७		१२,८०,५३,७१६

* विनियोजन रहित।

ॐ
व्यय फल
ॐ

क्रम संख्या	व्यय के शीर्षक	गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े १९७४-७५	वर्ष १९७५-७६ का पुनरीकित (१९७५-७६)	वास्तविक आंकड़े १९७५-७६	मूल बजट अनुमान १९७६-७७
१	२	३	४	५	६

१- सामान्य विभाग
क- राजस्व लेखा

क- राजस्व लेखा

सामान्य पर्यवेक्षण राजस्व बाबों का समाहरण

क- सामान्य पर्यवेक्षण	४,६७,८७६	-	-	-
क- प्रशासिक सहायक का कार्यालय व्यय	-	२,००,०००	१,६६,७८३	२,५०,००० *
क- डिप्टी सैक्रेटरी पर्यवेक्षण व्यय	-	५०,०००	-	५०,०००
III लेखा विभाग I राजस्व विभाग I	-	१,००,०००	६५,०७८	१,३०,०००
IV न्यायाधिकरण के सदस्य और क्लर्की कीठारीन अधिकारी	५६,८६६	७५,०००	७४,६५५	८५,०००
V मंडार मस्तुयें व्ययविभाग	-	-	-	-
VI प्राधिकरण पुस्तकालय तथा वाचनालय	-	२५,०००	-	५०,०००
VII विधि अधिकारी अधिष्ठाता	-	-	-	४४,००० *
१-क(१) राजस्व का समाहरण				
I प्राधिकरण भवनों के किराये की वसूली	-	५०,०००	३७,०७२	६०,०००
II प्राधिकरण भूमि का व्यय	-	१,४५,०००	१,१६,२४२	१,५०,०००
III अन्य कर और शुल्क	-	-	-	-
१-क(२) प्राधिकरण की संपत्तियों का प्रबंध				
I प्राधिकरण की संपत्ति	-	-	-	-
II नए पर्यवेक्षण का समाहरण परिषद का वह अनुपातजी अभियन्त्रण योजनाओं आदि के नाम डाला जायेगा।	-	१,००,०००	८१,६८६	१००,०००
* इन मदों में वास्तु सहायक, क्लर्क आफीसर, व्यक्ति सहायक, स्टैनी के पदों का वेतन सम्मिलित किया गया है जो प्राधिकरण द्वारा २५-७-७५ को तथा ३-३-७६ को स्वीकृत किये गये थे। डिप्टी सैक्रेटरी काभरियल का वेतन भी सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु पद के सजन की स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय से आपूर्णित है तदुपरान्त ही व्यय किया जायेगा। तब तक यह प्राविधान प्राविजनल रहेगा।				

३- प्रकीर्ण	२,३४,३१६।-	७,००,०००	६,६६,३८३	७,००,०००
४- कर्णों का प्रतिदान				
I कर्ण संबंधी परिव्यय	-	५,१७,०००	-	५,१७,०००
II व्याज संबंधी परिव्यय	-	८,८३,०००	२,४०,८६६	८,८३,०००
राजस्व योग	७,६२,०८८	२८,४५,००० २८,४५,०००	२५,१५,०६८	३०,३६,०००*

स- कुंजी लेखा

१-स पूंजी लेखा

१- लिये गये कर्ण

१-स I सरकार से
II सुले बाजार

१-स २ अनुदान

I सरकार से
II अन्य साधनों से

योग स पूंजी लेखा

ग- उचन्त लेखा

१- ग उचन्त लेखा

१-ग निक्षेप (डिपॉजिट्स)

I भूमि आदि के ब्यय के
लिये व्ययाना तथा
प्रारम्भिक भागों के
संबंध में

II प्रतिभतियां

क- कीर्तियां से
ख- अन्य से (ठेकेदारों से)

III स्टॉम्पस

अन्य निक्षेप

१-ग ६ अग्रिम

I स्थाई

II गृहों के निर्माण के
दिये गये कर्ण

III पदाधिकारियों एवं
कर्मियों के

IV अन्य अग्रिमों एवं
निक्षेपों की वापसी

१-ग १० विनियोग

I सामान्य विनियोग

II अन्य विनियोग

* देवे पृष्ठ २ अनुमानित आय २०२६-२७ का १/२। २०४-०८ साल का चारा
आवक राजस्व लेखे से पूरा किया जायेगा।

III सामान्य प्रयोजना के लिये मंदार वस्तुओं का ख़र्च	-	-	-	-
निजीप निधियों में से कर्णों का प्रतिदान	-	-	-	-
कृष्ण संबंधी परिच्छेद	-	-	-	-
कृष्णों का प्रतिदान	-	-	-	-
व्याज परिव्यय	-	-	-	-
योग ग उचन्त लेखा	-	२,५०,०००	१,३८,२३१	४,१०,०००
योग क स घ		७,६२,०००	३०,६५,०००	१६,५३,२६६
				३४,४६,०००

२- नगर नियोजन

क- राजस्व लेखा

११- नगर नियोजन कार्यालय तथा भवन निर्माण विभाग का अधिष्ठान

I अधिष्ठान व्यय (नगर नियोजन अधिष्ठान सहित)-

२,००,००० १,८५,६५७ ६,१०,००० *

II वर्दी

५,०००

२,०००

III अग्रिम

-

-

१२- स्थाई

I कर्मचारियों की

१०,०००

१०,०००

II+ प्रतियोगिता

५,०००

१,५५०

५२,०००

III अन्य

-

-

IV स्टेशनरी

१०,०००

१५,०००

V विविध

-

-

VI मंदार वस्तुएं

-

-

क- भूमि और संपत्ति खेदाण

-

-

ख- भूमि खेदाण

एवं चतुर्थ मार्ग खेदाण सह

५०,०००

६,३५५

१०,०००

२-क १३ स्वीकृत नगर विकास कार्यक्रम

१,०००

१,०००

योग

२,८१,०००

१,६८,५६२

७,००,०००

* * *

* विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक ३-३-७६ में नियोजन विंग (अधिष्ठान) की स्थापना के लिये नये पदों के संज्ञक का प्रस्ताव हेतु विचारार्थ एवं स्वीकृताधी प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक में प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष लखनऊ विभासे प्राधिकरण उक्त पदों के संज्ञक के लिये अधिस्तुत किये जाते है। अतएव यह अतिरिक्त प्राविधान अतिरिक्त है और अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त ही इस पर व्यय किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भवन विभाग के वर्तमान १० लिखित पदों का यह प्रस्तावित किया गया था कि उनकी विकास विंग अधिष्ठान) में समायोजित कर लिया जयेगा परन्तु उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति अध्यक्ष से वापसित है अतः इस दस पदों का वेतन पूर्वतः नियोजन विंग (अधिष्ठान) से दिया जाता रहेगा। उक्त पद है : पृष्ठ १४ भी देखें

१- अधिष्ठासी अभियन्ता (भवन) १, सहायक अभियन्ता १, सौदागर, चपरासी ५

* * * देखें पृष्ठ ४ अनुमानित कार्य २०६-०६ (आरव)

२- ख पूंजी लेखा२-ख पूंजी लेखा२-ख-२४ लिये गये ऋण

I सरकार से	-	-	-	-
II अन्य	-	-	-	-

२-ख-२५ अनुदान

I सरकार से	-	-	-	-
II अन्य साधनों से	-	-	-	-

योग ख पूंजी लेखा

२- ख उचन्त लेखा२- ग उचन्त लेखा

२-ग-२६ अग्रिम	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---

२-ग-२७ डिपॉजिट्स	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---

२-ग-२८ विनिर्याग	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---

योग ग उचन्त लेखा

३- अभियन्त्रण विभाग

क- राजस्व लेखा

३- अभियन्त्रण विभागक- राजस्व लेखा३-क-२६ अधिष्ठान

I विकास	३,४२,६६२	३,५०,०००	३,३३,६४३	४,२५,००० *
---------	----------	----------	----------	------------

II आवास	१,५१,३५३	३,००,०००	२,०१,६८६	३,००,०००
---------	----------	----------	----------	----------

क- भूमि अर्थात् एवं विकास सह	-	-	-	२,५०,००० *
---------------------------------	---	---	---	------------

ख- आवास	-	-	-	२,५०,०००
---------	---	---	---	----------

III महानगर गृह निर्माण योजना	-	२०,०००	३,२३२	२०,०००
---------------------------------	---	--------	-------	--------

३-क भूमि

I भूमि का क्रय	-	-	-	-
----------------	---	---	---	---

क- विकास	-	-	-	-
----------	---	---	---	---

ख- आवास	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

II प्रतिफल

क- विकास	८५,७५६	१,५०,०००	१,००,०००	१,००,०००
----------	--------	----------	----------	----------

ख- आवास	५,००,०५०	२१,००,०००	१०,००,०००	-
---------	----------	-----------	-----------	---

* चार सहायक अभियन्तों के पद प्राविष्टरण द्वारा २५-७-७५ को सृजित किये गये थे उनका वेतन भी सम्भारित किया गया था। मुख्य अभियन्ता का वेतन भी।

* * * उपरोक्त प्राविधान प्राविष्टरण है और उस पर प्राविष्टरण की स्वीकृति आपेक्षित है। स्वीकृति के बाद ही व्यय लिया जाएगा।

III बिजली पर कमीशन

क- विकास	-	-	-	-
स- आवास	-	-	-	-

३-क-२१ मशीनरी और सयंत्र

क- विकास	-	५०,०००	२२,१६०	५०,०००
स- आवास	४,३५१	१,००,०००	२,२६१	३,००,०००

३-क-२२ उपकरण एवं भंडार वस्तुएं

I विकास	६८,६६५	४,००,०००	३,६७,३५८	१,४०,०००
II आवास	२,५५,६४८	१,००,०,०००	३०,३५७	२७,००,०००
III मछानगर	-	१०,०००	-	१०,०००

३-क-२३ सार्वजनिक निर्माण कार्य से संबंधित योजनायें बनाने का व्यय

I आवास योजनायें	-	५०,०००	२३,८६८	१,००,०००
-----------------	---	--------	--------	----------

३-क-२४ निर्माण कार्य (विकास)

क- विकास

I भूमि सौदागण और नक्शे	२६,१६२	५०,०००	१७,५८१	१,५०,०००
II भूमि सुधार	२६,२०५	१,००,०००	१७,८१०	१,६६,०००
III मार्ग एवं जालियाँ	३,६३,३६६	४,५०,०००	४,०१,०८८	४,८०,०००
IV मल नाले और नालियाँ	१७,१७७	१,५०,०००	१,३३,६५३	२,१८,०००
V जल सम्भरण	-	५०,०००	४,६८२	८०,०००
VI क- भवन (दुकान तथा इत्यादि)	६१,७५२	३,५०,०००	४,६७,४५२	१५,००,०००
स- नजूल भवनों की मरम्मत	-	२,००,०००	-	२,००,०००
VII मरम्मत और अनुरक्षण	१,७२,२१७	४,००,०००	१,६६,५३०	४,००,०००
VIII रोशनी	१०,०३५	५०,०००	४३,४२४	६७,०००
IX XXXX पार्क और वृक्षासंरक्षित अन्य	७,१६५	१,००,०००	२३,८६२	१,३०,०००
X प्रकीर्ण	११,६८३	२५,०००	२४,४८६	२६,०००
XI आकस्मिक व्यय	२२,२५६	२५,०००	२०,०५६	५०,०००
XII बांध का सुधार	-	१,००,०००	६६,६८१	५०,०००

आवास

३-क-२४ स आवास अीर्गज

I	भूमि का सर्वेक्षण एवं नक्शा	४३,८००	५०,०००।-	१७,७७६।-	}
II	भूमि का मुाट	६३,१८४	२,००,०००।-	१,६७,७७८।-	
III	भागी एवं नालियां	४,३६,७०३	१६,००,०००।-	१४,६३,६०६।-	
IV	मल नाले और नालियां	२,२२,५०६।-	४,००,०००।-	३,६७,७५४।-	
V	जल सप्लरण	१४,३२५।-	५,००,०००।-	४,५२,८३४।-	
VI	भवन-कमीडारियों के लिये आवासीय सुविधा	४,८३३।-	१२,००,०००।-	२२,५४४।-	५,००,०००
VII	परम्पत और अनुरक्षण	-	५०,०००।-	-	}
VIII	रांशती	-	२,००,०००।-	३६,७६४।-	
IX	पावी गुजा संबंधीन	-	२,००,०००।-	१,०६,६२०।-	
X	प्रतिष्ठा	४६,६१८	५०,०००।-	४६,४००।-	
XI	आकस्मिक व्यय	-	५०,०००	४८,६३३।-	
३क-२४-अ	महानगर गृह निर्माण योजना विकास निधि	-	७०,०००।-	१४,८४१।-	६०,०००।-

३-क-२५ कृषा संबंधी परिव्यय

क- विकास				
I	कृषा का प्रतिदान	४५,३३६।-	-	२०००००।-
II	व्याय संबंधी परिव्यय	१,८८,५६१	-	३०००००
III	निर्जाप निधि से भुगतान	-	-	-

३-क-२५स आवास

I	कृषा का प्रतिदान	१३,१४,७५२	४४,२०,०००	४२,६२,७७१	३५०००००।-
II	व्याय संबंधी परिव्यय	२,६२,६१६	२०,००,०००	८,५७,८२०	१२५००००।-
III	निर्जाप निधि से भुगतान	-	-	-	-

३-क-२६ वापस की गई धराशि

क- विकास					
I	ठेडारों की प्रतिभति	-	-	-	
II	भूमि की विक्री से प्राप्त अंश	-	-	-	
III	अन्य वापसिया	-	२०००	-	६५०००
३-क-२६ स- आवास					
I	ठेडारों की प्रतिभति	-	१,००,०००	-	-
II	भूमि की विक्री से	२,०५,७१५।	२,५०,०००	-	१५,००,०००

* पूजा ऐसी है इन मदों के रधानांतरण कर दिया गया है ।

III भवनों की बिल्ली से प्राप्त वर्गिम अन्य वापसिया

	=	₹, 00, 000 -	-	₹, 00, 000
३-क-२७ प्रकीर्ण	=	₹, 00, 000	₹, 028	₹, 00, 000
क- विकास	₹, १७, ४५६	₹, ०५, ०००	₹, ६४, ७००	₹, ००, ०००
ख- आवास	₹, ३६२	₹, ८४, ०००	₹, ४५, ४७६	₹, ६०, ०००
योगराजस्व लेखा	₹, १४, ५६८	₹, ६६, ०२९, ०००	₹, १७, १८, ५३३	₹, ७५, ३५, ००० X

३-ख-२८ प्रतिकार

३- अभियन्त्रण विभाग ३-स पूजा लेखा

I कानपुरीह रुकीम (२०४ एकड़)	-	-	-	₹, ००, ०००
II नैपियर रोड योजना	-	-	-	₹, ५०, ०००
III अन्य योजनाये (विकास) (टासपोर्टनगर, कटिल कोलीनी, सवजी मही इत्यादि) २०० एकड़	-	-	-	₹, ००, ००० -
अलीगंज (आवास)	-	₹, २५, ००० १०००-	₹, २५, ००, ०००	₹, ६०, ००, ०००
योग	-	₹, २५, ००, ०००	₹, २५, ००, ०००	₹, ८५, ००, ०००

३-ख-२६ उपकरण एवं भंडार वस्तुये

क- विकास	-	-	-	-
ख- आवास	-	₹, १४, ५०, ०००	-	-

३-ख-३० मशीनरी एवं संयंत्र

क- विकास	-	-	-	-
ख- आवास	-	₹, ४२, ०००	-	-

३-ख-३१ निमण कार्य

१- भूमि का विकास

क- कानपुर योजना	-	-	-	₹, ६०, ००, ०००
ख- नैपियर रोड	-	-	-	₹, ३०, ००, ०००
ग- अन्य योजनाये (वि०)	-	-	-	₹, २०, ००, ०००
घ- साईट्स रण्ड सविसेज (२००० भूखंड)	-	-	-	₹, ३०, ००, ०००
ङ- अलीगंज (आवास)	₹, २०, ००, ०००	-	-	₹, ६०, ००, ०००
				₹, २, ३०, ००, ००० XXX

X कृपया देस आय पदा का पृष्ठ ३१ अनुमानित आय ₹ १,२६,८०,००० | - + प्रारंभिक अवशेष ₹ ४५,००,००० देस पृष्ठ ७ अनुमानित आय ₹ १,४०,००,००० + अवशेष ₹ ४५,००,००० = ₹ १,८५,००,०००

XX देस पृष्ठ ७ अनुमानित आय ₹ २,३०,००,००० | -

XXX देस पृष्ठ ७ अनुमानित आय ₹ २,३०,००,००० | -

२- आवास (हाउसिंग)

क- मुख्य आवास कर्षिय योजना (२५० भवन)	५५,७१४	२०,२०,६६७	६,८३,५१६	८४,००,०००
ख- उच्च आवास कर्षिय (१०० भवन)	-	-	-	३५,००,०००
ग- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु	१,०३,६३३	१,७१,३६७	१,७१,३६६	२,७५,०००
घ- हस्तकौ योजना				
I प्रथम चरण (चालू योजना)	२०,०५,४८२	-	१०,००,५०८	१६,००,०००
II द्वितीय चरण (चालू योजना)	४,०५,५०६	५६,००,०००	२५,८७,६४८	३६,५६,०००
III तृतीय चरण (१००० भवन) आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु	-	-	-	५३,००,०००
IV चतुर्थ चरण (५०० भवन) अल्प आय गृह यो०	-	-	-	६५,००,०००
३- कामप्लियल कामप्लेक्स				<u>२६५,३९,०००</u> *
I बौलड पौस्ट आफिस		४०,००,०००	१५,०३,४३६	४६,५६,०००
II नक्षत्रास योजना		-	-	१०,००,०००
III आर०टी०बी०आफिस		-	-	१५,००,०००
IV छिन्वापुर		-	-	१०,००,०००
V रेलवे सिन्डरेट हम्प		-	-	५,००,०००
VI नगर में विद्यालय का निर्माण		-	-	१०,००,०००
VII बलीगंज शापिंग कामप्लेक्स (अ)		५,००,०००	२,१३,२६०	४,६६,०००
४- अन्य योजनायें				<u>१०१,५२,०००</u> *
I मलिन वस्ती पर्यावरण सुधार योजना	२२,७६,८१८	३५,४७,३५३	१३,२१,०४२	३६,४७,४००
II मलिन वस्ती निपातन	-	-	-	१५,००,०००
III अन्य पर्यावरण सुधार	-	-	-	१,००,०००
IV अन्य योजनायें	१,६३,८७५	-	-	
योग	५०,४१,०२८	२,२१,३६,७१७	१,०२,७०,८०६	८,६७,३०,४००

* जैसे पृष्ठ ७ आय पत्रा अनुमानित आय रु० २३५-२५ + अवशेष ६२-१६ = रु० २६७-४१ लाख
 * जैसे पृष्ठ ८ आय पत्रा अनुमानित आय रु० ६०-०० + अवशेष ६-४२ = रु० २-१० लाख
 (राज्य की संभावित धनराशि = रु० १०१-५२ लाख) २०. ६८५-३६
 * जैसे पृष्ठ ८ आय पत्रा अनुमानित आय रु० ३१-०० + अवशेष २४-४७४ धं रु० ५५-४७५ लाख

३-ग-३२ निक्षेप (डिमा डिट्स)

निम्नलिखित के मध्य
निक्षेपों को वापस किया
जाता।

क- विकास

I भूमि आदि के क्रय के लिए व्ययाना और प्रारंभिक भाग	-	₹ १०,०००	-	₹ १०,०००
II ठेकेदारों की प्रतिभूति और निक्षेप	-	₹ ५,०००	-	₹ ५,०००
III स्टॉक	-	₹ ५,०००	-	₹ २,०००
IV अन्य निक्षेप	-	₹ १,५५,०००	₹ २,५३,१८३	₹ १,००,०००

ख- आवास

I भूमि आदि के क्रय के लिए व्ययाना तथा प्रारंभिक भाग	-	₹ ८,००,०००	₹ १,६६,१८६	₹ ८,००,०००
II ठेकेदारों की प्रतिभूति	-	-	-	₹ ५०,०००
III अन्य निक्षेप	₹ २,६२६	-	-	₹ १,००,०००
IV भवनों के आगंतन हेतु प्राप्त व्ययाना तथा प्रारंभिक भाग	-	₹ ८,००,०००	₹ ५,५७,४४४	₹ ५,५०,०००

३-ग-३३ निम्नलिखित के लिये
दिये गये कार्यों की
वास्तविक लागत

क- विकास और सरकारी संस्था।

व्यक्ति (कन्ट्रोलिंग अथारिटी)

I नक्कास	-	₹ ८,००,०००	₹ ६,२६,३१४	₹ ६६,०००
II इन्फ्रामैन्ट आफ फोर्सेस	-	₹ २,००,०००	₹ २,१०,६६१	₹ ५,१०,७२३
III स्थानीय निकाय	-	-	-	-
IV कन्ट्रोलिंग अथारिटी मिलकूथ सहित	₹ १,०६,७६०	₹ २५०००	₹ ६७,८०६	₹ १,६३,०००

ख- आवास

I निजी व्यक्ति	-	-	-	-
II स्थानीय निकाय	-	-	-	-

३-ग-३४ अग्नि

क- विकास

I अस्थाई	-	-	₹ १००	₹ २,०००
II गृहों के निर्माण हेतु दिये गये अग्नि	-	-	-	₹ ४,०००
III पदाविवरण रियल एवं कम्पारिशन को दिये गये अग्नि की वसूली	-	-	-	₹ ५,०००
IV कन्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा कम्पारिशन अन्य अग्नि	₹ १२,८६,०००	₹ १०००००	₹ ४६८०	₹ ५,००,०००

स- आवास

I स्थान	-	-	-	-
II गृहों के निर्माण हेतु किये गये अग्रिम	-	-	-	-
III पदाधिकारी एवं कर्मचारी	-	५०,०००	-	-
IV अन्य अग्रिम				
१- अलीगंज	३९,९४५	५,५०,०००	७,३०,६६२	९०,००,०००
२- हल्द्वी	-	-	-	५,००,०००
३- अन्य	-	-	-	९०,००,०००

३-ख-३५ विनियोग

क- विकास

I सामान्य विनियोग	३००००००	३५०००००	३५,००,०००	४०,००,०००
II अन्य विनियोग	-	-	-	-
III प्रतिभूतियों कृपायें का प्रतिदान सामान्य प्रयोजनों के लिये भंडार	-	-	-	-
IV वस्तु का पूरा	-	-	-	-
V निर्माण कार्यो में से कृपायें का प्रतिदान	-	-	-	-

ख- आवास

I सामान्य विनियोग	-	८०,००,०००	७३,७१,५००	९,००,००,०००
II अन्य विनियोग	-	-	-	-
III प्रतिभूतियों का प्रतिदान	-	-	-	-
IV निजीप निष्क्रियों में से कृपायें का प्रतिदान	-	-	-	-

योग उचन्त लेखा

४४,३२,५२५	१,३५,२१,८६८
१,५५,००,०००	१,६४,००,७२३

कुल संवितरण

१,५६,५०,२०६	३,७३,६३,१०९
५,७६,०८,७१७	१२,७८,१५,१२३

अंतिम अवशेष

८४,१८,३२७	१,५०,५२,२१६
५,२३,६१०	२,३८,५६६

महायोग

२,४०,६८,५३६	५,२४,१५,३२०
५,८४,३२,३२७	१२,८०,५३,७१६

* विक्रयों/जित व्य/राशि रहित।

दि. ३/११/००

मुख्य लेखा अधिकारी
विकास प्राधिकरण

सचिव
सर्वकार (आ०)

सचिव
सर्वकार (प्रा०)

मूल आय व्ययक १९७६-७७

विवरण पदा

१- प्रारंभिक अवशेष

वर्ष १९७६-७७ का मूल बजट वर्ष १९७५-७६ में हुई वास्तविक आय व्यय के आकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । वर्ष के प्रारंभ में प्राधिकरण का शेष रूपया १,६८,२३,७१६।०० था जिसमें रु० ४७,७१,५००।- की विनियोजित धराशि भी सम्मिलित है । अवशेष का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क- राजस्व लेख का अवशेष	रु० ५४,६५,५६६।-
ख- शासकीय ऋणों अनुदानों का अवशेष	
भूमि अर्जन	रु० ३०,००,०००।-
मध्यम आय वर्ग	रु० ३१,००,०००।-
शापिंग सेंटर	रु० २,८६,०००।-
१- हुडकी ऋण	रु० ३१,१६५,०००।-
२- गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	रु० २४,४७,४००।-
३- जी लुड पोस्ट ऑफिस	रु० ६,५६,०००।-
४- सामान्य ऋणों का अवशेष	रु० १५,००,०००।-
	रु० १,४१,०५,४००।-
ग- विभाजित का अवशेष	रु० २,२२,७२३।-
योग	रु० १,६८,२३,७१६।-

आय पदा (सामान्य प्रकार)

सामान्य प्रशासन द्वारा प्राधिकरण भूमि की विक्री से होने वाली आय अब मद ३(क) २३ में जमा की जायेगी । अतः इस मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । भूमि की लीज रेंट से रु० ३ लाख, भवनों को हायर परचेज के विक्रय से रु० २ लाख तथा विभिन्न कार्यालयों के किराये से रु० १४ लाख की आय अनुमानित है ।

२- प्राधिकरण द्वारा विकसित जमीन में खलपमेंट लेखी निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस आशय हेतु एक हजार रूपया की आय का सांकेतिक प्राविधान किया गया है ।

-2-

३- नजूल निधि से प्राप्तियाँ, प्राधिकरण के अधिष्ठान हेतु राजकीय महंगाई भत्ता अनुदान वाजारा तथा घास आदि की विक्री से आय एवं अन्य विविध आय के रूप में लगभग ₹० ६,३०,०००/- की आय अनुमानित है। इस प्रकार सामान्य प्रशासन द्वारा राजस्व लेख के अन्तर्गत कुल लाभ ₹० २६,३१,०००/- की आय होने का अनुमान वर्ष १९७६-७७ में है।

४- भूमि भवन की विक्री। आवन्तन के लिये वयाने स्वरूप ₹० १,००,०००/- तथा प्रतिभूति के रूप में ₹० १०,०००/- एवं अग्रिमों की वसूली हेतु ₹० ३,००,०००/- का उपबन्ध उचन्त लेखा में किया गया है।

(२) नगर नियोजन

क- राजस्व लेखा

१- नगर नियोजन विभाग के अन्तर्गत भवन चित्र, शुल्क, तावान शुल्क आदि जमा की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क- भवन चित्रों से शुल्क	₹० १,५०,०००/-
ख- तावान शुल्क	₹० ४,५०,०००/-
ग- अन्य मदों	₹० ५,०००/-

इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान जैनल प्लान आय से ₹० ५०,०००/- ज्वलपैन्ट लेवी से ₹० ५०,०००/- तथा स्वीकृत नगर विकास योजना हेतु सांकेतिक ₹० १०००/- का प्राविधान किया गया है।

(३) अभियन्त्रण विभाग

क- राजस्व लेखा

अभियन्त्रण के राजस्व लेख में ₹० २५,००,०००/- का प्राविधान नगर की विभिन्न योजनाओं में भूमि के विक्रय से आय के रूप में किया गया है (कृपया परिशिष्ट क देखें) अलीगंज योजना में विभिन्न श्रेणियों के प्लॉटों की विक्री से ₹० १,२५,०००/- (परिशिष्ट ख देखें) तथा कानपुर रोड से ₹० ५५,००,०००/- (परिशिष्ट ग देखें) अर्थात् कुल ₹० २,०५,००,०००/- की आय अनुमानित है। महानगर गृह योजना में ₹० १,००,०००/- की आय अनुमानित है।

२- विभिन्न श्रेणी के निर्मित भवनों के पूर्ण विक्रय से
 ₹ १,०१,६८,०००/- भवन कम्पौनेन्ट तथा भूमि कम्पौनेन्ट मद में
 कृपया ₹ २५,४०,०००/- की आय होना अनुमानित है (परिशिष्ट घ देखें) ।
 इसमें निम्न आय वर्गीय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत हुडकी की
 सहायता से बनाये जाने वाले भवन, जिनका हायरपरचेज पर विक्रय होगा।
 हायरपरचेज की दिशतों के रूप में ₹ ६३,४८,०००/- जिसमें ₹ १४,७०,०००/-
 भूमि कम्पौनेन्ट तथा ₹ ४८,७८,०००/- भवन में चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त
 होने वाली आय अनुमानित है (परिशिष्ट ड) ।

३- शहर में विभिन्न स्थानों पर (जैसे पुराना डाकखाना कार्म्प्लेक्स,
 नक्सस कार्म्प्लेक्स, आई०टी० कॉलेज की दुकान महानगर) किराया तथा
 कार्यालय भवनों के निर्माण करके सर्व साधारण को दिये जायेंगे जिससे प्री-भियम
 के रूप में लाभ ₹ २७,१०,०००/- की आय होने की संभावना है (परिशिष्ट
 च तथा छ)

अन्य प्राप्तियों के रूप में ₹ २,७४,०००/- की आय अनुमानित है ।

३- अभियन्त्रण विभाग

ख- पंजी लेखा

इस लेखे की सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा प्रत्येक योजना के
 कार्यान्वयन की समय समय पर देखने के लिये वजह में विवरण दर्शाया गया
 है । इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शासन से ६० लाख रुपये,
 बैंक से ७५ लाख रुपये, ड्रिन्वर के निगमन से १ करोड़ ६० लाख रुपये तथा हुडकी
 से १ करोड़ ३१ लाख ६५ हजार रुपये अर्थात् कुल ४ करोड़ २६ लाख ६५ हजार रुपये ऋण
 तथा अनुदान के रूप में प्राप्त होने का अनुमान किया गया है । २ करोड़ ६६ लाख
 ६० हजार रुपये की धनराशि राजस्व लेखे से कर्जामित करके ७ करोड़ २६ लाख
 २५ हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध ही जायेगी । दिनांक ३१-३-७६ तक
 प्राप्त ऋणों के अवशेष की धनराशि १ करोड़ ४१ लाख ५ हजार ४ सौ रुपये
 थी । इस प्रकार व्यय मद में ८ करोड़ ६० लाख ३० हजार ४ सौ रुपया का
 प्राविधान किया गया है ।

३- ग उचन्त लेखा अभियन्त्रण

निक्षेप (डिपोजिट) अग्रिम तथा विनियोग वास्तविक रूप में आय नहीं होती इसका लेखा विधिवत् रसन के उद्देश्य से उचन्त उचन्त साते में दिखाया गया है । ऐसा अनुमान है कि वर्ष १९७६-७७ में लगभग २२ लाख २७ हजार रुपया तथा ३३ लाख ११ हजार रुपया क्रमशः डिपोजिट एवं अग्रिम के रूप में प्राप्त होगा तथा समय समय पर दिये जाने वाले विनियोगों का वर्ष के दौरान लगभग १ करोड़ ४० लाख रुपये का आहरण का लेखा किया जायेगा ।

व्यय पदा

सामान्य विभाग का राजस्व लेखा

२६

१- क (१) सामान्य पर्यवेक्षण

इस मद में सामान्य अधिष्ठान पदाधिकारी, रिटाईड सेक्शन इत्यादि के व्यय किये जाते हैं इस मद के गत वर्ष के वास्तविक व्यय में आवश्यक वृद्धि करने तथा एक कोस्ट एकाउन्टेन्ट वैयक्तिक सहायक तथा स्टैनी के वे पदों का प्राधिकरण द्वारा २५-७-७५ को सूचित किये गये थे, का व्यय भार भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

डिप्टी सैक्रेटरी कामशियल का वेतन भी सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु मद के सूजन की स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय से अपेक्षित है। स्वीकृति के होने तक यह प्राविधान प्राविजल रहेगा।

मद १-क(२) परीक्षण व्यय

प्राधिकरण के लेखा के परीक्षण हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के फीस भुगतान करनी होगी जिसके लिये रुपया ५०,०००/- रु० का प्राविधान किया गया है।

मद १-क-३-४

प्राधिकरण के लेखा तथा रीकड विभाग का वेतन एवं कन्टिन्यन्सी उप मद ५ में न्यायाधिकरण का वेतन तथा कन्टिन्यन्सी के भुगतान करने हेतु प्राविधान रक्षित है।

उप मद ७ में ५०,०००/- रु० का प्राविधान प्राधिकरण में एक लाइब्रेरी खोलने के लिये किया गया है।

उप मद ४ में प्राधिकरण द्वारा ३-३-७६ को सृजित विधि अधिकारी (ला आफि र) के पद का उपबन्ध किया गया है।

उप मद १-ख-१ में किराया विभाग का अधिष्ठान उप मद २ में ट्रस्ट तथा लेबर विभाग के अधिष्ठान का तथा मद १-क-२ में नज़ूल विभाग के वेतन भुगतानार्थ आवश्यक प्राविधान किया गया है।

मद १-क-३ प्रकीर्ण में निम्नलिखित प्राधान किये गये है ।

१- फनीचर इत्यादि क्रय हेतु	रु० १,५०,०००।-
२- जलकर तथा नालियाँ की सफाई हेतु महापालिका की देय	रु० १,७५,०००।-
३- कर्मचारियों की विधिवत् अग्रिम	रु० १,२५,०००।-
४- खान सामग्री	रु० ५०,०००।-
५- मुद्रण पर व्यय	रु० १०,०००।-
६- विधि व्यय	रु० १५,०००।-
७- भविष्य निधि नियत वेतन उपदान और कारणाय अभिदेय आदि	रु० ५०,०००।-
८- किराये	रु० ५,०००।-
९- टेलीफोन	रु० ५,०००।-
१०- विजली	रु० ५,०००।-
११- मेला बाजार आदि	रु० ५०,०००।-
१२- वापसी	रु० ७५,०००।-
१३- कर्मचारियों की वदी	रु० १०,०००।-
१४- अन्य	रु० ५०,०००।-
	<hr/>
	रु० ७,००,०००।-

उप मद १-क-४(१) तथा (२) में प्राधिकरण पर
पुगने ऋणों का भुगतान करने का उपबन्ध किया गया है ।

सामान्य विभाग के पूंजी लेखों में कोई प्राविधान नहीं किया गया
है । उचन्त लेखों में जो आय अनुमानित की गई है जितना व्यय होना है ।

२- नगर नियोजन (राजस्व लेख)

मद २-क-११(१) : मद में नगर नियोजन विभाग जिसमें भवन भी सम्मिलित है
के अधिष्ठान ६,१०,०००।- रूपया तथा उनकी कन्ट्रिब्यून्सी हेतु अन्य उप मदों
में ७६,०००।- का प्रसविधान रक्ता गया है जिसमें ५०,०००।- जीप गाड़िया
के क्रय का प्राविधान है । अधिष्ठान से संबंधित पूर्ण स्थिति बजट मद के
नीचे अंकित है ।

(२८)

३- अभियन्त्रण विभाग

क- राजस्व-लेखा

- १- मद संख्या ३-क-१६(१) में अभियन्त्रण विभाग विकास तथा आवास के अधिष्ठान का प्राविधान रखा गया है । विकास विभाग में अधिष्ठान में ४ सहायक अभियन्ताओं के नये पदों का व्यय भी सम्मिलित है जो प्राधिकरण द्वारा २५-७-७५ की बैठक में सूचित किये गये हैं ।
- २- मद ३-क-१६(२) (क) तथा (ख) में भूमि अर्जन तथा विकास खण्ड एवं आवास खण्ड के प्राविधान प्राविजनल रूप में कर लिये गये हैं। इस पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है स्वीकृति के बाद ही व्यय किया जायेगा ।
- ३- उप मद ३-क(१६) (३) में माह नगर में गृह निर्माण हेतु २०,०००।- का प्राविधान रखा गया है ।
- ४- उप मद १६-क(२०) (२) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान करने हेतु १,००,००० का प्राविधान किया गया है ।
- ५- मद ३-क(२१) में विकास तथा अभियन्त्रण विभाग द्वारा क्रमशः ५०,००० तथा ३,००,००० का प्राविधान मशीनरी यंत्र क्रय करने हेतु प्राविधान रखा गया है ।
- ६- मद ३-क(२२)(१) तथा (२) में विकास विभाग के उपकरणों तथा भण्डार वस्तुओं के क्रय हेतु रू० १,४०,००० तथा आवास के लिये २,७०,०००।- महानगर योजना के लिये १०,००० का प्राविधान किया गया है । आवास खण्ड में हडको योजना के अन्तर्गत २५ लाख सीमेंट, लौहा, ईटा तथा अन्य मवन सामग्री के क्रय किये जाने का प्राविधान है ।
- ७- मद ३-क-२३ के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं के बनाने हेतु १ लाख रुपये का व्यय का प्राविधान है ।
- ८- मद ३-क(२४)(१) से १२ तक ३६,२५,०००।- रुपयों में कार्यों का विवरण योजना व अवरूप से परिशिष्ट ड में दिया गया है ।

क्रमशः

६- मद ३-क-२७ प्रकीर्ण के अन्तर्गत विकास सण्ड के अन्तर्गत २ लाख तथा आवास सण्ड के अन्तर्गत १०,६०,०००/- रुपया प्रकीर्ण तथा असम्भावित व्यय हेतु किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खर्च सामग्री	आवास	विकास
खर्च सामग्री	— रु० ५०,०००-००	६०,०००-००
मुद्रण	— रु० ५०,०००-००	५०,०००-००
विधि	— रु० ७५,०००-००	३०,०००-००
किराये	— रु० ५०,०००-००	—
टेलीफोन	— रु० १०,०००-००	१५,०००-००
बिजली	— रु० १०,०००-००	४०,०००-००
कर्मचारियों की वेतन	— रु० १५,०००-००	५,०००-००
		<u>२,००,०००-००</u>
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अग्रिम	— रु० ७५,०००-००	
स्टाफ कार आदि	— रु० १०,०००-००	
विज्ञापन	— रु० ५०,०००-००	
फर्निचर	— रु० ७५,०००-००	
अनुदान एवं अंशदान	— रु० १०,०००-००	
रकम लेने के लिए	— रु० १०,०००-००	
अन्य	— रु० ६,००,०००-००	
	<u>रु० १०,६०,०००-००</u>	

१०- मद सं० ३-क(२४)(स) के अन्तर्गत आवास विभाग के निर्माण कार्यों का विवरण है। यह समस्त कार्य पूंजी लेख में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं जिसका विवरण परिशिष्ट में उल्लिखित है। केवल उप मद ७ में ५,००,०००/- का प्राविधान रक्खा गया है जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवास स्थान बनाने की व्यवस्था की जायेगी।

११- उप मद १२ में महानगर गृह निर्माण योजना में छोटे छोटे अनुरक्षण तथा मरम्मत के कार्यों हेतु प्राविधान रक्खा गया है।

१२- ३-क-(२५) (क) तथा (ख) - इन दोनों मदों से क्रमशः विकास प्राधिकरण द्वारा विकास एवं आवास के लिए गये ऋणों की किरातों की अदायगी का प्राविधान किया गया है।

१३- मद ३-क(२६) क तथा ख(२, ३, ४) में वापसियों का भी प्राविधान है जिसके अन्तर्गत भूमि भवन आवन्टन अथवा बिक्री आदि हेतु अग्रिम की वापसी की जायेगी।

ख- पूंजी लेखा

इस लेख में शासन से ऋण तथा अनुदान, बैंकों से ऋण, हड़कों से ऋण तथा जनता से ऋण सभ्य मार्ग देय (डिविन्चर्स) जागि करके कुल ४,२६,६५,०००/- रुपये प्राप्त होने की आशा है। इस धनराशि में राजस्व लेख से २,६६,६०,०००/- रुपये संग्रहित करने तथा ३१-३-७६ को ऋणों तथा अनुदानों के अवशेष १,४१,०५,४००/- सम्मिलित करके पूंजी लेख में कुल ८,६७,३०,४००/- का प्राविधान किया गया है।

हड़की योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों का लेखा परिशिष्ट ई पर अवलोकन किया जा सकता है।

लखनऊ कानपुर रोड से सम्बन्धित आय व्यय का विवरण परिशिष्ट -घ- पर दिख दिया गया है।

३- ग- उचन्त लेखा अभियन्त्रण

इस लेख में आय पत्र के अनुरूप ही सम्बन्धित मदों में प्राविधान किये गये हैं जो प्राविधान आय पत्र में नहीं है उनके विरुद्ध व्यय का प्राविधान वर्ष के प्रारम्भ में रहने वाली धनराशि को सम्मिलित करके किया गया है।

इस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल आय १२,८०,५३,७१६-०० तथा कुल व्यय रूपया १२,७८,१५,१२३-०० तथा वर्ष के अन्त में लाभ २,३८,५३६/- रुपये का अन्तिम अवशेष अनुमानित किया गया है।

भूखण्डों के विक्रय से आय

मद संख्या २३

२- नैपियर रोड योजना भाग(१)

कुल क्षेत्रफल १२,००० वर्ग फीट

₹ ८४,०००-००

२- नैपियर रोड योजना भाग-II

६० भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल १,२०,००० वर्ग फीट

प्रत्येक खण्ड का क्षेत्रफल २,००० वर्ग फीट

₹ ७,२०,०००-००

३- भगवान इन्डस्ट्रीज योजना

२८ भूखण्डों का क्षेत्रफल १,६८,००० वर्गफीट

प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल ६,००० वर्गफीट

₹ ८,६२,०००-००

४- बिल्लीचपुरा योजना

१० भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल १८,००० वर्गफीट

प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल

₹ ७२,०००-००

५- बशीरतगंज योजना

कुल भूखण्डों का क्षेत्रफल ६०,००० वर्गफीट

₹ ६०,०००-००

६- महानगर विस्तारयोजना

३६ भूखण्ड वै पार्क -३

₹ ३,६०,०००-००

कुल भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल ८०,००० वर्गफीट

₹ ५४,०००-००

७- मैवा नर्सरी योजना

३- भूखण्ड प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल ३००० वर्गफीट

₹ २८,०००-००

८- पैपर मिल योजना

३५ भूखण्डों का क्षेत्रफल ६०,००० वर्गफीट

₹ २०००००-००

योग

₹ २५,००,०००-००*

*कृपया संकेतक देखें।

क्रमशः

क-३१ आय का विवरण

निम्नलिखित योजनाओं के भूखण्डों का निस्तारण सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जायेगा।तालिका में जो दरें वर्णित हैं वह पूर्णतयः अनुमानित हैं। यह दरें सम्बन्धित क्षेत्र की स्थित तथा वर्तमान बाजार दर पर आधारित हैं।

क्रमांक	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट	भूखण्ड सं०	दर प्रति वर्गफुट	धन
१-	नैपियर रोड योजना भाग(I.)	१२,०००	१२	रु० ७।००	८४,०००-००
२-	नैपियर रोड योजना भाग(II)	१,२०,०००	६५	रु० ६-००	७,२०,०००-००
३-	भगवान इन्डस्ट्रीज योजना	१,६८,०००	२८	रु० ५-३२	८,६२,०००-००
४-	बिल्लीचपुरा योजना	१८,०००	१०	रु० ४-००	७२,०००-००
५-	बशीरतगंज योजना	६,०००	३	रु० १०-००	६०,०००-००
६-	महानगर विस्तार योजना	८०,०००	३६	विगत नीलामों का अवशेष	३,६०,०००-००
७-	काला कांकर योजना	५,४००	३	रु० १०-००	५४,०००-००
८-	मैवा नर्सरी योजना	२,०००	१	रु० १४-००	२८,०००-००
९-	पैपर मिल योजना (बंधे के किनारे)	६०,०००	३५	रु० ३-४०	२,००,०००-००
				रु०	२५,००,०००-००

६६
नगर अभियन्ता (विकास)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

अलीगंज योजना

वर्ष १९७६-७७ आय का विवरण
 ~~~~~

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १- वर्ष १९७६-७७ में विभिन्न प्रकार के ८७२<br>मूखण्डों के आवन्तन से तीन किश्तों से आय | रु० १,००,०००००० |
| २- ४४१ मूखण्डों की अंतिम, किश्त जो<br>सितम्बर १९७५ में आवंटित किये गये थे<br>एवं.    | रु० २५,००,०००   |
| ३- १२७ मूखण्डों की तीन किश्तों का अवशेष<br>योग                                       | रु० १,२५,००,००० |

ह०- आर० सान,  
अधिसासी अभियन्ता (आवास)  
१३-४-७६

## INCOME OF 1976-76

DETAILS OF PLOTS

| Type of plots: | No. of plots | 1st Instalment | 3rd Instalment | Amount     |
|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| A              | 40           | 10,000/- X     | 30,000/-       | 12.00 Lacs |
| A1             | 45           | 8,000/- X      | 24,000/-       | 10.80 "    |
| B              | 100          | 5,400/- X      | 16,200/-       | 16.20 "    |
| B1             | 202          | 4,500/- X      | 13,500/-       | 27.27 "    |
| C              | 400          | 2,500/- X      | 7,500/-        | 30.00 "    |
| D              | 45           | 1,700/- X      | 5,100/-        | 2.29 "     |
| D1             | 40           | 1,200/- X      | 3,600/-        | 1.44 "     |

872 plots

Total Rs 1,00.00  
Crore .

Sd. R. Khan  
Adhishasi Abhiyanta (Avas)  
13.4.76

## आय पत्रा कानपुर रोड योजना का वर्ष १९७६-७७ का विस्तृत विवरण

| <u>आय पत्रा</u>                                |                      | <u>व्यय पत्रा</u>          |                     |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| १- योजना में भूखण्डों की बिक्री से अनुमानित आय | ५००००००              | <u>राजस्व लेखा</u>         |                     |
| २- साईट्स एन्ड सर्विसेज से आय                  | ५०००००               | पूंजी लेखों का हस्तान्तरित | ५५,००,०००-००        |
|                                                | <u>५५,००,०००</u>     | <u>पूंजी लेखा</u>          |                     |
| <u>पूंजी लेखा</u>                              |                      | १- प्रतिकर                 | ६०,००,०००-००        |
| राजस्व लेखों से आय                             | ५५,००,०००            | २- साईट्स एन्ड सर्विसेज    | ३०,००,०००-००        |
| डिविडेन्स                                      | ६५,००,०००            | ३- विकास कार्य             |                     |
|                                                | <u>१,५०,००,०००।-</u> | ३- भूमि सर्वेक्षण नक्शे    | १,५०,०००-००         |
|                                                |                      | ४- भूमि का सुधार           | १,५०,०००-००         |
|                                                |                      | ५- मार्ग एवं नालियाँ       | ३०,५०,०००-००        |
|                                                |                      | ६- मल नाले एवं नालियाँ     | ८,५०,०००-००         |
|                                                |                      | ७- जल सम्भरण               | ८,००,०००-००         |
|                                                |                      | ८- भवन                     | ५०,०००-००           |
|                                                |                      | ९- मैनटीनेन्स              | १०,०००-००           |
|                                                |                      | १०- रोशनी                  | ७,५०,०००-००         |
|                                                |                      | ११- पार्क                  | ५०,०००-००           |
|                                                |                      | १२- प्रकीर्ण               | १,५०,०००-००         |
|                                                |                      |                            | <u>६०,००,०००-००</u> |
|                                                |                      | कुल योग                    | १,५०,००,०००।-       |

अलीगंज योजना

परिशिष्ट ३४

वर्ष १९७६-७७ आय का विवरण

|                                                                                    |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| १- मध्यम आय वर्ग के १३ भवनों की पूर्ण बिक्री से आय                                 | ₹ ३-३३ लाख         |           |
| २- उच्च आय वर्ग के १५ भवनों की पूर्ण बिक्री से आय                                  | ₹ ८-७५ लाख         | १२-०८ लाख |
|                                                                                    | <u>₹ १२-०८ लाख</u> |           |
| ३- नवीन योजनाओं के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के १०० भवनों की पूर्ण बिक्री से आय ।      |                    | ४०-०० लाख |
| ४- नवीन योजनाओं के लिए अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के २५० भवनों की पूर्ण बिक्री से आय । |                    | ७५-०० लाख |

योग :- ₹ १,२७,०८,०००/-

ह० आर० खान,  
अधिसाक्षी अभियन्ता (आवास)  
१३-४-७६

अलीगंज योजना  
वर्ष १९७६-७७ में विभिन्न प्रकार के भवनों से आय

परिशिष्ट 'ड' ३६

(१) हडकों के अन्तर्गत निर्मित हुए भवन जो आवंटन किये जा चुके हैं उनसे कुमावटी दिशते जलाई १९७६ एवं जनवरी १९७७ से आय। उपर्युक्त अधिकारी विभाग द्वारा।

रूपया ०५-६८ लाख

(२) हडकी प्रथम फ़ीस से आय जो १९७६-७७ में आवंटित होगी।

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| दो कमरे वाले १६ मकान | रु० १,६०,०००-०० |
| एक कमरे वाले २७ मकान | रु० ५४,०००-००   |

रु० २,१४,०००।-

हडकी द्वितीय फ़ीस से

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| एम०आई०जी० २५ भवन                  | रु० ६,६०,०००।-         |
| एम०आई०जी० ८ भवन (स्टेट गवर्नमेंट) |                        |
| एल०आई०जी० के ८५ मकान              | रु० ६,००,०००।-         |
| ई०डब्ल्यू० एस० के १४८ मकान        | रु० २,७०,०००।-         |
|                                   | <u>रु० १८,३०,०००।-</u> |

नन

हडकी तृतीय फ़ीस

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| एक कमरे वाले ८०० भवन ६०।- प्रतिमास आय                                           | रु० ५,७६,०००।-         |
| एक कमरे वाले २०० भवन पूर्ण विक्रय के आधार पर विभिन्न संस्थानों को दिये जायेंगे। | रु० १६,००,०००।-        |
|                                                                                 | <u>रु० २१,७६,०००।-</u> |

(३) अलीगंज योजना में एल०आई०जी० ५०० भवनों का निर्माण ३,०००।- प्रति प्राथना पत्रों के साथ अग्रिम लिए जायेंगे से आय।

रु० १५,००,०००।-

कुल योग :- ०५-६८ लाख  
२-४४ लाख

१८-३० लाख  
२१-७६ लाख  
१५-०० लाख

६३-४८ लाख

ह०- आ० खान,  
अध्यासक अभियन्ता (आवास)  
१३-४-७६

आय पत्रदुकानों के प्रीमियम से आय

|                                                   |   |                  |
|---------------------------------------------------|---|------------------|
| १- जौल पॉस्ट आफिस                                 | - | रु० १०,००,०००-०० |
| २- कुतुबपुर हरादतनगर                              | - | रु० ४,००,०००-००  |
| ३- नक्ससि                                         | - | रु० ६,००,०००-००  |
| ४- महानगर                                         | - | रु० २,५०,०००-००  |
| ५- नगर के विभिन्न ज़ावों में<br>दियासू का निर्माण | - | रु० २,५०,०००-००  |
| ६- आफिस एकमीटेशन                                  | - | रु० १,००,०००-००  |

योग रु० २५,००,०००-००

अलीगंज योजना

परिशिष्ट क ३६

वर्ष १९७६-७७ में आय का विवरण

१- अलीगंज योजना में निर्मित हो रहे ३५

दुकानों के प्रीमियम से आय ।

६,०००/- आय प्रति दुकानों से

रु० २,१०,०००

ह० आर० सान,  
अधिशायी अभियन्ता (आवास)  
१३-४-७६

मद संख्या २४ के अन्तर्गत होने वाले कार्यों का विवरण

१- कै-२४ मद में कुल ३६-२५ लाख का व्यय आंका गया है  
इस व्यय के मुख्य चार भाग हैं ।

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| १- भूमि का सर्वेक्षण तथा सुधार             | रु० १,५०,०००  |
| २- भवन का निर्माण                          | रु० १७,००,००० |
| ३- योजनाओं के विकास पर व्यय                | रु० १३,७५,००० |
| ४- विभिन्न योजनाओं में बने भवनों की मरम्मत | रु० ४,००,०००  |

भूमि के सर्वेक्षण हेतु रखी गई धनराशि प्राधिकरण की आने वाली योजनाओं में व्यय की जायेगी । भवनों के निर्माण हेतु रखी गई धनराशि के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर दुकानों तथा भवनों का निर्माण किया जायेगा जो सैल्फ जनरेशन है । प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में भी भवनों की मरम्मत की आवश्यक है । जिसके लिए रु० ४-०० लाख का प्राविधान किया गया है । प्राधिकरण की योजनाओं में अभी काफी भूखण्ड अविकसित पड़े हैं जिन्हें विकसित करके निस्तारित किया जायेगा । इन भूखण्डों से लगभग २५-०० लाख रुपये की आय होगी । इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष में जो भूखण्ड बँचे गये हैं उनसे लगभग २५,२३,००० की आय हुई है । इस प्रकार कुल <sup>५०.२३</sup> ~~२५-२३~~ लाख की आय के विरुद्ध विकास पर केवल १३,७५,००० का व्यय आंका गया है ।

| क्रमांक | योजना का नाम                 | भूमि का विकास २४(२) | सड़क २४(३) | सीवर २४(४) | वाटरमैन २४(५) | भवन २४(६) | प्रकाश २४(८) | पार्क २४(९) | योग        |
|---------|------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| १       | २                            | ३                   | ४          | ५          | ६             | ७         | ८            | ९           | १०         |
| १-      | नैपियर रोड पाट-1             | ५,०००/-             | १५०००      | -          | ५०००/-        | -         | २,०००/-      | -           | २७,०००/-   |
| २-      | नैपियर रोड पाट -11           | ५०,०००/-            | ८००००      | २५,०००/-   | २५०००/-       | -         | २०,०००/-     | २०००        | २,०२,०००/- |
| ३-      | भगवान हन्डस्ट्रीज            | २५,०००/-            | ४००००      | -          | -             | -         | २५,०००/-     | -           | ९०,०००/-   |
| ४-      | निवाज रोड                    | -                   | ३००००      | -          | -             | -         | -            | -           | ३०,०००/-   |
| ५-      | चित्ता रोड                   | १,०००/-             | -          | -          | -             | -         | -            | -           | १,०००/-    |
| ६-      | करौहटा                       | १,०००/-             | -          | -          | -             | -         | -            | -           | १,०००/-    |
| ७-      | पाण्डे का तालाब              | २,०००/-             | १००००      | ८,०००      | -             | -         | ५,०००        | -           | २५,०००/-   |
| ८-      | बिल्लोचपुरा                  | ५,०००/-             | १००००      | ५,०००      | -             | -         | -            | -           | २०,०००/-   |
| ९-      | बशीरतगंज योजना               | ५,०००/-             | १५०००      | -          | -             | -         | -            | -           | २०,०००/-   |
| १०-     | पान्हेगंज                    | -                   | १००००      | -          | -             | -         | -            | -           | १०,०००/-   |
| ११-     | क्लन्ट स्क्वायर              | २,०००/-             | ३००००      | २५,०००     | १०,०००        | -         | ५०००/अ       | ६०००/-      | ७३,०००/-   |
| १२-     | महानगर विस्तार योजना         | १०,०००/-            | २०,०००/-   | ४०,०००     | ५,०००         | -         | १००००/-      | ४००००/-     | १,२५,०००/- |
| १३-     | कुतुपुर हरादत नगर योजना      | ५,०००/-             | ७५,०००/-   | ३०,०००     | १०,०००        | ५०००००/-  | १५०००/-      | ५६०००/-     | ६,६१,०००/- |
| १४-     | पैपर मिल योजना               | २०,०००/-            | ५०,०००/-   | ५०,०००     | १०,०००        | १००००००/- | ५०००/-       | ४००००/-     | २,७५,०००/- |
| १५-     | काला कांकर योजना             | -                   | २०,०००/-   | १०,०००     | ५,०००         | -         | -            | -           | ३५,०००/-   |
| १६-     | लाप्लास                      | २०,०००/-            | -          | -          | -             | -         | -            | -           | २०,०००/-   |
| १७-     | एरिया बिहान्ड<br>आहोटी कालेज | -                   | १०,०००/-   | १०,०००/-   | -             | -         | -            | -           | २०,०००/-   |

| १   | २                                            | ३           | ४          | ५          | ६        | ७           | ८        | ९          | १०          |
|-----|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| १८- | नबीउल्ला राँड                                | ५,०००/-     | -          | -          | -        | -           | -        | -          | ५०००/-      |
| १९- | मकिया योजना                                  | १०,०००/-    | ५०,०००/-   | २०,०००/-   | १०,०००/- | -           | १०,०००/- | १५,०००/-   | ५९०००/-     |
| २०- | नगर के विभिन्न स्थानों पर दुकानों का निर्माण | -           | -          | -          | -        | १९,००,०००/- | -        | -          | १९०००००/-   |
| २१- | विकास प्राधिकरण के कार्यालय का धार           | -           | -          | -          | -        | २,००,०००/-  | -        | -          | २०००००/-    |
| २२- | मैवा नर्सरी योजना                            | -           | १५,०००/-   | -          | -        | -           | -        | -          | १५०००/-     |
| योग |                                              | १,६६,०००-०० | ४,८०,०००/- | २,१८,०००/- | ८०,०००/- | १९,००,०००/- | १०,०००/- | १,५९,०००/- | २९,००,०००/- |

# कावास विभाग

( ४२ )

## पूजी लेखा

१- राजस्व लेखा से  
गृह धनराशि - २,३२,८५,०००

२- राजकीय ऋणों  
का अवशेष :-

१- भूमि अर्जन - ३०,००,०००

२- मध्यम आय वर्ग  
गृह निर्माण - ३१,००,०००

३- शापिंग स्टोर  
के लिए - २,८६,०००

४- मध्यम आय वर्ग  
गृह निर्माण

योजना के

अन्तर्गत शासन

से प्राप्त होने

वाला ऋण - १०,००,०००

१- प्रतिकर - ६०,००,०००

२- निर्माण कार्य:-

क- मध्यम आय  
वर्ग गृह  
निर्माण  
योजना - ८४,००,०००

ख- उच्च आय वर्ग  
गृह निर्माण  
योजना - ३५,००,०००

घ- आर्थिक दृष्टि  
से दुबल समुदाय  
हेतु - २,७५,०००

च- शापिंग सेंटर का  
निर्माण - ४,६६,०००

५- विकास कार्य:-

१- भूमि का सर्वे - ५००००

२- भूमिका सुधार - २०००००

३- भोग एवं  
गलिया - २२०००००

४- नल नाले एवं  
नालिया - २००००००

५- जल-सम्परण - १६६००००

६- भवन - ३००००

७- परम्पत एवं  
अनुरक्षण - ३००००

८- रीशनी - १५०००००

९- पाक एवं  
वृद्धा वधन - ४०००००

१०- प्रकीर्ण - १०००००

११- आकस्मिक  
व्यय - २०००००

१२- रेलवे के

क्रासिंग निर्माणार्थ ४०००००

६०,००,०००

योग

३,०६,७९,०००

योग

३,०६,७९,०००

क्रमशः

आवास साखा में अलीगंज योजना के क्रियान्वयन  
का वर्ष १९७६-७७ के मूल आय व्यय में  
प्राविधान का विवरण

| आय पत्र                                                                                             | व्यय पत्र                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| राजस्व लेखा                                                                                         |                                                                |
| १- अलीगंज निधि में गत वर्ष का उपलब्ध अवशेष - ३४,६१,८८२                                              | १- ऋणों की किश्तों की अदायगी - १५,००,०००                       |
| २- अलीगंज योजना में मसण्डों की बिक्री से अनुमानित आय-१,२५,००,०००                                    | २- योजनाओं के बनाने का व्यय - १,००,०००                         |
| ३- उच्च आय वर्ग गृहों (१५ भवन) की पूर्ण बिक्री से आय ३-३३ १२,०८,०००                                 | ३- अधिष्ठान                                                    |
|                                                                                                     | क-भूमि अर्जन सण्ड - २,५०,०००                                   |
|                                                                                                     | ख- आवास सण्ड - २,५०,०००                                        |
| ५- नवीन योजनाओं का उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत १०० भवनों की पूर्ण बिक्री से आय ४००००००                 | ४- वापसी                                                       |
| ६- नवीन योजनाओं में मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत २५० भवनों की पूर्ण बिक्री से आय ७५००००० - १,१५,००,००० | १- अलीगंज मसण्डों का प्रीमियम अग्रिम आदि - ५,००,०००            |
| ७- दुकानों (३५ दुकानों) के प्रीमियम से आय - २,१०,०००                                                | २- नवीन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि में से - १०,००,००० |
| ८- अन्य प्राप्तियां - १,३४,०००                                                                      | ३- अन्य वापसियां - २,००,०००                                    |
| ९- पहंगाई भूदा का शासन से प्रति पूति का अशदान- ४०,०००                                               | ४- स्टार सामग्री का क्रय - २,००,०००                            |
|                                                                                                     | ५- मशीनरी का क्रय - ३,००,०००                                   |
|                                                                                                     | ६- विविध व्यय - ३,१५,०००                                       |
|                                                                                                     | ७- स्टाफ क्वार्टर का निर्माण - ५,००,०००                        |
|                                                                                                     | ८- अन्य आम्नावित व्यय - ५,००,०००                               |
|                                                                                                     | ५६,१५,०००                                                      |
|                                                                                                     | ९- पंजी लेखों का हस्तान्तरित - २,३२,८५,०००                     |
|                                                                                                     | १०- अन्तिम अवशेष - १,८३,८८२                                    |
| योग                                                                                                 |                                                                |
| २,६०,८३,८८२                                                                                         | २,६०,८३,८८२                                                    |

कुमशः

आवास विभाग

हाउसिंग अर्जन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हडको), नई दिल्ली के सौजन्य से सम्पादित निर्माण कार्य हेतु वर्ष १९७६-७७ के आय व्ययक में प्राविधान का विवरण :-

| आय पदा                                                                                                                                                                                                                        | व्यय पदा                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) <u>राजस्व लेखा</u></p> <p>(१) हडको निधि का उपलब्ध प्रारम्भिक शेष</p> <p>(विनियोजित धनराशि को सम्मिलित करके)</p> <p>वर्ष की अवधि में प्राप्त होने वाली (हायर पुर्वज के आधार पर भवनों की बिल्ट्री ) से अनुमानित आय ।</p> | <p>१- ऋणों की किरतों की अदायगी - ३१,५०,०००/-</p> <p>२- अधिष्ठाान - ३,००,०००/-</p> <p>३- प्रारम्भिक मार्गे अगिष्य प्रतिभति आदि की वापसी - ५,००,०००/-</p> <p>४- स्टोर सामग्री का क्रय - २५,००,०००/-</p> <p>५- विधि व्यय - २,७५,०००/-</p> |
| १४,५६,०००/-                                                                                                                                                                                                                   | ६७,२५,०००/-                                                                                                                                                                                                                            |
| ७८,०४,०००/-                                                                                                                                                                                                                   | १०,७५,०००/-                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                               | अन्तिम अवशेष ०४,०००/-                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | ७८,०४,०००/-                                                                                                                                                                                                                            |

पूँजी लेखा

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>२- गत वर्ष प्राप्त ऋणों का अवशेष ३१,१६,०००/-</p> <p>१- राजस्व लेखा से ली गई धनराशि १०,७५,०००/-</p> <p>२- हडको से प्राप्त होने वाली ऋण की धनराशि</p> <p>प्रथम चरण ५,२५,०००/-</p> <p>द्वितीय चरण ८,४०,०००/-</p> <p>तृतीय चरण ५३,००,०००/-</p> <p>चतुर्थ चरण ६५,००,०००/-</p> | <p>१- प्रथम चरण के अन्तर्गत ई० डब्लू०एस०इल० आइ०एम०आइ०जी गृहों का निर्माण १६,००,०००/-</p> <p>२- द्वितीय चरण के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस०एल०आइ०जी०एम० आइ०जी०भवनों एवं एम०आइ०जी०भवनों का निर्माण - ३६,५६,०००/-</p> <p>३- तृतीय चरण के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस० भवनों का निर्माण ५३,००,०००/-</p> <p>४- चतुर्थ चरण के अन्तर्गत अल्प आय गृह निर्माण योजना में ५०० भवनों का निर्माण ६५,००,०००/-</p> |
| १,७३,५६,०००/-                                                                                                                                                                                                                                                               | १,७३,५६,०००/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |